वर्ष 2003-2004 के समेकित वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा की रिपोर्ड सहित CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS WITH AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2003-2004



In the forefront of changes in delivery of publicly managed services.

2003-2004

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पाञा प्रदासा प्रयाद्याङ जाल्य

CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2003-2004

## CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS WITH AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2003-2004

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

CORPORATE HEADQUARTERS

BHAVISHYA NIDHI BHAWAN 14, BHIKAIJI CAMA PLACE

NEW DELHI-110 066



### INDEX

S.NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Income & Expenditure Account - EPF	1
2.	Income & Expenditure Appropriation Account - EPF	3
3.	Balance Sheet - EPF	5
4.	Contribution Account - EPS	22
5.	Administration Account - EPS	24
6.	Balance Sheet - EPS	26
7.	Contribution Account - EDL1	31
8.	Administration Account - EDLI	33
9.	Balance Sheet - EDLI	35
10.	Audit Report	40
11.	Audit Certificate	55



## INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AND BALANCE SHEET OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME, 1952



#### INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT (EMPLOYEES' PROVIDENT

(Rs.)	Amount	Sch. No.	EXPENDITURE		SI. No.	Previous Year
)	(5)	(4)	(3)		(2)	(1)
14,130.25	1,684.11		Salaries of Officers and Staff		1.	1,593,502,670 88
86,662.36	285,88		Allowances & Honorarium		2.	264,246,685.09
42,888.99	49.74		T.A. & L.T.C		3.	40,697,527.99
23.756.03	489,82	m-Retuement	Pension/Family Pension/Death-c		4.	457,769,380.56
			Gratuity			
0.00		те)	Staff Provident Fund (Board's sh	(a)	5.	0.00
52,868 28	1.05		S.P.F. D.L.I Benefits	(h)		597,620 75
31.678 52	916.03	erting)	Other charges (Recurring/Non-re	(a)	6	731,050,620 26
26,840.62	33.22	& Staff Quarters	Maintenance of Office Buildings	(b)		35,872,254.62
34.371 67	13.38		Grants	(a)	7.	7,720,082.24
0.00			Refund of G.I.S Savings Fund	(b)		0.00
63,196.72	3,473,26	EPF Scheme	Total Expenditure incurred on			3,131,456,842.39
		tration of .	Expenditure incurred on Admons		8.	
44,712.65	669,54		E.P.S. Scheme	(a)		603,654,331.05
46.544 <i>.</i> <b>5</b> 5	41,84		E.D.L 1 Scheme	(b)		37,728,395.69
0.00			A.E.(C.D.) Scheme	(c)		0.00
88,353.81	3,900,38	ure	Excess of Income over Expendi		9.	2.305.082,674.89
<b>42,807.7</b> 3	8,085,04		TOTAL			6,077,922,244.02

#### FOR THE YEAR, 2003-2004 FUND SCHEME, 1952)



					Cr.
Previous Year	Sl. No.	INCOME	Sch. No.	Amount	(Rs.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5,317,341,211,95	1.	Receipts by way of Administrative Charges, Inspection Charges	(1)	5,860,307	,107.59
		and Penal Damages			
701,410,075.46	2.	Interest carred on Investment of surplus		757,005	,655.18
		Administration Fund			
29,579,924.45	= 3.	Receipt from Pension Fund & other Accounts	(11)	1,427,252	476.95
29.591,032.16	4.	Miscellaneous Receipts		40,477	.568.01
0.00	5.	Excess of Expenditure over Income			0.00

6.077,922,244.02	TOTAL.	8,085,042,807.73



## INCOME AND EXPENDITURE (EMPLOYEES' PROVIDENT

	•	
1	1	
	.,	1.

Previous Year	SI. No.	EXPENDITURE	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
0.00	1.	Excess of Expenditure over Income	0.00
500,000,000.00	2.	Provision for Building Construction Fund	500,000,000.00
24,127,745.38	3.	Provision for Maintenance (Repair & Renewal	59,505,884.40
		and Replacement) Fund	
1,780,954,929.51	4.	Balance carried down to Balance Sheet	3,340,882,469,41

2,305,082,674.89	TOTAL	3,900,388,353.81

## APPROPRIATION ACCOUNT (2003-2004) FUND SCHEME, 1952)



			Cii
Previous Year	\$1. No.	INCOME	Amount (Rs.)
(5)	(6)	. (7)	(8)
2,305,082,674.89	1.	Excess of Income over Expenditure	3,900,388,353.81
0.00	2.	Balance carried down to Balance Sheet	0.00

2,305,082,674.89		TOTAL	3,900,388,353.81
Previous Year		Foot Note	Current Year
	(i)	The accounts have been compiled on actual basis	
Rs. 10,848 42 Lakh:	(ii)	Expenditure incurred on Administration of	Rs. 3,565.76 Lakh
		Employees' Pension Scheme due	
Rs. 0.00 Lakh	(iii)	Expenditure incurred on Administration of	Rs. 0.00 Lakh
		A.E.C.D. Scheme.	- 75
	(iv)	Estimated amount of arrears due from	PAY
		the employers but not received:	
Rs. 4,946.93 Lakh		(a) Administrative Charges	Rs. 5,707.30 Lakh
		{ (a) Administrative Charges (b) Inspection Charges }	

Sd/-

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER



## BALANCE SHEET AS ON (EMPLOYEES' PROVIDENT

Previous Year	SI, No.	LIABILITIES	Sch. No.	. Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
558,161,488,446.16	1.	Employees' Provident Fund A/c	111	618,674,825,638.25
6,345,667,218.85	2.	Unclaimed Deposit Account	IV	9,429,511,660.93
7,987,896,610,71	3.	Special Reserve Fund	ν	8,746,253,168.72
	4.	Interest Suspense A/c:		11.0
23,601,089,984.60		(a) Balance in the Account to be	VI	23,321,844.776.42
		credited to members Accounts upto .	31.3.2003	
59,530,113,549.64		(b) Amount received during the year and	d to	60,766,977,7\$2.78
		be credited to members Accounts ne	xı year	
	5	Staff Provident Fund Account ;		
2,060,480,480.36		(a) Staff Provident Fund A/c	VII	2,282,393,062.62
131,819,546.96		(b) Staff Provident Fund Interest A/c	VIII	199,134,160.92
2,611,369,926.20	6.	Pension-cum-Gratuity A/c (Staff)	IX	3,160,796,752.71
-1,486,326,262.66	. 7.	Investment Fluctuation A/c	X	-4,765,454,294.31
1,052,896.46	8.	Security Deposits		8,261,441.46

658,944,652,397.28	TOTAL	721,824,544,120.51

#### 31ST MARCH, 2004 FUND SCHEME, 1952)



Previous Year	Sl. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	Investment Account:		
653,471,615,479.49		a) Employees' Provident Fund	xv	717.120,079,991.49
2.253,786,757.58	(	b) Staff Provident Fund	XVI	2,601,751,062.62
2,576,005,807.58	(	c) Pension-cum-Gratuity Fund	XVII	3,144,537,056.31
11,869,266,483.90	(	d) Administration Fund	XVIII	15,622,073,419.58
	2.	Land and Building:		
2.079.419,514.61	(	a) Assets acquired		2,048,469,005,66
846,034,133.17		b) Advances paid		1.122,552.096,77
516,788,512.00	3_	Recoverable Advances	X1X	509,339,083.48
521,916,639,93	4	Special Reserve Fund (Recoverable)		559.784,545.93
982,876,20	5.:	Security Deposits (Advance to partie	:s)	2,518,376,20
501,990.206.50	6.	Remillances in Transit	$\lambda X$	579,635,500.53
37,849,80	7.	Cash in hand		48,051.50
82,971,411.17	8.	Cash at Bank	XXI	-1,297,678,940,17
895,363,683.98	9	Sundry Debits	XXII	906,843,944,33

675,616,179,355.91	TOTAL	742,919,953,194,23



### BALANCE SHEET AS ON (EMPLOYEES' PROVIDENT

Previous Year	St. No.	LIABILITIES	Sch. No.	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
658,944,652,397.28	_	Total B/F		721,824,544,120.51
5,218,859,880.08	9.	Building Construction Fund	XI	5,948,819,018.06
140,828.348.66	10.	Building Maintenance (Repair, renewal	XII	214,984,651.25
		& replacement) Fund		
10,271,032,074.82	11.	Revenue Surplus	XIII	13,563,815,474.56
10,088,610.39	12.	(a) Group Insurance Scheme (Old)		10,088,610.39
-182,712,45		(b) Group Insurance Scheme (New)		-38,031.96
1.030,900,757,13	13.	Sundry Credits	XIV	1,357,739,351.42
675,616,179,355.91		TOTAL		742,919,953,194.23

#### 31ST MARCH, 2004 FUND SCHEME, 1952)



Previous Year	Sl. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
675,616,179,355.91		Total B/F		742,919,953,194.23

675,616,179,355.91		TOTAL	742,919,953,194.23
Previous Year		Foot Note	Current Year
•	(1)	The Accounts have been compiled on actual basis	
	(1i)	Estimated amount due from the employers but not rece	eived:
Rs. 1,51,179.00 Lakh		(a) E.P.F. Contribution	Rs. 1,86,280.00 Lakh
Rs. 11,281.43 Lakh		(b) Penal Damages on Contribution, Admn. Charges	
		and Inspection Charges	Rs. 18,646.93 Lakh
	(iii)	The investment of SPF and Pension-cum-Gratuity	
		Funds are shown in the Balance Sheet at Cost Price.	2100
	(iv)	Out of the Building Construction Fund of Rs. 594,88,1	19,018.06
East		the cost of Land & Building acquired as on 31.3.2004	
		including the advances paid is Rs. 317,10,21,102.43 at	nd the
No.		balance of Rs. 277,77,97,915.63 is invested alongwith	EPF
		Administration Fund.	
MET LATE ONLY	(v)	All the fixed assets except Land & Building are	
		treated as Revenue Expenditure and no depreciation	
		is provided on Land & Building as per Manual provisi	ions.

Sd/

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER



2002-2003		2003-2	2004
Rs. P.	SCHEDULE No. 1	Rs.	.9
	Details of Income		
4.820,049.239.50	I. Admn. Charges	5,367,01	1,496,81
456,378,659.56	2. Inspection Charges	427,56.	3,603.08
21.888,464.87	3. Penal Damages	33,13	9,037.18
19,024,848.02	4. 7Q Interest	32,59	2,970.52
5,317,341,211.95	TOTAL	5,860,30	7,107.59
	SCHEDULE No. II		
	Receipts from Pension fund and other Accounts:		
0,00	<ol> <li>From Pension fund for Admn. of Employees*</li> </ol>	1,406,730	0,716.95
	Pension Scheme		
29.579,924.45	2. From other Accounts	20,52	1,760.00
29,579,924.45	TOTAL	1,427,25	2,476.95
	Details of Receipt from other Accounts		
7,780,000.00	1. From EDLI Fund for Administration of EDLI Scheme	34,156	0,000.00
0.00	2. From other Accounts		0.00
7.780,000.00		34,150	0,000.00
	Less:		
0.00	1. Amount transferred to other Accounts		0.00
-21,799,924.45	2. Transferred from A/c No. 2 to A/c No. 4 &	13,62	8,240.00
	Vice-Versa as per Regional Office Accounts		
	& Head Office Account		Alie.
-21,799,924.45	TOTAL	13,62	8.240.00
29,579,924.45	BALANCE	20,52	1.760.00



SCHEDULE No. III	Rs. P.
Employees' Provident Fund A/c	
Balance as per last Balance Sheet	558,161,488,446.16
Add:	
1. Contribution (including refund of	82,434,065,354.12
withdrawal) received	
2. Contribution received by way of	585,076,279.00
transferred securities (HQ Office contra)	
3. Interest credited to members accounts	58,545,476,368.30
4. Other Receipts	2.395,113,703.77
TOTAL	702,121,220,151.35
1. Payment made to out	59,071,501,203.94
1. Payment made to out	59,071,501,203.94
going members on final settlement	
2. Premia paid on members Life	228,549,227.50
Insurance Policies	
3. Loan paid to members	16,608,604,892.80
4. Employers share forfeited	0.00
5. Unclaimed Deposit Account	3,646,969,072.58
6. Miscellaneous Payment	3,889,268,016.28
<ol><li>Amount of securities transferred back to</li></ol>	1,502,100.00
exempted establishments	2
TOTAL	83,446,394,513.10
	Employees' Provident Fund A/c  Balance as per last Balance Sheet  Add:  1. Contribution (including refund of withdrawal) received  2. Contribution received by way of transferred securities (HQ Office contra)  3. Interest credited to members accounts  4. Other Receipts  TOTAL  Less:  1. Payment made to out going members on final settlement  2. Premia paid on members Life Insurance Policies  3. Loan paid to members  4. Employers share forfeited  5. Unclaimed Deposit Account  6. Miscellaneous Payment  7. Amount of securities transferred back to exempted establishments



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. IV	Rs. P.
	Unclaimed Deposit A/C	
3,819,131,961.71	Balance as per last Balance Sheet	6,345,667,218.85
	Add:	
2,686,257,794.64	Amount transferred during the year	3,646,969,072.58
6,505,389,756.35	TOTAL	9,992,636,291.43
	Less:	
159,722,537.50	Amount paid during the year	563,124,630.50
6,345,667,218.85	BALANCE	9,429,511,660.93
	SCHEDULE No. V	
	Special Reserve Fund	
7,295,124,858,18	Balance as per last Balance Sheet	7,987,896,610.71
	Add:	
1,272.00	1. Amount received from Employers	0.00
693,036,861.53	2. Interest on SRF Account	758,850,178.02
7,988,162,991.71	TOTAL	8,746,746,788.72
	Less:	
150,071.00	1. Amount paid as death relief	-52,771.00
116,310.00	2. Amount paid from SRF Account	546,391.00
266,381.00	TOTAL	493,620.00
7,987,896,610.71	BALANCE	8,746,253,168.72



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. VI	Rs. P.
	Interest Suspense A/c	
79,294,885,594.75	Balance as per last Balance Sheet	83,131,203,534.24
	Less:	
54,408,315,033.22	<ol> <li>Interest credited to members' accounts</li> </ol>	58,545,476,368.30
0.00	<ol><li>Interest paid on deposits refunded to</li></ol>	0.00
480 022 002 24	exempted estis.	**********
480,977,387.74	3. Interest paid to vendors	505,032,211.50
693,036.861.53	4. Interest accrued on SRF A/c adjusted	758,850,178.02
111,466,327.66	5. Interest accrued on Fluctuation Account	0.00
	adjusted	•
55,693,795,610.15	TOTAL	59,809,358,757.82
23,601,089,984.60	Balance in the Accounts to be credited to	23,321,844,776.42
	the subscribers accounts upto 31.3.2004	
	Add:	
59,077,461,785.09	Interest realised on investment of securities	59,981,189,368.19
220,638.13	Interest on Savings Bank Accounts     (Central)	176,020.69
69,942,728.31	Interest on Savings Bank Accounts     (Regional)	60,746,170.21
2,709,257.11	Interest on securities received from the establishments	1,847,962.48
11,490,622.54	5. Interest realised from members on loans	5,389,031.83
368,288,518.46	6. Penal Damages on belated contributions	717,629,199.38
	received	
		20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
59,530,113,549.64	TOTAL	60,766,977,752.78
83,131,203,534.24	BALANCE	84,088,822,529.20



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. VII	Rs. P.
	A. Staff Provident Fund	
1,766,390,887.19	Balance as per last Balance Sheet	2,025,555,824.19
	Add:	
675,978,641.00	<ol> <li>Contribution &amp; including refund of withdrawal</li> </ol>	765,274,842.26
0.00	2 Boards' Share	0.00
166,680,429.00	3 Interest credited to members' accounts	158,809,194.00
2,609,049,957.19	TOTAL	2,949,639,860.45
	Less:	
274,603,400.00	<ol> <li>Payment made to outgoing members on final settlement</li> </ol>	327,855,758.00
0.00	2. Premia paid on members'	0.00
	Life Insurance Policies	
242,162,790.00	3. Loan paid to members	245,066,205.00
66,727,943.00	4. Other payments (transfer to other Regions)	94,671,165.00
583,494,133.00	TOTAL	667,593,128.00
2,025,555,824.19	BALANCE	2,282,046,732.45
	B. SPF A/c transferred from other Regions	
40,769,506.17	Balance as on 1st April	34,924,656.17
	Add:	
66,727,943.00	Amount transferred to the Regions	94,671,165.00
107,497,449.17	TOTAL	129,595,821.17
	Less:	
72,572,793.00	Amount received from other regions	129,249,491.00
34,924,656.17	BALANCE	346,330.17
2,060,480,480.36	TOTAL (A+B)	2,282,393,062.62



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. VIII	Rs. P.
	Staff Provident Fund Interest Account	
85,822,196.95	Balance as per last Balance Sheet	131,819,546.96
	Add:	
220,508,550.74	1. Interest realised on investment of securities	230,783,285.24
11,116.50	2. Interest on Savings Bank Account	4,205.32
306,341,864.19	TOTAL	362,607,037.52
	Less:	
166,680,429.00	1. Interest credited to members' accounts	158,809,194.00
7,841,888.23	2. Interest paid to vendors	4,663,682.60
174,522,317.23	TOTAL	163,472,876.60
131,819,546.96	BALANCE	199,134,160.92
<del></del>	SCHEDULE No. IX	5.
	Pension-cum-Gratuity A/c	- 3
2,081,436,917.56	Balance as per last Balance Sheet	2,611,369,926.20
	Add:	
300.000,000.00	1. Amount transferred from A/e No. 4	300,000,000.00
3.10	2. Interest realised on Saving Bank Account	19.10
238,909,929.37	3. Interest realised on Securities	258,008,997.42
2,620,346,850.03	TOTAL	3,169,378,942.72
<del></del>	Less:	100
0.00	1. Payment made by the Regions	0.00
8,976,923.83	2. Interest paid to vendors	8.582,190.01
8,976,923.83	TOTAL	8,582,190.01
2,611,369,926.20	BALANCE	3,160,796,752.71
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF		MENERAL



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. X	Rs. P.
	Investment Fluctuation Account	
1,173,329,764.88	A. Gain on redemption of securities     accounted upto 2002-2003	-1,486,326,262.66
-2,771,122,355.20	B. Gain/loss on purchase of securities	-3,279,128,031.65
111,466,327.66	C. Interest of Fluctuation A/c	0.00
-1,486,326,262.66	TOTAL	-4,765,454,294.31
	Less:	
0.00	Gain/Loss on sale of securities	0.00
-1,486,326,262.66	BALANCE	-4,765,454,294.31
	SCHEDULE No. XI	
	<b>Building Construction Fund:</b>	
4,449,780,760.32	Balance as per last Balance Sheet	5,218,859,880.08
	Add:	
500,000,000.00	1. Provisions made during the year	500,000,000.00
269,079,119.76	2. Interest credited to the Fund	229,959,137.97
5,218,859,880.08	TOTAL	5,948,819,018.06

#### Note:

The cost of land and building acquired including advances paid as on 31.3.2004 is Rs. 3,171,021,102.43 and the amount available for construction purposes as on 31.3.2004 is Rs. 2,777,797,915.63



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. XII	Rs. P.
	Building Maintenance (Repair, Renewal and	
	Replacement) Fund:	
105,756,434.50	Balance as per last Balance Sheet	140,828,348.66
	Add:	
24,127,745.38	1. Amount appropriated from Revenue	59,505,884.40
	Surplus	
10,944,168.78	2. Interest credited to the Fund	14,650,418.19
140,828,348.66	TOTAL	214,984,651.25
	SCHEDULE No. XIII	
	Revenue Surplus	
8,493,222,128.83	Balance as per last Balance Sheet	10,271;032,074.82
	Add:	
2,219,175.48	1. Amount adjusted by the Regional Office	1,774,211.00
1,780,954,929.51	2. Excess of Income over Expenditure	3,340,882,469.41
	transferred from Income and Expenditure	
	Appropriation Account	
10,276,396,233.82	TOTAL	13,613,688,755.23
	Less:	
5,364,159.00	). Amount Adjusted by Regional Offices	49,873,280.67
0.00	2 Excess of Expenditure over Income	0.00
	transferred from Income and Expenditure	
	Appropriation Account	100
5,364,159.00	TOTAL	49,873,280.67
10,271,032,074.82	BALANCE	13,563,815,474.56



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. XIV	Rs. P
	Sundry Credits	
	A. Regional:	
328,298,350.07	a. (i) Suspense Account (EPF)	631,839,187.24
203,453,086,67	(ii) Suspense Account (Adm. Fund)	206,714,235.20
1,191,058.26	(iii) Suspense Account (SPF)	. 0.00
4,508,601.18	b. Over Payments	5,701,078.03
7,618,288.47	c. Integular Payments	27,154,762.47
0.00	d. AECD (DA) A/c	0.00
895,000.00	e. Amount payable to EDLI Account	895,000.00
	B. Central:	
85,699,390.00	a. Excess credits in E.P.F Investment Accounts	85,699,390.00
0.00	b. Excess Credits in SPF Investment Account	0.00
0.00	c. Excess Credits in Pen-Cum-Grat. Fund Inv. A/C	0.00
875,009.00	d. Amount not accounted for by the Regions	875,009.00
	though received in A/c No. 5 from A/c No. 1	
122,513,339.00	e. Amount credited to Account No. 1 but	122,513,339.00
	not debited to A/c No. 5	
246,456,403.60	f. Excess credits to Account No. 5	248,890,329.60
26,455,423.88	g. Excess credits to Account No. 8	26,454,000.88
2.936,807.00	h. Excess credits to Account No. 9	1,003,020.00
1,030,900,757.13	TOTAL:	1,357,739,351.42



2002-2003		2003-2004
Řs. P.	SCHEDULE No. XV	Rs. P.
	Investment Account of Employees' Provident Fund	
	A. Securities Purchased Centrally	
FILL COURT OF THE WORLD IN	ar a a a	100
596,991,658,995.74	Balance as per last Balance Sheet	650,317,089,446.91
	Add:	
68,827,194,623.37	I. Amount invested centrally (Cost Price)	129,777,792,031.65
- 2,771,122,355.20	2. Gain/Loss on purchase of securities	-3,279,128,031.65
663.047,731,263.91	TOTAL	776.815,753,446.91
	Less:	
0.00	1. Gain/Loss on sale of securities	0.00
12.730,641,817.00	2. Securities redeemed during the year	63,433,773,667.00
32.730,641,817.00	TOTAL	63,433,773,667.00
650,317,089,446.91	BALANCE (A)	713,381,979,779.91
	B. Securities transferred by Regions	
2,365,384,112.66	Balance as per last Balance Sheer	3,154,526,032.58
	Add:	
330.832,119.92	1 Securities received (Accepted Value)	585,076,279.00
0.00	2 Other Adjustments	0.00
3.196,216.232.58	TOTAL	3,739,602,311.58
	Less:	£3
41.690,200.00	Securities returned to Establishments	1,502,100.00
	(Accepted Value)	
3.154,526.032.58	BALANCE (B)	3,738,100,211.58
653,471,615,479.49	TOTAL(A)+(B)	717,120,079,991.49



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. XVI	Rs. P.
	Investment Account of	
	Staff Provident Fund	
1,943,696,783.83	Balance as per last Balance Sheet	2.253,786,757.58
	Add:	
411,463,373.75	Amount invested Centrally (Purchase Price)	475,443,805.04
2,355,160,157.58	TOTAL	2,729,230,562.62
	Less:	
101,373,400.00	Value of Securities redeemed	127,479,500.00
2,253,786,757.58	BALANCE	2,601,751,062.62
	SCHEDULE No. XVII	
	Investment Account of Pension-cum-Grantity Fund	I (Staff):
2.081,890,397.60	Balance as per last Balance Sheet	2,576,005,807.58
	Add:	
590,248,009.98	Amount invested centrally (Purchase Price)	789,063,548.73
2,672,138,407.58	TOTAL	3,365,069,356.31
	Less:	
96,132,600.00	Value of securities redeemed	220,532,300.00
2.576.005,807.58	BALANCE	3,144,537,056.31



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. XVIII	Rs. P.
	Investment Account of Administration Fund	
9,684.962,119.90	Balance as per last Balance Sheet	11,869,266,483,90
	Add:	
2,186,433,364,00	Amount invested	3,781,615,211.35
11,871,395,483.90	TOTAL	15,650,881,695.25
	Less:	
2.129,000.00	Securities redeemed	28,808,275.67
11.869.266,483,90	BALANCE	15,622,073,419.58
	SCHEDULE No. XIX	
	Recoverable Advances (Staff)	
63,339,001,15	a. Conveyance Advance	57.233,215.86
422,052,786.96	b. House Building Advance	415,849,172.96
123,795.00	c. Fan Advance	157,045.00
60,385,75	d. Warm Clothing Advance	15,061.75
10.980,443.10	e. Festival Advance	11,270,903.50
1.738,940.85	f. Natural Calamity Advance	1,041,325.85
14,020,879.67	g. Advance of Pay DA/TA	17,722,716.04
71.498 25	h. Food Grain Advance	1,217.25
376,332.00	i. Advance to Staff Co-operative Canteen/Store	358,332.00
0.00	j. Computer Advance	2,665,484,43
4,024,449.27	k. Miscellaneous Payments	3,024,608.84
516,788,512.00	TOTAL	509,339,083.48
	SCHEDULE No. NX	
	Amount in Transit	
152,379,699.88	a. EPF Account No. 4	142,087,089.88
264,208,204.40	b. EPF Account No. 5	368,708,070.40
40,556,556.22	c. EPF Account No. 8	23,992,267.25
0.00	d. EPF Account No. 9	0.00
18.080.00	e. Head Office A/c No. 4a	20,407.00
44,827.666.00	f. EPF Investment Account	44,827,666.00
0.00	g. SPF Investment Account	0.00
0.00	h. Pension-cum-Gratuity Fund Investment Account	0.00
501,990,206.50	TOTAL	579,635,500.53



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. XXI	Rs. P
	Cash Book Balance / Cash At Bank	
	A. Cash Book Balance	
-1,297,345.747.15	a EPF Account No: 1	-1.813,798,356.30
300,972,674,54	b. EPF Account No. 2	329,479,715.2
-1,963,357.55	EPF Account No. 3	0.0
13,330,689.82	T. EPF Account No. 4	24,907,389.3
35,272,579.59	e EPF Account No. 5	15,574,032.7
2,639,980.43	EPF Account No. 8	3,165,698,75
866.19	FPF Account No. 9	73.29
-32,524,469,59	Head Office	-448,954.56
4.752.323.25	NATRSS	6,409,378.12
8,801,090,82	EPF Appellate Tribunal	8,790,654.0
-966,063,369.65	TOTAL (A)	-1,425,920,369.3
	B. Cash at Bank	
988,340,804.13	a EPF Investment Account	105,879,596.17
22,926,802.77	b. SPF Investment Account	5,632,100.3
37,767,173.92	e Pension-cum-Gratuity	16,729,732.6
	Investment Account	
1,049,034,780.82	TOTAL (B)	128,241,429.1
82,971,411.17	TOTAL (A) + (B)	-1,297,678,940.1
	SCHEDULE No. XXII	117
	Sundry Debits :	
	A. Suspense (Unclassified) Account	
319,841,635.39	a E.P.F	281,769,659.9
53,588,299.34	h Administration	58,658,027.8
0.00	c SPF	0.0
4,508,601.18	B. Over Payments	5,701,078.0
7,618,288,47	C. Irregular Payments	27,154,762.4
	D. Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9	
325,000,869.95	a Excess accounted for by Regional offices as transfer	459,393,612.4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	to A/e No. 5 from A/c No. 1 & vice versa	
184,805,989.65	b Extra debit made to Account No. 5	54,305,864.6
0.00	c. Excess accounted for by Regional offices as transfer	19,860,913.9
e de rela	to A/c No. 8 from A/c No. 2 & vice-versa	
0.00	d. Erroneous debit made to Account No. 9	25.0
0.00	E. Theft	0.0
895.363.683.98	TOTAL	906,843,944.3



# RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AND BALANCE SHEET OF EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995



## EMPLOYEES' PENSION RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT (Contribution

Dr.

Previous Year	S. No. RECEI	PTS	Amount (Rs.
(1)	(2) (3)		(4)
400,391,655,190.38	1. Opening Balance	c as on 01-04-2003	469,025,784,839.54
43,878,434,524.81	2. (a) Contributio	on of Employers	54,925,475,869.19
3,829,862,491.00	(b) Contributio	on of Govt, 2003-2004	2,219,540,227.00
170,137,509.00	(c) Arrears of c year 2002-2	contribution of Govt up to the 2003	2,280,459,723.00
16,482,600,000,00	3 Interest on the ba Public Account	alance in the	18,154,300,000.00
41,785.803.16	4. Interest on Savin	ng Bank Account	98,067,300.73
25,447,035,132.01	5. Interest received	on Securities	28,635,212,798.59
	6. Other Receipts:		
184,577,841.30	(a) Regional Contrib	oution Account No. 10	1,303,427,193.60
0.00	(b) Central Contribu	nion Account No. 11	0.00
490,426,088,491.66	TOTAL		576,642,267,951,65

#### SCHEME - 1995 FOR THE YEAR 2003-2004 Account)



Previous Year	SI. No	. PAYMENTS	Amount (Rs.)
(5)	(6)	(7)	(8)
	ĭ.	Amount paid to outgoing members/beneficiaries	
0.00		(a) Amount of Employee's share with interest	0.00
7,888,397,079.40		(b) Withdrawal/Retirement Benefits	8,579,988,336.14
1,168,008.00		(c) Life Assurance Benefits	638,451.00
12,096,302,071.83		(d) Pension	14,968,802,012.63
152,489,952.52	2	Amount paid as commission for disbursement of Pension	156,815,607.91
0.00	3.	Amount paid towards Pension Fund Administrative expenses	1,406,730,716.95
0.00	વે.	Amount of securities transferred on grant of exemption	0.00
1,249,728,371.79	5.	Amount paid as accrued interest on purchase of securities	533,645,511.74
	6.	Other Payments:	
12,218,168.58		(a) Regional Contribution Account No. 10	9,505,327.30
0.00		(b) Central Contribution Account No. 11	0.00
469,025,784,839.54	7.5	Closing Balance	550,986,141,987.98
490,426,088,491.66		TOTAL	576,642,267,951.65

Sd/(ANIRUDH RAI)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/(AJAI SINGH)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER



#### EMPLOYEES' PENSION RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT (Administration

Previous Year	S.No. RECEIPTS	Amount (Rs.)
(1)	(2) (3)	(4)
0.00	Amount received from     Government towards cost of     administration 2003-2004	0.00
0.00	Amount received from     Pension Fund fowards     Administrative expenses	1,406,730,716,95
1,084,841,717,19	Amount received from EPF     Administration Account C-F	356,576.001.85

1,084,841,717.19	TOTAL .	1,763,306,718.80

#### SCHEME - 1995 FOR THE YEAR 2003-2004 Account)



Previous Year	St. No.	PAYMENTS	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
413,331,212.95	l.	Amount incurred from LPF		1,084,841,717.1
		Administration Account is F as on I	.4.2003	
	2.	Payment of Administration		
	(A)	Revenue Expenditure		
307.181.237 75	(a)	Salaries	324,648,507.04	
50,939,120.01	(b)	Allowances & Heuranian	55,110,681.90	
7.845,306.60	(c)	T.A. & L.T.C	9,588,990,65	
88.244,699,87	(d)	Pension/Grahuts (Statt)	V4.423,856.59	
115,204,00	(e)	SPF DL1 Benefits	202,962.56	
140.925,420,78	(f)	Other charges (Recurring and Non-recurring)	176,584,419.97	
1,488,208.62	(g)	Grants	2,580,119.84	
6,915,133,42	(h)	Maintenance and Repairs of Office	6,405,174.10	
-		Building etc.		
603,654,331.05	тот	AL	669,544,712.65	669,544,712.65
	(B)	Capital expenditure		
67,856.173.19		Construction of office Building Staf	T Quarters etc.	8,920,288,96

1,084,841,717,19	TOTAL	1,763,306,718.80

Sd/-(ANIRUDH RAI) FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER Sd/-(AJAI SINGH) CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER



#### EMPLOYEES' PENSION BALANCE SHEET AS ON

Previous Year	SI. No.	LIABILITIES	Sch. No	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
469.025.784,839_54	I.	Employees' Pension Fund		550,986,141,987.98
		Contribution Account.		,
	.2	Employees' Pension		
		Fund Admn. Account		
1.084,841,717.19		Amount incurred from		356,576,001.85
		EPF Administration Account		
13.064.407,262.14	Ä	Investment Fluctuation Account		-19.230,453,768.70
516,946,492.40	4	Sundry Credits	ī	468.863,532.90
	,			
457,563,165,786.99		TOTAL		532,581,127,754.03





Previous year	SI. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
210,676,420,291.86	1.	Employees' Pension Fund Contribution Investment kept in Deposit with public account	11	233,330,720,241.86
219,775,628,543,64	2.	Investment in Securities	III	294,085,881,543.64
	3.	Employees Pension Fund Administration Account		
0.00	a)	Amount recoverable from Central		0.00
1.084.841.717.19	b)	Government Amount recoverable from Pension Fund		356,576,001.85
4,645,714,116,44	4.	Cash Book Balance/ Contribution Account	1V	3.353,785,057.62
324,544,689.84	5.	Remittances in transit		231,945,744,84
1,056,016,428.02	6.	Sundry Debits	ν	1,222,219,164,22

457,563,165,786.99		TOTAL		532,581,127,754.03
Previous Year	Foot No	t <u>e</u>		Current Year
Rs.34.295.43 lakh	100	nsion contribution due from	Rs	40,877.96 lakh
		nployers of exempted and unexempted tablishment as an 31 3,2004		
Rs. 2,280,459,723.74	4-7	ension Contribution due from Government on 31.3.2004	Rs.	5,429,145,488.00
Rs. 1,084,841,717,19		ension Administrative cost due from pension fund as 31.3.2004	Rs.	356,576,001.85
		ne investment in secruities are shown in slance Sheet at Face Value.		
	(v) TI	ne accounts have been compiled on		
	ac	Audi Ussia.		

Sd/-

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER.

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. 1	Rs. P.
	Sundry Credits	
272,454,626,52	1. Account No. 10	259,801,413.02
244,491,865.88	2. Account No. 11	209,062,119.88
516,946,492.40	BALANCE	468,863,532.90
	SCHEDULE No. 11	
	Amount kept in deposit with Public Account	
190.193,820,291.86	Balance as per last Balance Sheet	210,676,420,291.86
	Add:	
0.00	(1) Amount deposited in Public Account	0.00
170,137,509.00	(ii) Arrears of Govt, Share upto 2002-2003	2,280,459,723.00
3,829,862,491.00	(iii)Govt_share of Contribution 2003-2004	2.219,540,227.00
16,482,600,000.00	(iv)Interest on Public Account	18,154,300,000.00
210,676,420,291.86	BALANCE	233,330,720,241.86




2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. III	Rs. P.
	Investment in securities	
	A Securities purchased Centrally	
200,304,346,483.19	Balance as per last Balance Sheet	239,775,628,543.64
	Add	
64,090,125,514.95	1 Amount Invested Centrally (Cost Price)	90,950,974.506.56
-6.919,853,454.50	2 Gam/loss on purchase of Securities	-6,166,046,506,56
257.474,618,543,64	TOTAL	324,560,556,543,64
	Less	
0.00	L. Gain-Loss on Sale of Securities	0.00
17,698,990,000.00	2 Securities redeemed	30,474,675,000.00
17,698,990,000.00	TOTAL	30,474,675,000.00
239.775,628,543.64	BALANCE (A)	294,085,881,543.64
	B. Securities transferred by Regions	
0.00	Balance as per last Balance Sheet	0.00
	(Accepted Value)	
	Add:	
0.00	1. Securities received (Accepted Value)	0.00
0.00	2. Other adjustment	0.00
0.00	TOTAL:	0.00
	Less:	
0.00	Securities returned to establishments	0.00
	(Accepted Value)	
0.00	BALANCE (B)	0.00
39.775,628,543.64	TOTAL (A+B)	294,085,881,543.64



3-2004	2003		2002-2003
P.	Rs.	SCHEDULE No. 1V	Rs. P.
		Cash Book Balance	
859.50	3,242,241,8	1. Account No. 10	2,129,982,465,75
645.37	78,147.6	2. Account No. 11	33,140,878.23
552.75	33,395,5	3. Balance with SBI Mumbai	2,482,590,772.46
057.62	3,353,785,0	BALANCE	4,645,714,116.44
		SCHEDULE No. V	
		Sundry Debits	
364.41	1,065,559,3	1. Account No. 10	897,756,437 21
799.81	156,659,7	2. Account No. 11	158,259,990.81
164.22	1,222,219,1	BALANCE	1,056,016,428.02
		SCHEDULE No. VI	
		Other Receipts	
		Regional Contribution Account No. 10	
415.84	396,976,4	. (a) Penal Damages	116,898,343.68
367.76	824,230,3	(b) 7Q Interest	39,920,009.86
186.79	36,980,1	(c) Undelivered refunds credited	24,551,575.91
376.81	40,497,3	(d) Amount received from A/c No. 1 on	19,426,521.45
		account of diversion of fund.	
964.40	3,736,9	(e) Amount received from other Regions	3,207,911,85
882.00	1,005,8	(f) Miscellaneous receipts	0.00
193.60	1,303,427,1	TOTAL	204,004,362.75



#### RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AND BALANCE SHEET OF EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976





# EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT (Contribution

Previous Year	SI.No.	RECEIPTS	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
31.479,015,425.38	1,	Opening Balance as on 01-04-2003	35,393,585,171.09
1.586,167,609.99	2.	(a) Contribution of Employers	1,753,593,853.07
0.00		(b) Contribution of Gov1 2003-2004	0.00
2.210,800.000.00	3.	Interest on Investment	2,398,700,000.00
		in Public Account	
677,047.343.98	4	Interest on Investment	795,397,723.75
		in securities	
1,724.660.29	5.	Interest on Savings Bank Account	1,756,399,92
16,652,529.11	6.	Penal Damages	27,775,658.20
	7.	Other Receipts in	
16,077.38	a)	Account No. 21	46,051.00
0.00	b)	Account No. 25	0.00

35,971,423,646.13	TOTAL	40,370,854,857.03
,,,-		

### INSURANCE SCHEME - 1976 FOR THE YEAR 2003-2004 Account)



Amount (Rs.)	PAYMENTS	SJ. No.	Previous Year
(8)	(7)	(6)	(5)
507,805,409.92	Assurance benefits	1.	545,257,827,50
0.00	Amount refunded to employers on grant of exemption	2.	0.00
22,279,241.22	Amount Paid as accrued interest on purchase of securities	3,	32,343.540,54
44,685.00	Other Payments in a) Account No. 21	4,	237,107,00
0.00	b) Account No. 25		0.00
39,840,725,520.89	Closing Balance	5.	1,393,585,171,09

35,971,423,646,13	TOTAL	40,370,854,857.03

Sal-

(ANIRUDH RAI)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONES



# EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED BALANCE SHEET AS ON

Previous Year	Sl. No.	LIABILITIES	Sch. No.	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35,393,585,171.09	1.	Employees' Deposit Linked Insurance Fund Account		39,840,725,520.89
8,070,479,241.38	2.	Employees' Deposit L Insurance Fund Adm.		8,716,099,702.95
-386,141,713.13	3.	Investment Fluctuation	1 Account	-685.138,682.27
223,061,209.00	. 4	Sundry Credits	1	198,713,895.86
43,300,983,908.34		TOTAL		48,070,400,437.43





Previous Year	St. No.	ASSETS	Sch. No.	Amount (Rs.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	Investment Account . (a) Employees Deposit Linked		
		Insurance		
6,632,216,3(19,65	(i)	Investment in Securities	11	8,423,551,209,05
28.220,014.794.14	(ii)	Deposit in Public Account	113	30,618,714,794.14
	(b)	Employees Deposit Linked Insurance		
		Adm. Fund Account		
8,100,4,6,645,23	(1)	Amount invested	IV	8,761,252,159.01
		in deposits		
-44,237,057,31	(ii)	Amount due trons	V	-52,491,119.92
		E.P.F. Adm. Account		
143,952,627.37	. 2.	Cash Balance	Vi	104,313,186.83
150.758,036,43	3.	Remittances in transit	VII	117,540,081.38
97,862,653.43	4.	Sundry Debits	VIII	97,520,126.94
43,300,983,908.34		TOTAL		48,070,400.437.43

Previous Year	Foot Note:	Current Year
Rs. 2,612.56 Lakh	E.D.L.I. Contribution due from employers as on 31-3-2004	Rs. 3,445.97 Lakh
Rs. 317.61 Lokh	<ol> <li>E.D.L.J. Adm, and Inspection charges due from employers as on 31-3-2004</li> </ol>	Rs. 336.90 Lakh
	<ol> <li>The investment in securities are shown in the Balance Sheet at Face Value.</li> </ol>	n
	<ol> <li>The accounts have been compiled on actual basis.</li> </ol>	

Sd/(ANIRUDH RAI)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

SG/(AJAI SINGH)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. 1	Rs. P.
	Sundry Credits	
33.265.273.76	1. Excess credit in A/c No. 21	30.787,385.8
113.793.585.73	2. Excess credit in A/c No. 25	86,069,864.3
1.344,061.55	<ol><li>Excess credit in RBI A/c</li></ol>	1,344,061.5
15.492.395.41	4. Excess credit in A/c No. 22	13,956,288.36
59.165.892.55	5 Excess stedit in A/c No. 24	66,556,295.76
223,061,209.00	BALANCE	198,713,895.86
	SCHEDULE No. 11	
	A. Securities Purchased Centrally	
5.238.854.056.67	Balance as per last Balance Sheet	6.632,216,209.05
	Add :	
2.054,240.167.18	1. Amount invested centrally (Cost Price)	2,857,451,969.14
-205.378,014.80	2 Gain/Loss on purchase of securities	-298,996,969.14
7.087.716,209.05	TOTAL	9,190,671,209.05
	Less:	
0.00	<ol> <li>Gain-Loss on sale of securities</li> </ol>	0.00
455.500,000.00	2. Securities redeemed	767,120,000.00
455,500.000.00	TOTAL.	767,120,000.00
6.632.216,209.05	BALANCE (A)	8,423,551,209.05
	B. Securities transferred by Regions	
0.00	Balance as per last Balance Sheet	0.00
	(Accepted Value)	
	Add ;	
0.00	<ol> <li>Securities received (Accepted Value)</li> </ol>	0.00
0.00	2. Other adjustments	0.00
0.00	TOTAL	0.00
	Less:	
0.00	Securities returned to Establishments	0.00
and the state of	(Accepted Value)	
0.00	BALANCE (B)	0.00
5.632,216,209.05	BALANCE (A+B)	8,423,551,209.05
		7-51
	37	
- The water the	And the process of the control of th	



P.
94.14
0.00
0.00
0.00
00.00
94.14
45.23
00.00
13.78
59.01
0.00
59.01
38
057.3
and the
000.00
057.3
062.6
119.9



2002-2003		2003-2004
Rs. P.	SCHEDULE No. VI	Rs. P.
	Cash Book Balance / Cash at Bank	
46,116,623,76	1. Account No 21	56,558,696,58
220,446.10	2. Account No. 25	617,327.20
-858,295,23	3. Account No. 22	1,149,297.09
704_929.55	4. Account No. 24	511,429.38
97,768_923 19	5 Balance with SBI, Mumbai	45,476,436.58
143,952,627,37	BALANCE	104,313,186.83
	SCHEDULE No. VII	
	Remittances in Transit	
128.124.741 79	1. From A.c No. 21 to 25	97,871,333.44
532,224.15	2. From Bank to A/c No. 25	532,224.15
22,101,070.49	3. From A/c No. 22 to 24	19,136,523.79
150,758,036.43	BALANCE	117,540,081.38
	SCHEDULE No. VIII	
	Sundry Debits	
33,617,157.31	1. Account No. 21	33,180,751.77
26,544,780.50	2. Account No. 25	26,594,898.50
9,856,346.88	3. Account No. 22	9,908,149.93
27,844,368.74	4. Account No. 24	27,836,326.74
97,862,653.43	BALANCE	97,520,126.94

### AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION FOR THE YEAR 2003-04



AUDIT REPORT - OBSERVATIONS	COMMENTS OF THE ORGANISATION
Introductory	
The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) came into existence in 1952 following the enactment of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The Act was further amended in 1971, 1976 and 1995 to provide adequate and long-term protective benefits to the families of the employees in the event of their premature death. The Family Pension (FP) Scheme and the Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme came into force with effect from 1.3.71 and 1.8 1976 respectively. The Family Pension Scheme 1971 ceased after 15.11.95 and the entire corpus of the Family Pension Scheme was merged with the Employees' Pension (EP) Scheme, 1995.	No Comments, being factual
Objectives	
(i) The broad objectives of EPFO are to extend social security benefits to the working class in the form of Provident Fund, Pension and Insurance benefits. The broad functions of the EPFO to fulfill these objectives are:	No Comments, being factual
Enforcement of provisions of Employees' Provident Fund and (EPF) Miscellaneous Provisions Act. 1952.	
Recovery and management of money held in trust, and	
Providing satisfactory services to the members of the Schemes.	
(ii) The three schemes viz EPF Scheme, EP Scheme and EDLI Scheme are administered by the Central Board of Trustees, a tripartite body headed by the Union Labour Minister. It comprises representatives of Central/State Government. Employees.	No Comments, being factual
(iii) Under the EPF Scheme, employees are to contribute 10 or 12 per cent of their pay (based on class of establishment) matched by similar contribution from their employers. The money is deposited with the EPFO where it is invested as per pattern of investment prescribed by the Government. As on 31st March 2004, the amount of EPF invested is at Rs. 71712.00 crore.	No Comments, being factual except that out of the contribution of the employer, 8.33% is diverted to Pension Fund while balance remains with the Provident Fund.
(iv) EP Scheme. 1995 is financed through contribution from the employers at the rate of 8.33 per cent of the pay of employees and the Central Government also contributes 1.16 per cent of the pay of the employees. The Central Government share and interest on the investment in Public Account is reinvested in the Public Account. After providing for annual benefits, the surplus, if any, is invested as per the pattern of investment prescribed under Para 52 of EPF Scheme. The corpus of this Scheme as on 31st March 2004 stands at Rs. 23333.07 crore in Public Account and Rs. 29408.59 crore in securities.	No Comments, being factual
(w) The EDLI Scheme 1976 is financed by contribution from employers @ 0.5 per cent of their employees' pay. Under this Scheme, benefits are available to the family members of the subscribers who die in harness. The balance in this secount invested as on 31st March, 2004 stands at Rs. 3061.87 erore in Public Account and Rs. 842.36 crore in securities.	No Comments, being factual. Total administrative expenditure of the three schemes are met from administration account of EPI scheme in the first instance and in



The administrative expenditure of EPF Scheme is met by levy of separate contributions on the employers @ 1.10 percent of wages from un-exempted establishment and @ 0.18 percent of wages as inspection charges from exempted establishment w.e.f. 1st August 1998.

appropriated at the ratio of 83:16:1 amongst the three schemes at the end of the financial year.

The administrative expenses of EDLI Scheme are met by contribution @ 101.01 per cent of wages of employees by the employers of unexempted establishments and @ 0.005 per cent of wages towards inspection charges from exempted establishments.

The administrative expenses of Employees' Pension Scheme, 1995 are reimbursed in full by the Pension Fund of the Employees' Pension Scheme, 1995.

The audit of the EPFO is conducted under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act. 1971 read with provision contained in Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provision Act. 1952.

#### Comments on Accounts

#### 2. Balance Sheet

#### 2.1 Liabilities

#### 2.1.1. Understatement of Liabilities Rs. 2468.11

Minus balances of Rs. 476.55 crore, Rs. 1923.05 crore and Rs. 68.51 crore have been depicted under the head "Investment Fluctuation Account" on the liability side of Balance Sheet of EPF Scheme, EP Scheme and EDL1 Scheme respectively. Instead of exhibiting minus balances in liabilities side these balances should have been depicted on the assets side of the respective Balance Sheets. This resulted in understatement of liabilities by Rs. 2468.11 crore. Depiction of minus balance of Rs. 246.11 crore in the liability side of Balance Sheet, resulted in understatement both assets and liabilities. Thus, the Balance Sheet did not depict true and fair view of accounts.

EPFO stated (December 2004) that the treatment of namus balances was done as per the approved format of accounts. The reply is not tenable, as EPFO should switch over to the new/common format of accounts prescribed by the Government of India. Ministry of Finance for the central autonomous bodies, so as to bring about uniformity and transparency in the accounts.

a) In strict sense "Investment Fluctuation Account" is not a liability for EPFO, it is merely an adjustment account wherein premiums / discounts on the fresh investments is adjusted with a view to show the investment at Face Value in accordance with accounting policies being followed consistently. Nothing out of this account is payable to any party. Thus, liabilities are not understated.

Further, the Organisation has already taken steps to modify the treatment /way of depiction of this account in line with the relevant Accounting Standard of bCAI on investment, and got the new policy of allowing for amortization procedure during the currency of the life of a security itself, approved by the CBT, EPF. The proposed procedure will be implemented after the approval of the C&AG.

b) As per Sec. 5A(5) of EPF&MP Act, the format of accounts followed by EPFO has



been prescribed by the Central Govt. in consultation with C&AG, and, as per the format, this account has to be shown on liability side only.

Further, acceptance of the observation of the Audit will require prior approval of the Central Govt. and C&AG of India, as it will result in changes in the present format of final accounts

Considering above, it is submitted that there is no understatement of hability in this case.

#### 2.1.2

Minus balance under the head Group Insurance Scheme of Rs. 6.26 lakh and Rs. 1.77 lakh has been depicted on liability side of the Balance Sheet of Corporate Headquarters and Regional Office, West Bengal instead of showing this on Asset side of the Balance Sheet. This resulted in understatement of liability of the organisation by Rs. 8.03 lakh.

EPFO stated (December 2004) that appropriate measures to clear the minus balances will be taken during the financial year 2004-05.

- a) Such negative balance may occur under this head as payment to LIC is made on the receipt of their demand note for keeping the policies of the employees alive whereas it takes sufficient time before the contribution recovered from their salaries reaches corporate office. Further, the amount of Rs.6.57 Lakh related to GIS receipts was wrongly credited to A/c No. 4 instead of A/c No. 4A during previous years thereby leaving a minus balance in the head. The rectification, which would be made in the financial year 2004-05, will clear the negative balance in the head.
- b) Since the amount of Rs. 1.77 lakh pertains to a regional unit, appropriate measures will be taken in the final accounts of that unit for the year 2004-05.

#### 2.1.3 Unverified liabilities

Rs. 1.01 crore has been shown under the head "Group Insurance Scheme (old)" on the liability side of the Balance Sheet of the Organisation. This scheme has been discontinued and the amount has been already paid to the entitled staff members by the Regional Offices and was to be reimbursed on by EPFO (Hqrs.).

This was also pointed out in previous year's audit report, but no efforts were made by EPFO to resolve the issue.

EPFO stated (December 2004) that dues are to be reimbursed to ROs/SROs

Sum of Rs. 100.89 lakh is Organisation's liability towards final settlement under GIS (Old). In fact, the dues have already been paid to the entitled staff members by respective ROs/SROs. These amounts are to be reimbursed to the



after receipt of debit notes from them. The reply of the organisation is not tenable as the Regional Offices have not shown Rs. 1.01 crore as recoverable from HQrs. This had resulted in depicting of unadjusted internal transactions in the Balance Sheet, which have to close to balance, at the end of the year.

ROs/SROs by Headquarters office after receipt of debit notes from them for which instructions have already been assued. Since the matter is old, the regional units will take some time in verifying the records of beneficiaties before issuing debit notes.

#### 2.174 Interest Suspense Account Rs. 8,408,88 crores

The interest earned on Employees Provident Lund balance and the penal damages on belated contribution received from the employers, during the year, are credited to Interest Suspense Account in profession account. Thereafter, while closing Annual Accounts, the interest is credited to the subscribers' account and the Interest Suspense Account is debuted by the same amount. As on 31.3.2004, there was a credit balance of Rs. 8408.88 erore in the Balance Sheet of Employees' Provident Fund Scheme. The year-wise position of interest suspense account for last 5 years from 1999-2000 anwards is given below.

(Rs. in lakh)

Year	Balance of the previous year	Interest earned during the year	Interest debited to suspense account	Closing Balance
1999-00	817,617	311.779	545,123	784,273
2000-01	784,273	562,809	544,859	802,223
2001-02	802,223	575,079	584.353	792,949
2002-03	. 792,949	595.301	556,938	831,312
2003-04	831,312	607,670	598,094	840,888

EPFO stated (December 2004) that out of Rs. 8408.88 crore, Rs. 2332.18 crore pertains to interest earned up to 2002-03 and Rs. 6076.70 crore to interest earned during 2003-04, which was to be credited to members accounts during next year. Reply is not tenable as similar discrepancy was also pointed out in the previous Audit Report, yet closing balance of the current year increased to Rs. 8408.88 crore as compared to the closing balance of Rs. 8313.12 crore of the previous year.

Our of Rs 8,40,888 lakh, Rs. 2,33,218 lakh pertains to interest earned up to 2002-03 and Rs. 6,073,770 lakh to interest earned during 2003-04, which is to be credited to members' accounts during next year. One year's earnings always remain as balance in the Interest Suspense Account. The balance of Rs. 2,33,218 lakh represents the amount of interest to be credited in those members' accounts, which have not been compiled up to 2002-03.

#### 2.1.5

Rs. 89.58 crore as Interest payable @ 9.5 percent on unclaimed deposits of Rs. 942.95 crore for the year 2003-04, was not shown separately under the head unclaimed deposit account on the liability side of Balance Sheet.

EPFO stated (December 2004) that as per approved format of accounts, there is no provision to show interest payable on Unclaimed Deposit Account separately. This deticiency was being taken care of in the retooled accounting procedure under

As per approved format of accounts, there is no provision to show interest payable on Unclaimed Deposit Accounts separately. This deficiency is, however, being taken care of in



BPR. Reply is not tenable as interest payable on unclaimed deposits must be shown separately under the head unclaimed deposit on the liability side of Balance Sheet in order to reflect the true and fair picture of accounts.

retooled accounting procedure under BPR.

#### 2.1.6 Minus balance in Special Reserve Fund (SRF)

As per Special Reserve Fund (SRF) register, a minus balance of Rs. 5.04 erore and Rs. 1.98 lakh has been shown under the head Special Reserve fund by the Regional Office, W. Bengal and Gujarat respectively. The reasons for minus balances were not intimated to audit. Thus, the figures of Special Reserve Fund register maintained by EPFO is discrepant with those relatable figures of HQrs.

EPFO stated (December 2004) that manus balances were due to nonrecording of authorisation of fund to these unus and incorrect inclusion of nonrecoverable payments such as money order commission, DRF etc., in the register.

The SRF register simply displays utilisation of fund by a unit against sanction. It never signifies any kind of cash flow management. The minus balances of Rs. 503.85 lakh and Rs. 1.98 lakh pertaining to ROs West Bengal and Gujarat respectively were due to non-recording of authorization of fund to these units and incorrect inclusion of non-recoverable payments such as Money Order commission, DRF etc., in the Register, This discrepancy in depiction has virtually no impact on the working of the SRF.

### 2.1.7 Difference between Special Reserve Fund (SRF) Register and Annual Accounts figure

As per Special Reserve Fund (SRF) Register, Rs. 0.23 crore has been shown as paid during the year 2003-04 whereas in the Consolidated Balance Sheet it was shown as Rs. 3.79 erore. The difference of Rs. 3.56 crore needs reconciliation. Thus, the balance of SRF shown in Balance Sheet of EPFO did not depict true and fair view of state of affairs.

EPFO stated (December 2004) that efforts were on to reconcile the figures shown in register with the actuals.

The SRF Register is maintained on the basis of monthly Returns received in Headquarters, which, sometimes, are not up-to-date whereas Balance Sheet is compiled on actual utilisation basis. The difference of Rs. 356.37 lakh is primarily due to this reason and the grounds mentioned in reply to the Para 2.1.6. Though this has hardly any impact on the working of the SRF yet efforts are on to reconcile the figures shown in register with the actuals.

#### 2.2 Assets

#### 2.2.1 Understatement of Assets

Minus balance of Rs. 5.25 crore was shown under the head "Amount due from EPF Admn. Account" on its Assets side of the Balance Sheet of EDL1 Scheme. This minus balance should have been depicted on the liability side. This has resulted in understatement of assets by Rs. 5.25 crore. Depiction of minus balance of Rs. 5.25 crore under the head "Amount due from EPF Admn. Account" in the assets side resulted in understatement both assets and liability.

a) As per the approved format of accounts, this account has to be shown on assets side only. Further, acceptance of the observation of the audit will require prior approval of the



EPFO stated (December 2004) that as per the approved format of accounts, this account had to be shown on asset side and acceptance of the observation would require prior approval of Government of India and Comptroller and Auditor General of India. The reply is not tenable as the entry does not relate to format of accounts but with the basic principle of accounting according to which all minus balances under assets are to be considered in the liability side only

Central Govt, and C&AG of India as it may result in fundamental changes in the present format of final accounts.

hi During the course of audit also, a request was made to audit to give direction for its correct depiction but no reply has been received till date.

#### 2.2.2 Overstatement of Assets

Rs. 63.36 lakh was paid during the year 2002-03 to NBCC Etd as advance for construction of additional staff quarters but the amount was booked under the head Land and Building (assets acquired) instead of Land & Building (Advance) for staff quarters in the Balance Sheet of Corporate headquarters. This resulted in overstatement of Land and Building by Rs. 63.36 lakh in the Balance Sheet of Corporate Headquarters and understatement of Land and Building (Advances).

Required rectification will be made in the Balance Sheet of the unit for the year 2004-05.

EPFO stated (December 2004) that the required rectification would be made in the Balance Sheet of the unit for the year 2004-05.

#### 2.2.3 Unverified Assets

(i) Rs. 204.85 erore on account of assets acquired and Rs. 112.26 erore on account of Advances paid were shown under the head "Land and Building" of EPF Scheme Balance Sheet. Entries of assets acquired during the year were not found recorded in the register of Assets. Hence, correctness of the figures shown in the Balance Sheet could not be verified.

EPFO stated (December 2004) that the statement showing the details of additions during the year was also sent by the concerned regions, which was not received from all the regions till the completion of audit. Assets Register in respect of six regions had been reconciled till date. Reply is not tenable as the value of assets shown in Balance Sheet must be tallied with the value of assets shown in Assets Register.

Procedure relating maintenance of records for Fixed Assets acquired and advances pand is decentralized and the concerned regions only maintain all the related documents and registers. The figures with regard to acquisition of assets and advances paid in respect of Regional Offices are shown in their balance sheets and are audited by the A.G.s of their states. Thereafter, these are sent to Headquarters for Corporate sentication and consolidation in the Consolidated Balance Sheet of EPFO. However, along with these figures, a statement showing the details of additions during the year is also sent by the concerned regions, which was not received from all the regions till the completion of audit. Register in respect of six regions has been reconciled till date.



(ii) Investment of Rs. 23333.07 crore of EP Scheme 1995 and Rs. 3061.87 crore of EDL1 Scheme 1976 were shown under the head "Deposit in Public Account" on the Assets side of the respective Balance Sheets which were required to be reconciled with the PAO. Ministry of Labour. In the absence of reconciliation, correctness of these assets could not be verified.

EPFO stated (December 2004) that the Government of India credited interest in Public Account every year on the inflance shown by EPFO in its Balance Sheet and no further reconciliation with the PAO was required. The reply is not tenable.

The front of India credits interest in Public Account every year on the balance shown by EPFO in its Balance Sheet, Thus, the balance shown in Public Account as on 31.3.2004 is confirmed by the Central Government and requires no further reconciliation. This can be venified from the fact that EPFO in its letter No. Budget 7(2)96/ PS 1336 dated 26th September 2003 claimed a sum of Rs. 1815.43 crores as interest on Pensam Fund kept in Public Account for the year 2003-04 on the basis of the Opening Balance of the Public Account shown in the Balance Sheet of the Organisation as on 1.4.2003, which the Ministry of Labour has accordingly sanctioned & conveyed through various communications.

#### 2.2.4 Remittance in Transit

Amount transferred from one account to another account or amount wrongly credited by the bank in different accounts at the close of the financial year, is credited to the concerned accounts in the next financial year. Till it is not transferred/credited in the account to which it belongs, it is classified under the head "Remittances in Transit".

Against Remittance in Transit, in Balance Sheet of the EPF Scheme, EP Scheme and EDLI Scheme, amounts shown were Rs. 57,96 crore, Rs. 23,19 crore and Rs. 11,75 crore respectively, year wise break-up of which is given below:

a) Employees' Provident Fund Scheme

(Rs. in lakh)

Year	Account No. 4	Account No. 5	Account No. 8	Account No. 4A	EPF Investment	Total
Upto 1999-2000	536.22	1.997.08	112.75	-	448.28	3,094.33
2000-01	392.21	5.00	30.49			427.70
2001-02	104.03	1	0.06			104.09
2002-03	75.16	4	11.82	- 11		86.98
2003-04	313.25	1685.00	84.80	0.20	- 18-14	2,083.25
Total	1,420.87	3,687.08	239.92	0.20	448.28	5,796.35

implementation of the provisions of EPF & MP Act, 1952 and three schemes framed there under is done through a network of 106 field offices called ROs, SROs and SAOs. The nature of the business activities of the Organisation requires huge financial transactions. In such a scenario, remittances in transit towards the close of the year are un-avoidable. The amount in transit is inherent in the system as the amount transferred during the last week of March is credited to the account in the next financial year. Therefore, there cannot be a Nil balance in the Account. Some times credit is given in the wrong account and that amount is also shown as amount in transit. The amount in transit is constantly monitored and the details are



#### b) Employees' Pension Scheme

(Rs. in lakh)

Year	Remmittances in transit
Upto 1999-2000	1,804.46
2000-01	0.00
2001-02	(2)(00)
2002-03	1(0)
2003-04	315.00
Total	2,319,46

#### c) Employees' Deposit Linked Insurance Scheme

they said and his

THE PERSON NAMED IN							
Total	R.B.L.	Account No. 25	Account No. 24	Year			
074,07	845	791.89	176.86	Upto 1999-2000			
47.51	17	42.39	5.12	2000-01			
25 13		21.00	4.13	2001-02			
71.02	3+0	12.00	-0.08	2002-03			
116	•	111,43	5.34	2003-04			
1.175.46	5.32	978.71	191.37	Total			

Due to non-clearance of the above transitory head, actual halance accounts mentioned above could not be checked.

EPFO stated (December 2004) that remittances in transit fowards the close of the year were unavoidable and these amounts were constantly monitored. Reply is not tenable as the amount under the head 'remittance in transit' includes old remittances prior to the year 1999-2000 as well. This resulted in incorrect depiction of cash and bank balances.

#### 2.2.5 Erroneous debits/ credits

Amount belonging to one account may erroneously be credited debited to another account by the Bank. In the receipt and payment accounts of the following accounts, erroneous debits/excess credits/missing credits were shown

Rs. in lakh)

Account No.	Erroneous credit by Bank	Erroneous Debit by Bank
5	2488.90	543.06
8	264,54	198.61
9	10.03	
11	2090.62	1566.60
24	665,56	278.36
25	860.70	265.95
10	2598.01	10655.59
21	307.87	331.81
22	139.56	99.08
Total	9425.79	13939.06

furnished to the Region for taking up the matter with the Bank for credit of the amount. As a result of constant monitoring, amounts in transit in respect of EPF, EPS & EDL1 schemes for the year preceding to 2003-04 have reduced by 26.03, 44.40 & 29.78 % respectively as compared to previous year (the amounts pertaining to year 2003-04 are subject to clearance during current year. However, amounts of Rs. 1745.92 lakh, Rs. 515.00 lakh and Rs 127.60 lakh have been cleared in respect of EPF, EPS and EDLI Schemes respectively

The reconciliation of these figures is a continuous process and the efforts are accordingly underway to reconcile the figures with the Bank. As a result, the Erroneous Debit pertaining to accounts maintained by Head-quarters Office has come down by 28.23% whereas the Erroneous Credit by 7,97%. The remaining accounts are maintained by Regional Offices and the item-wise details of erroneous debits/credits in these accounts are available with field offices of the Organisation only. They have been directed to



In the absence of year-wise details and non adjustment of erroneous debits credits missing credits, actual balances in the trave accounts could not be accounted

This was also pointed of a first previous years undit report but no effort were made to clear the erronesses cred scaled as by EPFO. In view of the above, the correctness of the bank scaled as appeared in the annual accounts could not be checked for want of second in the statement of time barred charges which have not been cancelled, and were any on the second.

EPFO stated (December 2011) and two continuous these figures which is continuous process. If the obtain that an obtain had been reduced by Re. 1.72 crore and enteners a transfer to the second date. Reply to not instable as the clearances are mainly as obtained by a large amounts that second as the reconciled in different contributes.

clear them on priority basis. Progress in this respect is being monitored by the Headquarters. (However, as reported by the Regional Offices, Erroneous Debits have been reduced by Rs. 171.91 linkh and Erroneous Credits by Rs. 552.79 Lakh till

#### 2.2.6 Physical verification of a con-

As per tale 11% to the first to the expectation for the expectation of assert of all the conducted once in a sea to a process and embedding on the expectation of the

EPFO stated (Desertion 1994) if a payment verify the object at the stander progress.

Physical verification of assets in some of the Regions could not be completed before 31.3.2004 and the same is under progress.

#### 2.2.7 Overpayment / Irregular Fayment

#### A. Overpayments

Overpayments made to the metabole of the haplovees' Provident Fund are exhibited under this head of the life, made Sheet of the Regions. Annual figures of all the Regions are shown to the quarter of all sheet of the EPLO for last fixe years as below:

(Es. in Lish);

	Opening Balance	Add smooth	Less Amount recovered	Closing Balance
1999-2000	14.58	- 1	2.70	In 70
2000-2001	12 =0	. 5-	7.07	I+of.
2001-2002	10 v:	14 [3]	19.03	35.05
2002-2003	376 175	1 € 1401	6.95	45 00
2003-2004	3816H	21 23	9.34	57.01

This was also pointed out in the presents year's audit report but no efforts were made by the EPFO to recover the overpaid amount. Depiction of overpayments as "Assets" was irregular. This has us be considered in the Income and Expenditure Account appropriately. All the overpayments shown in the Balance Sheet are not fully recoverable. Hence, these payments could not be treated as assets. This had resulted in overstatement of assets and understatement income/expenditure for the year which could not precisely stated.

EPFO stated (July 2004) that the Regions had been directed to expedite the recovery process. EPFO further stated (December 2004) that Rs. 9.31 lakh had been recovered out of Rs. 21.23 lakh overpaid during 2003-04.

Rs. 21 23 lakh were overpaid during 2003-04 while Rs. 9.31 lakh were recovered during same period There is an internal detecting mechanism for overringgular payments in the field units. After detection, the loss is made good by taking proportionate punitive actions against the responsible officials by the concerned unit. These payments are properly accounted for, and monitored through Over Payment Register and Over Payment Committee. Most of the amount under this head relates to the period prior to 1999-2000 The Regional Offices have filed civil suits/criminal proceedings against the employees of the organisation as well as some of the outsiders involved in these payments for recovery of this



#### 3. Income and Expenditure Account

#### 3.1 Expenditure

3.1.1 Rs. 9.78 erore spent on distribution of gold coins as incentive to staff during 2003-04 on the eve of Golden Jubilee Year of EPFO was wrongly booked in Income and Expenditure account of Corporate Headquarters under the head Publicity' instead of incentive to employees of EPFO.

Int(1) stated (December 2004) that there was no standard account head as "Incentive to Unployers" in expenditure profile of the eigenstation whereas mances of such activities were conventionally being a receipt made the field "Pubbeins" in 1/140. Reply is not temble as incentive good to estimate the treated in accounts as Publicity.

There is no standard account head as "Incentive to employees" in expenditure profile of the organisation whereas nuances of such activities are conventionally being covered under the head "Publicity" in EPFO.

#### 3.1.2

Rs 80.44 fall is no been shown in the Income and expendible Account of Corporate He alguarders under the head 'annual management of computers whereas as per records of 38 Division it has been intimated as 16. 1.75 lakh only The difference of Rs 78.09 lakh needs reconciliation.

EPLO stated (December 2004) that the process of rectification of misclassification of heads was underway

The amount of Rs. 80.44 lakh represents gross amount including the cost of hardware procurement etc. This does not pertain to annual maintenance only The process of rectification of misclassification of heads is already under way.

#### 3.1.3

In Income and Expenditure Account there were differences in figures of amount transferred from Account No. 4 to Account No. 2 in respect of the following Regional Offices, which need reconciliation

(Rs. in Lakh)

S. No.	Name of the Region	Amount Transferred by HQ from A/c No. 4	Amount Shown by ROs in A.c. 2	Difference
1	Head Office	4422.10	4443.30	-21:29
2	Harkhand	6,00	000	5.99
3	Managhtui	260.90	220.34	. 3436
-1	Madh) x Pradech	270.34	230.04	40.30
5	Pun(alt	164.04	140.60	23,44
6:	Tamil Nadii	268.89	275.25	11.64
7	Uttar Pradesh	954.50	921.31	33.19
8	Uttranchal	17.48	11.49	5.99
	Total	6382.25	6248.62	133.62

In essence, this difference denotes the amount in transit in Account No. 2 maintained by Regional Offices. While reconciling the Balance Sheets of these units at the time of consolidation. considering the nature of their classification, these transfers are included in the Income and Expenditure Account of the Organisation and thus, their treatment in Account No. 4 maintained by the Banking section of the Headquarters is accordingly done away with. This depiction is, however, proposed to undergo a change in retooled accounting procedure under BPR.



#### 4. Receipts and Payments Account

#### 4.1 Receipt

#### 4.1.1 Non-depiction of transaction in the Receipt and Payment Account

(a) The EPFO has shown the following amount as receipt in the Receipt and Payment Account (contribution Account) Employees Pension Scheme-1995.

Rs. in Crore

11	Areas of contribution of Government up to the year 2002 05	228,04
1111	Contribution of Government 2003-04	221.95
ETE.	Interest on the balance in the Public Account.	1815.43

The above amount has been deposited in the Public Account by the Covernment of India and taken as Receipt in the Receipt and Payment Account. Payments made out of the above direct contributions, in the form of investments, are not routed through Receipt and Payment Account. The balancing figure in the Receipt and Payment Account is taken as closing balance. Therefore, the figures depicted in the Balance Sheet are not relateable to the transactions reflected in the Receipt and Payment Account.

(b) Similarly an amount of Rs. 239.87 crore received from Government on account of Interest on Investments in Public Accounts of Employees Deposit linked Insurance Scheme-1996 has been shown as "Receipt" in the Receipt and Payment Account. This amount has been deposited directly in the Public Account by the Government of India and taken as receipt in the Receipt and Payment Account. Payments made out of the above direct deposit in the form of investments were not routed through Receipt and Payment Account. The balancing figure in the Receipt and Payment Account is taken a closing balance. Therefore, the figures depicted in the Balance Sheet are not relateable to the transactions reflected in Receipt and Payment Account.

- (a) (i) This observation was not included in the Draft Audit Report sent to EPFO for comments.
- (ii) The Receipt & Payment Account (Contribution A/c) in EPS, 95 shows the various kinds of inflows and outflows in the form of pension contributions which has an effect of increase decrease in the corpus (Pension Fund) of EPS, 95. Govt. share of pension contribution is shown as 'Receipt' in this A/c because it increases the corpus of EPS, 95 but direct investment of the same in public account does not affect the corpus of EPS, 95 in any manner, therefore it cannot be routed through this A/c. The closing balance appearing in Receipt 3. Payment (Contribution) A/c represents the total corpus available in EPS, 95 as at 31st March 2004 and is represented by various kinds of investments whether in securities or in public account, made out of it. Similar treatment is also done for investment of cash contribution received from employers in the form of securities\_

Considering above, correlating the investment in Public A/c as shown in the Balance Sheet with Receipt & Payment A/c (Contribution A/c) is not correct.

(b) Same logic / explanation as given in above point relating to EPS, 95 is applicable in the case of EDLI also.



#### 5. General

#### 5.1 Formats of Accounts

The accounts of the EPFO are being maintained in the format of accounts as prescribed in the Gazette Nonlication dated 21.12.1992. In 1995, Employees' Family Pension Scheme was replaced by the Employees' Pension Scheme 1995, accounts of which are being maintained in the format prescribed for Employees' Family Pension Scheme. The requirement of the consultation with CAG regarding maintenance of proper accounts in prescribed form by Central Government has also been laid down in the Employees's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (Act 19 of 1952) vide Section 5A Central Board (5) inserted by Act 33 of 1988. The concurrence of the C&AG of India for the new format is yet to be obtained. This was also pointed out in the previous year's audit report but no efforts were made by Lift (1) to obtain such concurrence.

EPFO stated (December 2003) that the matter relating to the approval of format of accounts was being dealt directly by the Ministry of Labour with the C&AG of India and action was being taken to get format of accounts approved by the C&AG.

No Comments, being factual except that at the instance of Ministry of Labour, Govt. of India vide letter No G-20017/3/97-SS II dated 21 8.1997, certain changes were effected in the format of account prescribed for FPS. 1971 and the amended format was sent to ministry, vide this office letter No. BSC-613 c97 1359 dated 01.10.1997 for forwarding it to C&AG for approxing it as the format of account for EPS, 1995 in which corrent year's account has been prepared. After that several remanders have been sent to Ministry of Labour in follow up of the same.

### 5.2 Non-preparation of annual accounts in the revised format of accounts on accrual basis

The Government of India, based on the recommendation of 'Committee on papers laid on the table of Parliament', has introduced a common format of accounts for the central autonomous bodies to bring about uniformity and transparency in the accounts. This format of accounts, based on the account system of accounting was required to be implemented by all the central autonomous bodies from the accounting year 2001-02. It has, however, been observed that the EPFO had not prepared its annual accounts for the year 2003-04 in the new format of accounts on accrual basis. The Income and Expenditure Account and Balance Sheet, therefore, did not make a meaningful depiction of the true and fair view of financial position of EPFO. EPFO is, therefore, advised to implement the common format of accounts and compile its accounts henceforth in the revised format on accrual basis.

- (i) This observation was not included in the Draft Audit Report sent to EPFO for comments.
- (ii) The final A/c of EPFO are prepared in accordance with the format notified by the Central Govt. after due consultation with C&AG of India Any change in the format needs prior notification by the Central Govt, and approval of C&AG thereof. Further, the common format of A/cs as for recommended Central Autonomous hodies has been finalised designed for Organisations which are mainly involved in commercial activities whereas considering the nature of businesscrole of EPFO (as social security provider), this format is not at all relevant/adoptable.

However, overall system of accounting of EPFO is proposed to undergo a change from Cash basis to accrual basis, as advised in the observation, after implementation of BPR.



#### 5.3 Bank Reconciliation

Scrutiny of Bank Reconciliation Statements of Corporate Headquarters revealed the following shortcomings: -

(a) Bank had wrongly debited an amount of Rs. 3.40 lakh. The amounts, which pertain to September 1993, has not yet been reconciled and verified.

EPFO stated (December 2004) that out of Rs. 3.40 lakh being wrongly debited by the bank, Rs. 2.871 has been reconciled and efforts were on for reconciling the balance amount

(b) An amount of Rs. 103.56 lakh wrongly credited by bank, pertaining to the period 1993-94 to 2002-03 have not been adjusted so far

EPFO stated (December 2004) that out of Rs. I 04 crore wrongly credited by the bank, Rs. 17.18 lakh have been reconciled and efforts were on to reconcile the balance amount. (a) Out of Rs 3.40 lakh being wrongly debited by the bank. Rs. 2.871 has been reconciled and efforts are on for the balance amount.

the Out of Rs 103.56 lake being wrongly credited by the bank, the amounts of Rs 17.18 lake have been reconciled and efforts are on for the balance amounts.

#### 5.4 Non production of records relating to investments

Scrutiny of records revealed that the EPFO has invested the following amount:-

(Rs. in croce)

	(K2' B ZIOLS
loyees' Provident Fund	71712.00
Provident Fund	260.17
ion-cum-Gratuity Fund	314,45
inistration Fund	1562,21
stment in Securities	29408.59
osit in Public Account	2333.07
stment in Securities	842.35
osit in Public Account	3061.87
Total	130494.71
1	loyees' Provident Fund  [Provident Fund inn-cum-Gratuity Fund inistration Fund stment in Securities osit in Public Account stment in Securities osit in Public Account Total

The correctness of the above investments could not be verified in audit as the organisation did not made available the correspondence files and other records relating to investments to audit for verification.

EPFO stated (July 2004) that EPFO did not stacke any intervention in the dayto-day decision of SBI for professional management of portfolio of CBT, EPF. Purchase records are kept by SBI-Portfolio managem.

The investments are accounted for the organisation at face value of sake/purchase and not at their realisable value. No disclose to the effect is made in the accounts.

#### 6. Effect of audit comments on Balance Sheet & Receipt & Payment Account

The net impact of the comments given in the preceding paras is that as on 31.3.2004 assets were understated by Rs. 4.62 crore, liabilities were understated by Rs. 2468.19 crore and both lecourse and Expenditure were understated by Rs. 3.29 crore.

fit This observation was not included in the Draft Audit Report sent to UPFO for comments.

(ii) Audit party asked for Investment records i.e Investment Registers/ Ledgers/ Broad Sheets related to aft A/cs (EPF, Pension Fund, EDLI, SPF and Pension & Granuty Fund) vide Memo No. 1 & 5 dated 8/7/04. Cash Book, Ledgers & Investment Registers were produced to audit party vide U.O. Note No. Invest. J. 1/1/15//Audit Reply dated 15/7/04.

To substantiate the total investment of CBT, EPF documentary evidence in the form of copy of certificate of investment holdings as on \$1,3,2004 issued by State Bank of India, Securities Service Branch - Portfolio Manger of EPFO, was also given to the audit party.

Appropriate comments have already been given against relevant paras.

Place: New Delhi Date: 01-04-2005 Director General of Audit Central Revenues



#### Audit Certificate

I have examined the Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account for the year ended 31 March 2004 and the Balance Sheet as on 31 March 2004 of the Employees' Provident Fund Organisation. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report which, interalia, contains the following major audit observations, majority of which have been persistent over the years: -

- Rs. 1.01 crore has been shown under head "Group Insurance Scheme (old?" on hability side of Balance Sheet, however, this scheme has been discontinued and amount has already been paid to entitled staff member (Para 2.1.3);
- Credit balance of Rs. 8408-88 crore in Interest Suspense Account to be credited debited to the accounts of subscribers, includes Rs. 2332-18 crore upto 2002-03, which remained to be cleared (Para 2.1.4);
- An advance of Rs. 63.36 high paid during 2002-03 to NBCC Ltd. for comparation of additional staff quarters was booked under the head "Land and Building" instead of under the head "Advance for Land and Building" (Para 2.3.7).
- Correctness of the figures of Assets Acquired and 'Advances paid' could not be verified due to non-recording of
  assets acquired in Asset Register (Para 2.2.3(1));
- Verification of figures of Investments under EPF Scheme and EDL1 Scheme could not be done, as reconciliation of figures shown in the Balance Sheet and figures booked by the PAO. Ministry of Lubour was not conducted (Para 2.2 3(iii)).
- Remittances in Transit at the close of financial year are adjusted in the next financial year. However, Rs. 92.90 crore are outstanding under this head in the different accounts for periods prior to 1997-98 (Para 2.2.4);
- There were erroneous debus amounting to Rs. 94.26 crore and erroneous credits amounting to Rs. 139.39 crore which could not be verified in audit, as year-wise details were not made available (Para 2.2.5);
- Rs. 9.78 crore spent on distribution of gold coins as incentive to staff on the eve of Golden Jubilee Year of EPFO was wrongly booked in Income and Expenditure account of Corporate Headquarters under the head 'Publicity'. (Para 3.1.1).
- Investment amounting to Rs. 130494.71 crore could not be verified as the relevant records were not made available to audit. (Para 5.4).

I certify, as a result of my andir that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up, so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organisation according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the Organisation.

Place: New Delhi Date: 01-04-2005 Sd/-Director General of Andit Central Revenue

# वर्ष 2003-2004 के समेकित वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केन्द्रीय कार्यालय भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110 066

### वर्ष 2003-2004 का (कर्मचारी भविष्य



		-	-	σ.
-	т	т	Ι	1
-71	1	٠.	•	1

राशि (रुपये)	अनु. सं.	च्यय	क्र. सं.	पिछला वर्ष
(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1,684,114,130.2.		अधिकारियों कर्मधारियों का वेतन	ï,	1,593,502,670,88
285,886,662.3		नत्त और मानदेव	2.	264,246,685.09
49,742,888.99		यात्रा नत्ता व अवकाश यात्रा रियायत	3:	40,697,527,99
489,823,756.03		पेशन/पुटुम्च पेशन/मृत्यु तथा सेवा	4.	457,769,380.56
		निवृति एण्टान		
0.00		(चेन स्टाफ महिध्य मिधि (बोर्ड का भाग)	3.:	0.00
1,052,868.28		(छ) २८७ मनिस्बी लाभ		597,620.75
916,031,678.52		<ul><li>(क) अन्य प्रमार आवती/अनावती</li></ul>	6	731,050,620.26
33,226,840,62	खाइ	(रह) कासीन्य भवन/स्टाफ क्वार्टरी का रख प्र		35.872,254.62
13,384,371,67		(44) 3-선택: 1	7.	7,720,082.24
0.00		(क) लामूहिक मीमा योजना बचत राशि वापसी		0.00
3,473,263,196.72	हुल व्यय	कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर किया गया व		3,131,456,842.39
		निम्नतिखित के प्रशासन पर व्ययः	8	
669,544,712.65		<ul><li>(क) वर्गचारी पेशन योजना</li></ul>		603,654,331.05
41,846,544.55		(छ) क.नि.स.यीमा योजना		37,728,395.69
0.00	ज़न <u>ा</u>	<ul><li>(ग) अतिरिक्त परिलिध्या अनिवार्य निक्षेप यो</li></ul>		0.00
3,900,388,353.81		व्यय से आयं की अधिकता	9.	2,305,082,674.89
8.085,042,807.7		जोड -		6,077,922,244.02

### आय और व्यय **लेखा** निधि योजना, 1952)



	-			जमा
पिछला वर्ष	क्र, सं.	आय	अनु. सं.	राशि (रुपये)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5,317,341,211.95	1.	प्रशासकीय तथा निरीक्षण प्रभार और शास्तिक नुकसानी से प्राप्त आय	(1)	5,860,307.107.59
701,410,075.46	2.	अधिशंष प्रशासन निधि के निवेश पर अर्जित भ्याज		757,005,655.18
29,579,924.45	3	पंशन-निधि और अन्य खातों से प्राप्त आय	(2)	1,427,252,476.95
29.591.032.16	4.	विविध प्राप्त आय		40,477,568.01
0.00	5.	आय से व्यय की अधिकता		0.00


6,077,922,244.02	<b>जो</b> ভ	8,085,042,807.73

31 मार्च, 2004 (कर्मचारी भविष्य

पिछला वर्ष	क्र.सं.	देयताएँ	अनु,सं,	राशि (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
558,161,488,446.16	1.	कर्मचारी भविष्य निधि खाता	3	618,674,825,638.25
6,345,667,218,85	2	अदायी निक्षेप खाता	4	9,429,511,660.93
7,987,896,610,71	3.	विशेष आरक्षित निधि	5	8,746,253,168.72
	4:	ब्याज उचंत खाता		
23,601,089,984.60		(क) 31.3 2004 तक सदस्या व	6	23,321,844,776.42
		खाते में जमा की जान यासी राष्ट्रि		
59,530,113,549.64		(छ) वर्ष के दौरान प्राप्त और अगन वर्ष		60,766,977,752.78
		सदस्यों के खाते में जमा की जान वाली		
		राशि		
	5	स्टाफ भविष्य निधि खाता		
2,060,480,480.36		(क) स्टाफ भविष्य निधि खाता	7	2,282,393,062,62
131,819,546.96		(ख) स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता	8	199,134,160.92
2,611,369,926.20	ts i	पेशन तथा उपदान ब्याज खाता (स्टाफ)	9	3,160,796,752.71
-1,486,326,262.66	7.	निवेश अस्थिर खाता	10	-4,765,454,294.31
1,052,896,46	8.	प्रतिभृति निक्षेप राशि		8,261,441.46
658.944,652.397.28		प्तोड		721,824,544,120.51

### तक का तुलन पत्र निधि योजना, 1952)

पिछला वर्ष	क्र, सं,	परिसन्पत्तिया	अनु. सं.	राशि (रुपये)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	निवेश खाता :		<u> </u>
653,471,615,479,49		(জ) কৰ্মভাগ স্থিত নিটা	15	717,120.079,991.49
2.253.786.757.58		<u>(%) क्यापः परिध्य मिदि</u>	16	2,601,751,062.62
2.576,005,807.58		। তেওঁ বিধান প্রবাভিন্ত করিছে	17	3.144,537,056,31
11,869,266,483.90		(ভ) ভঃগ্ৰহণ নি <b>তি</b>	18	15.622.073,419.58
	2.	पुर्वेभ आर मचन		
2,079,419,514.61		। १८ ४ विकास समित्र स्ट्राइस		2,048,469,005,66
846,034.133.17		তে। সহার্থিক প্রধান		1,123,552,096.77
516,788,512.00	3	सस् <sub>र</sub> गास्य जीतिम राभि	19	509,339,083.48
521,916,639,93	.2	तिशय आर्थका निधि (नामूल याच्य)		559,784,545.93
982,876,20	۶.	सुरक्षित विक्षय (पाटिय) की अधिम राशि)		2,518,376.20
501,990.206 50	6	अभिदहन में पड़ी राशि	20	579,635,500,53
37,849.80	7.	নকৰ		48,051.50
82,971.411.17	8.	रोकड वही अव/वेक में नकद	21	-1.297,678,940.17
895.363,683.98	9.	विविधः नाम	22	906,843,944.33
675,616,179,355.91		जोड		742,919,953,194.23



2002-2003	अनुसूची संख्या-1	2003-2004
रुपये पैसं	आय को व्योरे	क्रपये पैसे
4,820.049.239.50	1 प्रशासन प्रभार	5,367,011,496.81
456,378,659 56	3 निर्यक्षण प्रभार	427,563,603.08
21,888,464.87	<ul> <li>शारिसक नुकसानी</li> </ul>	33,139,037,18
19,024,848.00	4 7 <u>0</u> स्याज	32,592,970.52
5,317.341,211.95	जोड	5,860,307,107.59
	अनुसूची सरस्या 2	1
	पंशन निधि और अन्य खाताँ से प्राप्त आय	
(7)167	। क्षेत्रारी प्रित योजना के प्रशासन	1,406,730,716.95
	के लिए पेशन निधि से प्राप्त गृहि।	
29,579,924 45	2 अन्य खाता स	20,521,760.00
29,579,924.45	जोड	1,427,252,476.95
	अन्य खातों से पाप्तियों का न्यौरा	
7,780,000,00	। कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना	34,150,000.00
	भे प्रशासन खाते से	
0.00	2. अन्य खातों से	0.00
7,780,000.00	जोड़	34,150,000.00
	घटार्थे:	
0.00	<ol> <li>अन्य खातों में अन्तरित की गई राशि।</li> </ol>	0.00
-21,799,924,45	2. क्षेत्रीय कार्यालय के खाते और केन्द्रीय कार्यालय	13,628,240.00
	के खाते के अनुसार खाता सं 2 से 4 अथवा	
	इसके विपरीत किया गया अन्तरण	
-21,799,924.45	जो <b>ड</b>	13,628,240,00
29,579,924,45	शोप	20,521,760,00



2002-2003	अनुसूची संख्या-3	2003-2004
रूपये पैसे	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा	रूपये पैसे
507,158,609,842.01	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष जोहें:	558,161,488,446.16
75,287,667,502.60	<ol> <li>वर्ष के दौरान प्राप्त अंशवान (इसमें प्रत्याहरण की वापसी राशि शामिल है)</li> </ol>	82,434,065,354.12
830,832.119.92	अतरित प्रतिभूतियों के द्वारा प्राप्त अंशदान (मुख्य कार्यालय के दिपरीत)	585,076,279.00
54,408,315.033,22	<ol> <li>सदस्यों के खातों में जमा किया गया व्याज</li> </ol>	58,545,476,368.30
1,541,532,303.23	4. अन्य प्राप्तियां	2,395,113,703.77
639,226,956,800.98	जोड	702,121,220,151.35
55,062,804,775.60	घटायें: ). निर्मामी सदस्यों को वर्ष के दौरान अंतिम निपटान के रूप मैं की गई अदायगी	59,071,501,203.94
648,611,318.45	<ol> <li>वर्ष के दौरान सदस्यों की जीवन बीमा पालिसियों पर प्रीमियम की अदायगी</li> </ol>	228,549,227.50
20,050,471,111.60	3. यर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	16,608,604,892.80
0,00	<ol> <li>वर्ष के दौरान जब्त किया गया नियोक्ता का नाग</li> </ol>	0.00
2,686,257,794.64	5. अदावी निक्षेप खाता	3,646,969,072.58
2,575,633,154.53	<ol> <li>विविध अदायगी</li> </ol>	3,889,268,016.28
41,690,200.00	<ol> <li>छूट प्राप्त स्थापनाओं को वापस अन्तरित की गयी प्रतिभृतियों की राशि</li> </ol>	1,502,100.00
81,065,468,354.82	जोड	83,446,394,513,10
		71770
558,161,488,446.16	शेष	618,674,825,638.25



	अनुसूची संख्या-4	2003-2004
2002-2003 रूपये पैसे	अदावी निक्षेप खाता	रूपये पैसे
3,819,131,961.71	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	6,345,667.218.85
2,686,257.794.64	<b>जोड़ें:</b> वर्ष के दौरान अन्तरित की गई साहा	3,646,969,072.58
6,505,389.756.35	जोड़	9,992,636,291.43
	घटार्थेः	•
159.722.537.50	<b>वर्ष के</b> दौरान रूपा की गड़ र अ	563,124,630 50
6,345,667,218.85	शेष	9,429,511,660.93



### अनुसूची संख्या-5 विशेष आरक्षित निधि

7 295.124.858.18	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	7,987,896,610.71
	जोइँः	
1.272.00	1. वर्ष के दौरान नियोक्ताओं से प्राप्त राशि	0.00
693,036,861.53	2 विशेष आरक्षित खात पर व्याज	758.850,178.02
7,988,162,991.71	जोड़ घटायें:	8,746,746,788.72
150.071.00	। मृत्यु शहत के रूप में अंदा की गई राशि	-52,771.00
116,310 00	2. विशेष आरक्षित निधि लेखे से अदा की गई राशि	546,391.00
266,381.00	. जोड़	493,620.00
7.987,896,610.71	शेष	8,746.253,168.72



2002-2003	अनुसूची संख्या-6	2003-2004
रूपये पैसे	याज उचंत खाता	रूपये पैसे
79.294,885,594.75	ਪਿਲਦੇ ਸੂਦਸਥਤ <i>ਦ ਤਸ਼ਮ</i> ਤ ਸੰਖ ਬਟਾਏ:	83.131.203,534.24
54,408,315,033,22	<ol> <li>मदस्यों के आता के जाग किया गया स्थाल</li> </ol>	58,545,476,368.30
0.0 <b>0</b>	<ol> <li>कृट प्राय अन्यनाम महा वापिक की गई गणि पर अन्य किया गण शास्त्र</li> </ol>	0.00
480,977,387,74	3. Traversi ve estratur un aus	505,032,211.50
663,036,861,53	<ol> <li>१८ आक्री स्थान के दान का समायोजना</li> </ol>	758,850,178 02
111.466.327.66	5. अस्थिर साम पर विशे गए ब्यान का समायोजन	0.00
55,693,795,610.15	ਯੀਫ	59,809,358,757.82
23.601.089,984.60	31/3 2004 का एक विश्वे गहस्यों के खात में जमा किया जाता है	23,321,844,776.42
	जोडें	
59,077,461,785,09	<ol> <li>प्रतिगृतियं न निवक पर वसूल किया गया ब्याज</li> </ol>	59,981,189,368.19
220,638.13	2. यसल येक रहाला पर प्राप्त ब्याज (केन्द्रीय)	176,020.69
69,942,728.31	<ol> <li>अचल येक स्वातः पर ब्याल (क्षेत्रीय)</li> </ol>	60,746,170.21
2,709,257.11	<ul> <li>स्थापनाओं से पाक प्रतिभृतियों पर वसून किया नया स्थाज (इसीय)</li> </ul>	1,847,962.48
11,490,622 54	<ol> <li>भूग पर 1=:रक्ष के पसूत किया व्याल</li> </ol>	5,389,031.83
368.288,518.46	<ol> <li>वर्ष के डीरान देश है। प्राप्त अशवानों पर लगायी गई शास्तिक नुकसानी</li> </ol>	717,629,199.38
59.530,113,549.64	जोड़	60,766,977,752.78
83,131,203,534.24	शंप	84,088,822,529.20

2002-2003	अगुसूची संख्या-7	2003-2004
रूपये पैसे	(क) स्टाफ भविष्य निधि लेखे	रूपये पैसे
1,766,390 887,19	पिछले तुलनपत्र के अनुसार श्रम	2,025,555.824.19
	जोडें	
675,978,641.00	<ol> <li>वर्षे के दौरान प्राप्त अश्रदान (इसमें प्रध्यास्र्ण भी शामिल है।</li> </ol>	765,274,842.26
0.00	2 #18 in Edit	0.00
166,680,429.00	3 महत्त्वा के छात्र में उत्तर विकास व्यक्त	158,809,194.00
2,609,049,957,19	जोड	2.949,639,860.45
	धटायें	
274,603,400.00	<ol> <li>एपं के दोशन निर्माण स्टब्स्य को अतिम मित्रान के रूप में अदा की गई गरि</li> </ol>	327,855,758.00
0.00	<ol> <li>धर्म कं चीरान लंदस्याँ की जीवन बीमा पालिसियों पर प्रीमियम की अदायगी</li> </ol>	0.00
242,162,790.00	3, यमं के दौरान सदस्यों का दिया गया आण	245,066,205.00
66.727.943.00	वं अध्य अदा (अध्य सेती का अन्तरण)	94,671,165.00
583,494,133,00	जोड	667,593,128.00
2,025,555,824.19	शेष	2.282,046,732.45
	(ख) अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ गविष्य निधि खाता	
40,769,506,17	पहली अधिल की शिष	34,924,656.17
	जोडें	
66,727,943.00	क्षेत्रों के अन्यारित की गई शांत	94,671,165.00
187,497,449.17	जोड	129,595,821.17
72,572,793,00	घटायँ अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि	129,249,491.00
34,924,656,17	शेप	346,330.17
2.060,480,480.36	कुल (क∔ख)	2,282,393,062.62

2002-2003	अनुसूची संख्या-8	2003-2004
रूपये पैसे	रटाफ भविष्य निधि ब्याज लेखा	रूपये पैसे
85,822,196.95	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	131,819,546.96
	जोड़ें	
220,508,550.74	<ol> <li>प्रतिभूतियो के निवेश पर चसूत किया गया ब्याज</li> </ol>	230,783,285.24
11,116.50	2 बचत वैक खाते पर व्याज	4,205.32
306,341,864.19	जोड	362,607,037.52
	चटार्यः	
166,680,429.00	<ul> <li>वर्ष के दौरान सदस्यों के रेगरों न जमा किया गया थ्याज</li> </ul>	158,809,194.00
7,841,888.23	2. विक्रंताओं को अदा किया गया स्ट	4,663,682.60
174,522,317.23	जोंड	163,472,876.60
131,819,546.96	रोप	199,134,160.92
	अनुसूची संख्या - 9 पॅशन तथा उपदान <b>खाता</b>	
2,081,436,917.56	पिछले सुलनपत्र के अनुसार शेव जोड़े:	2,611,369,926,20
300,000,000.03	<ol> <li>खाता स 4 से अंतिरत की गई राणि</li> </ol>	300,000,000.00
3.10	2. बचन खाते से क्सूल किया गक ध्याच	19,10
238,909,929.37	<ol> <li>प्रतिभृतियां पर वसूल किया गया व्यान</li> </ol>	258,008,997.42
2,620,346,850.03	जोड	3,169,378.942.72
	घटार्थः	
.0.00	क्षेत्रो द्वारा अदा की गई सांधि	0.00
8.976,923.83	<ol> <li>वर्ष के दौरान विक्रेताओं को अदा की गयी व्यास की शशि</li> </ol>	8,582,190.01
8,976,923.83	जोड	8,582,190.01
2,611,369,926,20	शंय	3,160,796,752.71



2002-2003	अनुसूची सरवान्।।	2003-2004
रूपये पैसं	निवेश अस्थिर खाता	रूपये पैसे
1.173.329,764.88	क वर्ष 2002-2003 तक धुड़ाई गया प्रतिभृतिया पर लाम	-1,486.326.262.66
-2.771.122,355.20	छ। प्रतिमूचियी की स्वतिह पर लगा हानि	-3,279,128,031.65
111,466,327,66	म किवेश श्रास्थात खाती पर ब्याज	0.00
-1.486,326,262.66	जोतः घटार्यः	-4,765,454,294.31
0.00	प्रतिभूतिया भी यात्र स काले. आन	0.06
-1,486,326,262,66	शेष	-4,765.454,294.31
	अनुसूची संख्या -11 भवन निर्माण निधि	
4,449.780.760.32	पिछले तुलन पत्र क अनुसार शेष	5,218,859,880.08
	जोडेंः	
500,000,000.00	<ol> <li>वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान</li> </ol>	500,000,000.00
269.079.119.76	2. निर्धि भे जमा विधा गया च्याल	229,959,137.97
5.218.859,880.08	जोड	5,948,819,018.06

टिप्पणी : 31.3.2004 को भूमि तथा भवन की लागत जिसमें अटा की गई पंशगियां भी शागिल हैं, 3,171,021,102,43 रुपये है तथा 31-3-2004 को निमार्ण उदेश्य के लिए उपलब्ध राशि 2,777,797,915.63 रुपये हैं।

	अनुसूधा संस्था-11 भवन वर्ध रख-रखाव (प्ररम्भत, युननंदीकरण, बदला	व) निधि
105,756,434,50	নিজিত কুলন এর ক কানুনাৰ হাম	140,\$28,348,66
	जोडें	
24.127.745.38	<ol> <li>वर्ध के दौरान राजन्य अधिक्षेत्र से क्याई गई राशि</li> </ol>	59,505,884.40
10.944,168.78	2. ব্যক্তা ক্ষিয়ে শন্ম প্রকল	14,650,418.19
140,828,348.66	जोड	214,984,651.25

2002-2003		2003-2004
रूपये पैसे		रूपये पैसे
	<ul><li>(ख) क्षेत्रों द्वारा अन्तरित की गयी प्रतिभूतियां</li></ul>	
2,365,384,112,66	पिछले गुलनपत्र के अनुसार शेव	3,154,526,032.58
830,832,119,92	जोर्डे: 1. को के दौरान प्राप्त प्रतिभृतिया (स्वीकृत मृत्य)	105 074 070 00
		585,076,279.00
0.00	े अना रामायोजन	0.00
3,196,216,232.58	<i>তা</i> ন্ত	3,739,602,311.58
41.690.200.00	चटार्यः स्थापनाओं को यापस की गई प्रतिभृतिया (स्याकृत मृत्य)	1,502,100.00
3,154,526,032,58	शेष (स्प्र)	3,738,100,211.58
653,471,615,479,49	जमा (क+ख)	717.120,079,991.49
1,943,696.783.83	अनुसूची संख्या-16 स्टाफ भविष्य निधि का निवेश लेखा पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार शंध	2,253,786,757.58
411,463,373.75	जोडें: केन्द्रीय रूप से निधेश की गई वाणि (क्रथ मूल्य)	475,443,805.04
2,355,160,157.58	जोड	2,729,230,562.62
101,373,400,00	घटायें: छुडाई गयी प्रतिभृतियों का मूल्य	127,479,560.00
2,253,786,757,58	शेष	2.601,751,062.62
	अनुसूची संख्या-17 पैशन तथा उपदान निधि (स्टाफ) का नियेश खाता	
2,081,890,397,60	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	2,576,005,807.58
590,248,009.98	जोड़े: केन्द्रीय रूप से निवंश की गई शशि (क्रय मूल्य)	789,063,548.73
2,672,138,407.58	जोड़	3,365,069,356.31
	घटार्येः	TEATH TO A SE
96,132,600.00	वर्ष के दौरान छुड़ायी गयी प्रतिभृतियों का भूल्य	220,532,300,00
2.576,005,807.58	भोष	3,144,537,056.31

2002-2003	अनुसूची संख्या-18	2003-2004
रूपये पर्भ	प्रशासन निधि का निवेश खाता	रूपये पैसे
9,684,962,119,90	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेव	11,869,266,483.90
	जोईं:	
2,186,433,364 00	निवेश की गई राशि	3,781,615,211.35
11,871,395,483.90	जोङ	15,650,881,695.25
	घटायें:	
2,529,000,00	छुडायी यह प्रतिमृतिया	28,808,275.67
11,869,266,483.90	र्राष	15,622,073,419.58
	N-1	15,044,013,913,30
	अनुसूची संख्या-19	
	यसूली योग्य अग्रिम (स्टाफ)	* *
63.339,001.15	क वाहन अग्रिम	57,233,215.86
422,052,786.96	ख नकान निर्माण अग्रिम	415,849,172.96
123,795 00	ग पंचा अग्रिम	157,045.00
60,385,75	घ गर्म कपड़ा अग्रिम	15,061.75
10,980,443.10	छ त्यीहार अग्रिम	11,270,903.50
1,738,940,85	च प्राकृतिक विषदा अग्रिन	1,041,325.85
14,020,879.67	<ol> <li>वेतन/महरगई भत्ता/याजा भत्ता अग्रिम</li> </ol>	17,722,716.04
71,498,25	ज खाद्यान अग्रिम	1,217.25
376,332.00	झ स्टाफ सहकारी कैंटीन/स्टोर आंग्रेम	358,332.00
0.00	ण कम्प्यूटर अग्रिम	2,665,484.43
4,024,449.27	ट, विविध अदायगी	3,024,608.84
516,788,512.00	जोड	509,339,083.48
	अनुसूची संख्या-20	
	अभिवहन में पड़ी राशि	
152,379,699.88	(क) कभनि, लेखा संख्या-4	142,087,089.88
264.208.204.40	(ख) क.म.नि लेखा संख्या-5	368,708,070,40
40,556,556.22	(ग) क.म.नि. लेखा संख्या-8	23,992,267.25
0.00	(घ) क.भ. वि. लेखा संख्या-9	0.00
18,080.00	(ङ) क.भ.नि. गुख्यालय लेखा संख्या – 4 अ	20,407.00
44,827,666.00	(ध) क.म.नि. निवेश लेखा	44,827,666.00
0.00	(छ) बराफ भनि नियेश लेखा	Ð.06
0.00	(ज) पेंशन खपदान निधि निवेश लेखा	0.00
501,990,206.50	<b>जोड</b>	579,635,500,53

## **EPF** India

O mada			
2002-2003	अनुसूची संख्या 21	2003-20	04
रूपर्य पेसे	रोकड बही शेष/धैंक में नकद	रूपये	पैर
	(क) रोकड वही शेष		
1,207,345,747,15	(क) कभ मिं लेखा संख्या-।	-1.813,798.35	6.30
3(9),972,674,54	(ख) कभनि लेखा संख्या-2	329,479,7	5.28
-1.963.357.55	(ग) क.भ.नि लेखा संस्था-3		0.00
13.330.689.82	(घ) कभनि लेखा सख्या-।	24,907,38	9,32
35.172.579.59	(ड) कभ्मि लेखा सरवा-5	15,574,03	2.78
2.639,980,43	(च) कभनि लेखा सङ्गार	3,165,69	8.75
866.19	(छ) कभने लेखा सहया-प	ā	73.29
-12 -21,469 50	(झ) केन्द्रीय कार्यालय	-448_95	4.56
4,752,323.25	(ज) नैटरत	6,409,37	78.12
8.801.090.82	(স্ত্র) ফেমনি স্থানীয় অহিচ্ছা	8,790,65	4.01
-966,063,369,65	जोड़ (क)	-1,425.920,36	59.31
	(ख) बैंक में नकद		
988.340,804.13	(क) कभिनि निवेश खाता	105,879,59	6,17
22.926.802.77	(ख) रटाफ मिवस्य निधि निवेदा खाला	5,632,10	0.37
37,767,173 92	(ग) पेशन उपदान निवेश खाता	16,729,73	2.60
1.049.034.780.82	जोड़ (ख)	128,241,42	
82.971.411.17	जोड़ (क+ख)	-1,297,678,94	
	अनुसूची संख्या-22		
	विथिध नामे		
	(क) उंचल (अवर्गीकृत) छाता		
319.841.635.39	(ক) ক भ नि	281,769,65	9.93
53,588,299,34	(छ) प्रशासन	58,658,00	7.83
0.00	(ग) स्टाफ भविध्य निवि		0.00
4.508,601.18	(ख) अधिक अदायगियां	5,701,07	
7,618,288,47	(ग) अनियमित अदायगियां	27,154,76	
	(घ) खाता संख्या-5, 8 एवं 9 में गलती से नामे की गयी राशि		
\$25,000,869,95	(क) खाता सख्या-) सं खाता सं-5 एवं प्रतिलाभित में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिक दिखाई गई अन्तरित राशि	459,393,6	12.45
184.805.989.65	(छ) खाता सं.5 में अतिरिक्त जमा की गई राशि	54,305,86	54.65
0.00	<ul><li>(ग) खाता स 8 से खाता स 2 में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक अधिक राशि का अलरण एवं विपरीत</li></ul>	19,860,97	13.97
0.00	(घ) खाता सं 9 से गलती सं कम की गयी राशि		25.00
0.00	(७.) चोरी		0.00
895,363,683.98	जोड	906,843,9	

# कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के प्राप्ति और अदायगी लेखे तथा तुलन पत्र



## कर्मचारी पेंशन वर्ष 2003-2004 को प्राप्ति और (अंशदान

पिछला वर्ष	कम सं.	प्राप्तियां	साशि (रूपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
400,391.655,190.38	1.	l अप्रैल 2003 को आदि <b>शेष</b>	469,025,784,839.54
43.878.434.524.81	2.	(1) नियाक्ता का अशदान	54,925,475,869.19
3,829,862,491.00		(क) सरकार का अंशदान 2003-2004	2,219,540,227.00
170,137,509.00		(ख) वर्ष 2002-2003 तक सरकार के अंशदान का वकाया	2,280,459,723.00
16,482,600,000.00	3	लाक लेखे में बकाया पर ब्याज	18.154,300,000.00
41,785,803.16	4.	एतत बैंक खाते पर व्याज	98,067,300.73
25.447,035,132.01	5.	वित्भृतियों पर प्राप्त व्याज	28,635,212,798.59
	6,	अन्य प्राप्तियाँ	
184,577,841.30		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सख्या-10	1,303,427,193.60
0.00		(छ) केन्द्रीय अशदान खाता संख्या-।।	0.00

	<del></del>		
490,426,088,491.66	জীঙ	•	576.642.267,951.65

## योजना-1995 अदायगी लेखा लेखा)



पेछला वर्ष	क्रम सं,	अदायगी	राशि (रूपये)
(5)	(6)	(7)	(8)
	1	सदस्यता धोडने वाले लाभ भोगियों	
		को अदा की गयी राशि	
0.00		(क) कर्मचारियों के भाग <b>की</b>	0.00
		अगान सहित राशि	
7.888,397.079.40		(ख) परणहरेण सेवा निवृत्ति	8,579,988,336,14
1,168,008.00		(ग) जीवन क्षेमा लाम	638,451,00
12,096,302,071.83		MJ: प्रश्न	14,968,802,012,63
152,489,952.52	2_	पशन क पातराण हेतु कमीशान के रूप म घटा की गई राशि	156,815,607.91
		Me Start and the Succession	
0.00	3.0	पशन निध्य प्रशासनिक व्यय	1,406,730,716.95
		के रूप में बटा की गई राशि	
0.00	4	छूट प्रदान करने पर अंतरित	0 00
		की गई प्रतिभृतिया की राशि	
1,249,728,371,79	5	प्रतिभृतिमा की जरीद करने पर उपाणित	533,645,511.74
		ब्याज के रूप में अंदा की गई राशि	
	6.	अन्य भुगतान	
12,218,168.58		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं० 10	9,505,327.30
0.00		(ख) केन्द्रीय अशदान लेखा सं. 11	0.00
469.025,784.839.54	7	अत औष	550,986,141,987.98
490,426,088,491.66			576,642,267,951,65

ह०/-(अनिरुद्ध राय) दितीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ह०/-(अजय सिंह) केन्द्रीय पविष्य निधि आयुक्त EPF India कर्मचारी पेंशन वर्ष 2003-2004 की प्राप्ति और (प्रशासन

पिछला वर्ष	क्रम रा प्राप्तियां	राशि (सपये)
(1)	(2). (3)	(4)
0.00	। प्रशासनिक खर्च के लिए सरकार से वर्ष 2003-2004 के लिए प्राप्त राशि	0.00
0.00	े प्रभासनिक व्यय हेतु पेशच निधि संप्राप्त शांध	1,406,730,716,95
1,084,841,717.19	<ul> <li>क्रमेचारी मनि प्रशासन संख्या स प्रत्य गांशि को आगे से जाक शका</li> </ul>	356.576.001.85

1,084.841.717.19 जोड: 1,763,306,718.80

## योजना-1995 अदायगी लेखा लेखा)



पिछला वर्ष	क्रम सं.	अदायगी	राशि (रूपये)	राशि (रूपये)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
413.331.212.95	ì	कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन		1.084,841,717.19
		लेख से खर्च की गयी राशि के		
		पश्चात् 1-4-2003 को शेष आर्ग		
		लाई गयी राशि।		
	2	प्रशासन पर व्यय		
	(1)	राजरव व्यय		
307.181.237 75		(क) वेलन	324,648,507 ()4	
50,939,120.01		(ख) भक्ते और मानदेय	55,110,6×1.00	
7,845,306.60		(ग) यात्रा भत्ता/अवकाश यात्रा रियायत	9,588 00() 65	
88,244,699.87		<ul><li>(घ) पेशन/उपदान (स्टाफ)</li></ul>	94,423.856.59	
115,204.00		(अ) स्टाफ भविष्य निधि, कर्मचारी	202 962 56	
		निक्षेप सहबद्ध बीमा लाभ		
140,925,420.78		(च) अन्य प्रभार	176.584.419.97	
1.488,208 62		(छ) अनुदान	2,580,119.84	
6,915.133.42		(ज) कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर्स आदि	की 6,405,174,10	
		मरम्मत और एख-रखाव प्रभार		
603,654,331.05		সাঁভ	669,544,712.65	669,544,712.65
	(2)	पूंजीगत व्यय		
67,856,173.19		निर्माण कार्य (कार्यालय भवन/स्टाफ वदा	र्ट्स इत्यादि)	8,920,288.96

1,084.841,717.19	जोड़	1,763,306,718.80

ह०/· (अनिरुद्ध राय) वितीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ह०/-(अजय सिंह) कंन्द्रीय महित्र निधि आयुक्त



## कर्मचारी पेंशन 31 मार्च 2004

पिछला वर्ष	क्रम सं.	देयताएं	अनुसूची संख्या	राशि (रूपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
469.025.784.839.54		र्वचारी पेशन निधि गदान लेखा		550.986.141,987.98
1,684,841,717.19	क	चारी पेंशन निधि प्रशस्त चारी भ.नि. के गासन लेखे से व्यय की ग		356,576,001.85
-13,064,407,262.14	3. কি	प्रेश अस्थिर <b>खा</b> ता		-19.230,453,768.70
516,946,492.40	थ. वि	वेध जम।	1	468,863,532.90
457,563,165,786.99	ओ			532,581,127,754.03

## योजना-1995 तक का तुलन पत्र



पिछला वर्ष	क्रम स	परिसम्पत्तियाँ	अनुसूची संख्या	राशि (रूपये)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
210,676,420,291,86	1	कमंचारी पंशन निधि अशदान निदेश लीक लेखों में जमा रखी सयी राशि	ž	233,330,720,241.86
239,775,628,543,64	2.	पतिभृतियो में निवेश	3	294,085,881,543.64
	3.	कर्मचारी पेंशन निधि प्रशासन लेखा		•
0.00	(E)	केन्द्रीय मरकार से वसूल की आने वाली राशि		0.00
1,084,841,717.19	9)	पशन निधि से वस्ती योग्य राशि		356,576,001.85
4,645,714,116.44	.4	नेवाड वहीं शेष/ बैंक में मकद	4	3,353,785,057.62
324,544,689.84	5.	अभिवहन में पड़ी राशि		231,945,744.84
1,056,016,428,02	6,	चिविध नामें	5	1,222,219,164.22

457,563,165,786.99	जोङ	532,581,127,754.03
पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चालु वर्ष
∜. 34,295.43 लाख	(1) 31-3-2004 तक छूट प्राप्त और न छूट प्राप्त स्थापनाओ के नियोक्ताओं का बकाया पेंशन अंशदान	ন্ধ. 40,877.96 লাভ
₩. 2,280,459,723.74	(2) 31-3-2004 तक संरकार से बकाया पेशन अशवान	ন 542,91,45,488.00 লাভ
₹ 1,084,841,717.19	(3) 31-3-2004 तक पेंशन निधि से बकाया प्रशासकीय अशदान	ক 356,576,001.85 লাজ
	<ul> <li>(4) तुलनपत्र मे प्रतिमूतियों में निवेश को अंकित मूल्य के आधार पर दशाया गया है।</li> </ul>	
	(5) बास्तविक आधार पर लेखों को समेकित किया गया है।	

ह०/-(अनिरुद्ध राय) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ह०/-(अजय सिंह) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

## **EPF** India

2002-2003	अनुसूची संख्या ।	2003-2004
रूपये पैसे	विविध जमा	रूपयं पैरो
272,454,626,52	l. लेखा सङ्ग-10	259,801,413,02
244,491,865,88	<ol> <li>ਕੈਰਾ ਦੰਦਮ-[]</li> </ol>	209,062,119.88
516,946,492,40	शेय	468,863,532.90
	अनुसूची संख्या-2	
*	लोक लेखे में रखी गई राशि	
190, 193, 830, 291, 86	पिछले तुलन गढ़ वे जिनुलार रणः जीडें:	210,676,420,291.86
0.00	(1) ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰ	0.00
	से जामा की गई गाउँ।	
120,137,509.00	(2) 2002-2003 এক প্রত্যাধ দ গাম কা বকার।	2,280,459,723.00
3,829,862,491.00	(3) স্কল্পের মধ্য মধ্য আগরেল 2003-2004	2,219,540,227.00
16,482,600,000.00	(4) लोक लेखें पर भाज	18,154,300,000,00
210,676,420,291.86	शेव	233,330,720,241.86
	अनुसूची संख्या-३	
	प्रतिभृतियों में निवेश	
	क. केन्द्रीय कृत रूप से खरीदी गई	
	प्रतिभृतिया (लागल मृत्य)	
200,304,346,483,19	भिवलं मूलन-मन के अनुसार वकाया	239,775,628,543.64
	जोड़ें:	
64,090,125,514.95	<ol> <li>कंटीय कृत का से निर्देशित राशि (लामत भूल्य)</li> </ol>	90,950,974,506.56
-6.919,853,454.50	2 खरीदी गई ध्रतिभृतिया धर लाम/हासि	-6.366,046,506.56
257,474,618,543.64	আঁত্ৰ	324.560,556.543.64
	घटार्येः	
0.00	<ol> <li>प्रतिभृतिया की विक्री पर हानि/सांभ</li> </ol>	0.00
		20 121 (25 000 00
17.698.990,000.00	2. वर्ष के तीरान छुड़ाई गई प्रतिभृतियां	30.474.675,000.00
17,698,990,000,00	2. वर्ष के दीरान छुड़ाई गई प्रतिभृतियां जोड़	30,474,675,000.00

## **EPF** India

	(ख) क्षेत्रों द्वारा अन्तरित प्रतिभूतियां	
0.00	पिछले तुलन पत्र कं अनुसार (न्वीकृत मुल्य)	0.00
	जोडें:	
0.00	I. দ্বাদ্ব দ্বনিণ্ <sub>ন</sub> নিযাঁ	0.00
	<b>(स्वी</b> कृत मूल्य)	0.00
0.00	2. अन्य समायोजन	0.00
0.00	जोड़	
	घटायें:	0.00
0.00	स्थापनाओं की वापिस	
0:00		0.00
	की गई प्रतिभृतियाँ	
un lander	(स्वीकृत मूत्य)	TANKING A
0.00	शेष राशि (ख)	0.00
39.775.628.543.64	जोड़ (क+ख)	294,085,881,543.64
	अनुसूची संख्या-4	
	रोकड़ यही शेष/र्वेक में नकद	
2.129 982.465.75	<ol> <li>लेखा संख्या-10</li> </ol>	3,242,241,859.50
33,140.878.23	2. लेखा संख्या-11	78,147, <b>64</b> 5. <b>37</b>
2.482,590,772.46	<ol> <li>भारतीय स्टंट येक मुम्बई के</li> </ol>	33,395,552.75
	पास बकाया राशि	
4,645,714,116.44	शोष	3,353,785,057.62
	अनुसूची संख्या-5	
	विविध नामे	
897,756,437.21	1. लेखा संख्या-10	1,065,559,364.41
158,259,990.81	2. लेखा संख्या-11	156,659,799.81
1,056,016,428.02	शेष	
1,000,010,720.02	अनुसूची संख्या-6	1,222,219,164.22
	अन्य प्राप्तियाँ क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	
116.898.343.68	· (क) शास्तिक नुकसानी	206 076 415 94
39,920,009,86	(ख) 7 क्यू व्याज	396,976,415.84 824,230,367.76
24,551,575.91	(म) अवितरित जमा राशि	36,980,186.79
19,426,521.45	(घ) निधि के अंतरण के फलस्वरूप लेखा स l में प्राप्त राशि	40,497,376.81
3.207.911.85	(ड) अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि	3,736,964.40
0.00	(च) दिविध प्राप्तियाँ	1,005,882.00
204,004,362.75	जोड	1,303,427,193.60

# कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के प्राप्ति और अदायगी लेखे तथा तुलन पत्र



कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा वर्ष 2003-2004 को प्राप्ति और (अंशदान

-	- 33
	ш

पिछला वर्ष	क्रम सं.	प्राप्तियां	राशि (रूपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
31,479,015,425.38	1.	। अप्रैल 2003 को आदि शेष	35,393,585,171.09
1,586,167,609.99	2.	(।) नियोक्ताओं का अंशदान	1,753,593,853.07
. 0.00		(2) 2003-2004 में सरकार का अंशदान	0.00
2,210,800,000.00	3,	लोक लेखा में निवेश पर व्याज	2,398,700,000.00
677,047,343.98	4	प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	795,397,723.75
1,724,660.29	5.	बचत बैंक लेखे पर व्याज	1,756,399.92
16,652,529.11	6.	शास्तिक नुकसानी	27,775,658.20
	7.	अन्य प्राप्तियां :	
16,077,38	30-	(क) लेखा संख्या 21	46,051.00
0.00	ac.	(ख) लेखा संख्या-25	0.00

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1000		
35,971,423,646.13	जोड़	. 433		40,370,854,857.03

## योजना-1976 अदायगी लेखा लेखा)



			The state of the S
पिछला वर्ष	क्र. सं	अदायगी	राशि (रूपये)
(5)	(6)	(7)	(8)
545,257,827.50	1.	रीमा लाभ	507,805,409.92
0.00	2.	छूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को	
		वापिस की गयी राशि	0.00
32,343,540.54	3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर	22,279,241.22
·		अर्जित ब्याज की राशि	
	4.	अन्य अदायगियाँ	
237,107.00		(क) लेखा संख्या - 21	44,685.00
0.00		(ख) लेखा संख्या - 25	0.00
			al disagraph of
35,393,585,171.09	5.	अन्त शेष	39,840,725,520.89

	and the same of	The state of the s	
35,971,423,646.13	जोड़	40,370,854,857.03	

ह०/-(अनिरुद्ध सय) वितीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ह०/-(अजय सिंह) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त



### कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा वर्ष 2003-2004 का प्राप्ति और (प्रशासन

नामें

पिछला वर्ष	क्र. सं	प्राप्तियां	राशि (रूपये)
(1)	(2)	(3)	(4)
7,336,735,684.82	1.	। अप्रैल 2003 को आदि शेष	8,070,479,241.38
58,665,030.71	2.	वर्ष के दौरान नियोक्ताओं से प्राप्त	57,826,294.93
		प्रशासकीय प्रभार	
18,738,712.65	3.	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	18,465,711.72
1.017,313.65	4.	शास्तिक नुकसानी	1,657,393.21
0.00	5.	(क) वर्ष 2002-2003 तक सरकार के भाग	0.00
		की बकाया राशि	
0.00		(ख) वर्ष 2003-2004 के निधि प्रशासन की लागत के रूप में	0.00
		सरकार से प्राप्त राशि	
0.00	· 6.	(क) प्रशासन लेखे से निवेश पर प्राप्त ब्याज	0.00
696,685,619.00		(ख) विशेष जमाखाते पर व्याज	609,925,513.78
98,941.28		(ग) बचत खाते पर ब्याज	98,523.21
0.00		(घ) अग्रिम पर ब्याज	0.00
•	7.	अन्य प्राप्तियां	
566,956.78		(क) लेखा संख्या - 22	242,199.87
0.00		(ख) लेखा संख्या - 24	0.00

8,112,508,258.89	जोड़	8,758,694,878.10
TO SHOULD SEE THE SHOP OF THE PARTY OF THE SHOP OF THE	The state of the s	

## योजना-1976 अदायगी लेखा लेखा)



जमा

अमा	30				
(राशि रूपवे)	राशि (रूपये)	अदायगी	क्र. सं	पिछला वर्ष	
(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	
		प्रशासन व्यय	1.		
		राजस्य व्यय	(क)		
	20,290,531.69	वेतन	(1)	19,198,827.36	
	3,444,417.62	भत्तें और मानदेय	. (2)	3,183,695.00	
	599,311.91	यात्रा भक्ता एवं अवकाश यात्रा रियायत	(3)	490,331.66	
	5,901,491.04	पेंशन/उपदान (स्टाफ)	(4)	5,515,293.74	
	12,685.16	स्टाफ भविष्य निधि	(5)	7,200.25	
	1.00	(क.नि.स.लाभ)			
A INTERNATION OF THE	11,036,526.26	अन्य प्रभार (आवर्ती और अनावर्ती)	(6)	8,807,838.80	
	161,257.49	अनुदान	(7)	93,013.04	
作。"他是一类是	400,323.38	कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर्स	(8)	432,195.84	
0.000		आदि की मरम्मत एंव रख-रखाव			
41,846,544.55	41,846,544.55		जोड़	37,728,395.69	
		पूंजीगत य्यय :	(ব্ৰ)		
557,518.06		कार्यालय भवन/स्टाफ क्यार्टर्स		4,241,010.82	
		आदि का निर्माण			
		अन्य अदायगियां	2.		
190,912.54	3.33	(क) लेखा संख्या 22		59,611.00	
200.00		(ख) लेखा संख्या 24		0.00	ě.
8,716,099,702.95		अंत शेष	3.	8,070,479,241.38	
8,758,694,878.10			जोड़	8,112,508,258.89	

ह०/-(अनिरुद्ध राय) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी ह०/-(अजय सिंह) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त



## कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 31 मार्च, 2004

पिछला वर्ष	क्र. सं	देयताएं	अनुसूची संख्या	राशि (फपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35,393,585,171.09	1.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा		39,840,725,520.89
8,070,479,241.38	2.	कर्मधारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि प्रशासन लेखा		8,716,099,702.95
-386,141,713.13	3.	निवेश अस्थिर खाता		-685,138,682.27
223,061,209.00	4.	विविध जमा	1	198,713,895.86

42 200 002 000 24		40 000 400 400 420 42
43,300,983,908.34	জীভ	48,070,400,437.43
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

## बीमा योजना-1976 तक का तुलन पत्र



पिछला वर्ष	क्रं. सं.	परिसम्पत्तियां	अनुसूची संख्या	राशि (रूपये)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	निवेश लेखा		
	(ক)	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा		
6,632,216,209.05	(1)	प्रतिभूतियों में निवेश	2	8,423,551,209.05
28,220,014,794.14	(2)	लोक लेखा में जमा	3	30,618,714,794.14
	(ভ)	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा		
		प्रशासन निधि लेखा		
8,100,416,645.23	(1)	सावधि जमा में निवेश राशि	4	8,761,252,159.01
-44,237,057.31	(2)	कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन	5 -	-52,491,119.92
		लेखा में से देय राशि		
143,952,627.37	2.	रोकड़ बही शेष/बैंक में नकद	6	104,313,186.83
150,758,036.43	3.	अभिवहन में पड़ी राशि	7	117,540,081.38
97,862,653.43	4.	विविध नामे	8	97,520,126.94
43,300,983,908.34	जोड़			48,070,400,437.43
पिछला वर्ष	<u>पाद</u>	टिप्पणी	<u> </u>	ग्राल <u>्</u> यर्ष
612.56 लाख रूपये	1.	31-3-2004 को नियोक्ताओं द्वारा वे क.नि.स.बी. अंशदान	रेय 3,445.97	लाख रूपये
17.61 लाख रूपये	2.	31-3-2004 को नियोक्ताओं द्वारा वे क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार और निरीक्षण प्रभार	इंच 336.90	लाख रूपये
	3.	प्रतिभूतियों में निवेश को अंकित मूल	य के आधार पर तुलन	पत्र
	BIS A TO	में दर्शाया गया है।		No. of the Party of the
The state of the s	4.	वास्तविक आधार पर लेखों को समे	कित किया गया है।	

ह०/-

(अनिरुद्ध राय)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

E0/-

(अजय सिंह)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

<b>EPF</b> India
---------------------

2002-2003 अनुसूची संख्या-1		2003-2004
रूपये पैसे	रूपये पैसे विविध जमा	
33,265,273.76	<ol> <li>लेखा संख्या-21 में अधिक जमा</li> </ol>	30,787,385.87
113,793,585.73	2. लेखा संख्या-25 में अधिक जमा	86,069,864.38
1,344,061.55	3. भा.रि. बैंक लेखे में अधिक जमा	1,344,061.55
15,492,395.41	4. लेखा संख्या-22 में अधिक जमा	13,956,288.36
59,165,892.55	5. लेखा सं 24 में अधिक जमा	66,556,295.70
223,061,209.00	शेष	198,713,895.86
	अनुसूची संख्या-2	
	(क) केन्दीय रूप से खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	
5,238,854,056.67	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	6,632,216,209.05
	जोड़ें:	
2,054,240,167.18	<ol> <li>केन्द्रीय रूप से निवेशित राशि (लागत मूल्य)</li> </ol>	2,857,451,969.14
-205,378,014.80	2. प्रतिभूतियों की खरीद पर लाभ/हानि	-298,996,969.14
7,087,716,209.05	ं जोड़	9,190,671,209.05
	घटार्येः	
0.00	<ol> <li>प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाम/हानि</li> </ol>	0.00
455,500,000.00	<ol> <li>वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियां</li> </ol>	767,120,000.00
455,500,000.00	जोड़	767,120,000.00
6,632,216,209.05	খা <b>ष (</b> ফ)	8,423,551,209.05
_	(ख) क्षेत्रों द्वारा अंतरित प्रतिभृतियां :	
0.00	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	0.00
and addition the	(स्वीकृत मूल्य)	
	जोड़ें:	
0.00	<ol> <li>प्राप्त प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत मूल्य)</li> </ol>	0.00
0.00	2. अन्य समायोजन .	0.00
0.00	्राच्या जो <b>ड़</b>	0.00
	पटार्थेः । अर्थान्य विकास व	
0.00	स्थापनाओं को वांपस की गई प्रतिभूतियाँ	0.00
	(स्वीकृत मृत्य)	
0.00	शेष (ख)	0.00
6,632,216,209.05	जोड़ (क+ख)	8,423,551,209.05

<b>EPF</b> India	7
India	7

•	•	Simu
2002-2003	अनुसूची संख्या 3	2003-2004
रूपये पैसे	लोक लेखे में जमा शशि	. रूपये पैसे
26,009,214,794.14	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	28,220,014,794.14
0.00	l. वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	0.00
0.00	2. 2003-2004 के लिए सरकार का अंशदान	0.00
0.00	3. 2002-2003 तक सरकार के भाग का बकाया	0.00
2,210,800,000.00	4. लोक लेखे में बकाया पर ब्याज	2,398,700,000.00
28,220,014,794.14	शेष	30,618,714,794.14
	अनुसूची संख्या-4	
	निवेश की गई राशि	
7,329,101,026.23	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	8,100,416,645.23
	जोड़ें:	
74,630,000.00	क) वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	50,910,000.00
696,685,619.00	ख) वर्ष के दौरान एस.डी. ए. पर ब्याज	609,925,513.78
8,100,416,645.23	जोड़	8,761,252,159.01
	घटार्यः	
0.00	इस दौरान छुड़ायी गयी राशि	0.00
		27 477
8,100,416,645.23	शेष	8,761,252,159.01
	अनुसूची संख्या-5	
	कर्मचारी भ.नि. प्रशा. लेखे से देय शशि	49.00
	(क) खाता संख्या 24 में संव्यवहारः	
-10,047,650.80	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	-44,237,057.31
	फो <del>ड़ें</del> :	
7,780,000.00	वर्ष के दौरान	34,150,000.00
-2,267,650.80	शेष	-10,087,057.31
	(ख) खाता संख्या 22 में संव्यवहारः	
-41,969,406.51	अंतरित राशि (प्रशासन व्यय अंश)	-42,404,062.61
-44,237,057.31	शेष (क+ख)	-52,491,119.92

<b>EPF</b> India
2002 2002

<b>India</b>	अनुसूची संख्या 6	2003-2004
रूपये पैसे	रोकड़ बही शेष/बैंक में नकद	रूपये पैसे
46,116,623.76	1. लेखा संख्या-21	56,558,696.58
220,446.10	2. लेखा संख्या-25	617,327.20
-858,295.23	3. लेखा सख्या-22	1,149,297.09
704,929.55	4. लेखा संख्या-24	511,429.38
97,768,923.19	<ol> <li>भारतीय स्टेट बैंक में राशि</li> </ol>	45,476,436.58
143,952,627.37	शेष	104,313,186.83
	अनुसूची संख्या-7	
	अभिवहन में पड़ी राशि	
128,124,741.79	1. लेखासंख्या 21 से 25 में	97,871,333.44
532,224.15	2. बैंक लेखे से लेखा 25 में	532,224.15
22,101,070.49	<ol> <li>लेखा संख्या-22 से 24 में</li> </ol>	19,136,523.79
150,758,036.43	. शेष	117,540,081.38
	अनुसूची संख्या-8	
	विविध नामे	
33,617,157.31	1. लेखा संख्या-21	33,180,751.77
26,544,780.50	2. लेखा संख्या-25	26,594,898.50
9,856,346.88	3. लेखा संख्या-22	9,908,149.93
27,844,368.74	4. लेखा संख्या-24	27,836,326.74
97,862,653.43	প্ৰাত্ত	97,520,126.94



## वर्ष 2003-2004 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां		
प्रस्तावना कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीणं उपबंध अधिनियम, 1952 के अधिनियमन् के पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) को स्थापना वर्ष 1952 में हुई। कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवारों को पर्याप्त एवं लंबी अवधि के लिए सुरक्षात्मक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम में 1971, 1976 एवं 1995 में पुनः संशोधन किये गए। परिवार पेंशन योजना (प.पें.यो.) तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा योजना (क.नि.स.बी.यो.) क्रमशः 1.3.71 तथा 1.8.1976 को लागू हुई। 15.11.95 के पश्चात् परिवार पेंशन योजना, 1971 समाप्त कर दी गई तथा परिवार पेंशन योजना की समस्त राशि का कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में विलय कर दिया गया	वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।		
उद्देश्य  (i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा लाभों के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:  (क) कर्मचारी भविष्य निधि एंव प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को लागू करना  (ख) वसूली एंव न्यास में जमा राशि का प्रबंधन, एवं  (ग) योजनाओं के सदस्यों को संतोषजनक सेवांए प्रदान करना।	बास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।		
(ii) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना एवं कर्मचारी निक्षेष सहबद्ध बीमा योजना नाम की तीनों योजनाओं को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाली एक त्रिपक्षीय समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है इसमें केन्द्र/ राज्य सरकार, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं	बास्तबिक, अतः कोई टिप्पणी नहीं।		
(iii) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके वेतन का 10 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत (स्थापना की श्रेणी पर आधारित) अंशदान के रूप में देना होता है तथा इतना ही अंशदान नियोक्ता द्वारा भी दिया जाता है। इस राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा किया जाता है जहां इसे सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धित के अनुसार निवेशित किया जाता है। 31 भार्च 2004 तक कर्मचारी भविष्य निधि में निवेशित राशि 71712.00 करोड़ रुपए थी।	वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं सिवाय इसके कि नियोक्ता के अंशदान में से 8.33% पेंशन निधि में अंतरित कर दिया जाता है जबकि शेष राशि भविषय निधि में ही रहती है।		
(iv) कर्मचारी पेंशन योजना , 1995 का वित्त पोषण नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से किए गए अंशदान द्वारा किया जाता है तथा केन्द्र सरकार भी कर्मचरियों के वेतन का 1.16 प्रतिशत अंशदान के रूप में देती है। केन्द्र सरकार के हिस्से एवं लोक खाते के निवेश पर प्राप्त ब्याज की पुनः लोक खाते में निवेश किया जाता है। वार्षिक लाभ उपलब्ध कराने के पश्चात् अधिशेष, यदि कोई हो, तो उसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 52 के अंतर्गत निर्धारित निवेश पद्धित के अनुसार निवेशित किया जाता है। 31 मार्च 2004 को लोक खाते में इस योजना का संग्रह 23333.07 करोड़ रुपए था तथा प्रतिभृतियों की राशि 29408.59 करोड़ रुपए थी।	वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं ।		
(v) क.नि.सह.बी.थो., 1976 का बित्त पोषण नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के बेतन के 0.5 प्रतिशत की दर से किए गए अंशदान से होता है। इस योजना के अंतर्गत, सेवा के दौरान भरने वाले अभिदाता के परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान किए जाते हैं। 31 मार्च 2004 को लोक खाते में इस खाते का निवेशित बकाया 3061.87 करोड़ रुपये था तथा प्रतिभृतियों में 842.36 करोड़ रुपए था।	वास्तविक, अतः कोई टिप्पणी नहीं ।		



लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां

संगठन की टिप्पणियां

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से अलग से बेतन के 1.10 प्रतिशत की दर से तथा छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से निरीक्षण प्रभार के रूप में बेतन के 0.18 प्रतिशत की दर से अंशदान लेकर की जाती है। ये दरें एक अगस्त 1998 से लाग हैं।

कर्मचारी निक्षंप सहबद्ध बीमा योजना के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के बेतन के 0.01 प्रतिशत की दर से तथा छूट-प्राप्त स्थापनाओं द्वारा निरीक्षण प्रभार के रूप में वेतन के 0.005 प्रतिशत की दर से अंशदान के रूप में देने से की जाती है।

कर्मचारी पंशन योजना. 1995 के प्रशासनिक व्यय को पूरी प्रतिपूर्ति कर्पचारी पेंशन योजना, 1995 की पेंशन निधि द्वारा की जाती है।

संगठन को लेखा-परीक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5 ए (6) के अंतर्गत शामिल उपबंध के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, राक्तियां एवं सेवा-शर्ते) अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत की जाती है।

तीनों योजनओं का कुल प्रशासिक व्यय क.भ-नि. योजना के प्रशासिनक खाते से किया जाता है और वित्तीय वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं से 83:16:1 के अनुपात से विनियोजित किया जाता है।

#### लेखों पर टिप्पणी

- 2. तलनपत्र
- 2.1 देयताएँ
- 2.1.1 देवताओं को 2468.11 करोड़ रुपए से कम आंकना।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पॅशन योजना और कर्मचारी निक्षेष सहबद्ध बीमा योजना के तुलनपत्र के देयताओं की ओर "निवेश घट-चढ़ खाते" शीर्ष के अंतर्गत क्रमश: 476.55 करोड़ रुपए, 1923.05 करोड़ रूपये तथा 68.51 करोड़ रूपयों का ऋणात्मक शेष दिखाया गया है। देयता की तरफ ऋणात्मक शेष दिखाने के बजाय इन शेषों को संबंधित तुलन पत्र के परिसम्पत्ति की तरफ दशीया जाना चाहिये था। इस प्रकार देयताओं को 2468.11 करोड़ रूपये से कम आंका गया। तुलनपत्र में देयताओं की ओर 2468.11 करोड़ रूपये के कारण, परिसम्पतियों और देयताओं दोनों को कम दशीया गया। इस प्रकार तुलनपत्र खातों का सच्या और सही-स्वरूप प्रदर्शित नहीं करता।

क.भ.नि.संगठन ने (दिसम्बर 2004) में बताया कि इन ऋणात्मक शेषों को अनुमोदित फार्मेंट के अनुसार ही दिखाया गया है । उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि क.भ.नि.सं. को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा सांविधिक निकायों के लिए निर्धारित नया/एकसमान फार्मेट को अपनाना चाहिए ताकि खातों में एकरुपता तथा पारदर्शिता लाई जा सके ।

(क) साफ तौर पर निवेश घट बढ़ खाता' क.भ.नि.संगठन के लिए देयता नहीं है, लेखा नीतियों के अनुसार निवेश को अंकित मूल्य पर दिखाने के लिए यह केवल समाधान लेखा है, जिसमें नए निवेश पर प्रीमियम/छूट को समायोजित किया जाता है। इस खाते से किसी भी पक्ष को कुछ भी देय नहीं है। इस प्रकार देयताओं को कम नहीं बताया गया है।

इसके अतिरिक्त, संगठन ने इस खातें के दशांने से संबंधित प्रक्रिया को बदलने के संबंध में कदम उठाए हैं तांकि इस खाते को आई.सी.ए.आई. के सम्बन्धित निवेश लेखा मानकों के अनुसार दिखाया जा सके, तथा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा प्रतिभृति के प्रचलन के दौरान परिशोधन प्रक्रिया का अनुमोदन करा लिया गया है। प्रस्तावित प्रक्रिया का क्रियान्वयन नियन्त्रक तथा महालेखा परोक्षक के अनुमोदन के पश्चात् हो क्रिया जाएगा।

(ख) कमंचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्थ अभिनियम की धारा 5ए (5) के अनुसार कमंचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा खातों के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मेंट नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के विचार-विमर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निधारित है और फार्मेंट के अनुसार यह खाता केवल देयताओं की तरफ ही दिखाया जाना है।

इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा -प्रेक्षण की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार तथा



लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
	भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप लेखों कर वर्तमान प्रारूप परिवर्तित होता है ! उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस मामले में देयताओं को कम नहीं दिखाया गया है ।
2.1.2.	
मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल के तुलन पत्र में सामूहिक बीमा योजना की मद के तहत क्रमशः 6.26 लाख रुपए और 1.77 लाख रुपए का ऋणात्मक शेष परिसम्पतियों की तरफ दिखाने की बजाय देयताओं की ओर दिखाया गया है । परिणामस्वरूप संगठन की देयताएँ 8.03 लाख रुपए से कम बताई गई हैं ।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिसम्बर (2004) में बताया कि वितीय वर्ष 2004-2005 के दौरान ऋणात्मक शेष को समाप्त करने के लिए समुचित उपाय किए जायेंगे ।	(क) इस मद के तहत ऐसे नकारात्मक शेष हो सकते हैं क्योंकि कर्मचारियों की पॉलिसी को बनाए रखने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा डिमाण्ड नोट भेजे जाने पर ही उन्हें भुगतान कर दिया जाता है तथा कर्मचारियों के वेतन से अंशदान वसूल करने और सम्बद्ध कार्यालय पहुंचने में काफी समय लगता है। इसके ऑतिरिक्त 'सामूहिक बीमा योजना' से सम्बंधित 6.57 लाख रुपए की राशि, पिछले वर्षों के दौरान गलती से खाता संख्या 4-ए में जमा कर दी गई थी, इस कारण इस मद में ऋणात्मक शेष रहा। इस मद के तहत नकारात्मक शेष को वित्तीय वर्ष 2004-2005 में दूर कर दिया जाएगा।  (ख) चूंकि 1.77 लाख रुपए की राशि क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बंधित है, क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बंधित है, क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बंधित है, क्षेत्रीय कार्यालय के वर्ष 2004-2005 के अंतिम लेखों में समृचित उपाय किए जाएँगे।
2.1.3 असत्यापित देयताएँ	
संगठन के तुलनपत्र के देयता की तरफ "सामूहिक बोमा योजना (पुरानी)" के मद के तहत 1.01 करोड़ रुपए दिखाये गये हैं । इस योजना को रोक दिया गया है तथा क्षेत्रीय कायांलयों के द्वारा हकदार कर्मचारियों को राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा जिसको प्रतिपूर्ति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय द्वारा की जानी थी ।  इसे पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा में भी दशांया गया था । किन्तु, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस मामले के निवारण के लिए कोई प्रयास नहीं किया ।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर 2004) कि क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय से नामें (डेबिट) नोट की प्राप्ति होने पर देयताओं की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी । संगठन का यह जवाब तर्कसंगत नहीं है। क्सोंकि क्षेत्रीय कार्यालयों ने 1.01 करोड़ रुपए की राशि मुख्यलय से वसूली राशि में नहीं दिखायी है । इसका परिणाम यह हुआ कि तुलनपत्र में असमायोजित आंतरिक लेन-देन प्रदर्शित हो गये जबिक वर्ष के अंत में कोई शेष नहीं रहना चाहिए ।	संगठन की जी.आई.एस. (पुरानी) के तहत अंतिम निपटान की देयता लगभग 100.89 लाख रुपए हैं । वस्तुतः बकाए का भुगतान सम्बंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा हकदार स्टाफ कर्मचारियों को कर दिया गया है । इन राशियों की प्रतिपूर्ति क्षेत्रीय कार्यालय/उपक्षेत्रीय कार्यालय को उनसे नामें मोट प्राप्त करने के उपरांत कर दी जायोगी । जिसके लिए अनुदेश मुख्यालय द्वारा पहले ही जारी कर दिए गए हैं । चूंकि मामला पुराना है, अत: नामे नोट जारी करने से पूर्व अभिलेखों को सत्यापित करने में क्षेत्रीय इकाईयों को कुछ समय लगेगा ।



#### लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां

#### संगठन की टिप्पणियां

#### 2.1.4. ब्याज उचंत लेखा 8408.88 करोड़ रु.

वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि वकाया तथा नियोक्ताओं से देरी से प्राप्त अंशदान पर शास्तिक नुकसानी पर अर्जित ब्याज को बयाज उचंत लेखे (एक प्रोफार्मा लेखा) में जमा किया जाता है । इसके बाद वार्षिक लेखों को बंद करते समय ब्याज अभिदाताओं के लेखों में जमा किया जाता है तथा उसी राशि को ब्याज उचंत लेखा में नामे (डेबिट) किया जाता है । 31.03.04 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तुलनपत्र में 8408.88 करोड़ रुपए जमा शेष था । 1999-2000 तथा उससे आगे के 5 वर्षों के ब्याज उचंत लेखा की स्थिति का वर्षवार ब्यांरा नीचे दिया गया है ।

रुपए लाखों में

, चर्च	पिछले वर्ष का शेष	वर्ष के दौरान अजित स्थान	न्याज उचंत लेखे से नामे (डेविट) न्याज	अन्तः शेष
1999-00	817,617	511,779	545,123	784,273
2000-01	784,273	562,809	544,859	802,223
2001-02	802,223	575,079	584,353	792,949
2002-03	792,949	595,301	556,938	831,312
2003-04	831,312	607,670	598,094	\$40,888

8,40,888 लाख रुपए में से 2,33,218 लाख रुपए वर्ष 2002-2003 तक अर्जित ब्याज तथा 6,07,670 लाख रुपए 2003-2004 के दौरान अर्जित ब्याज से सम्बंधित है जिसको आगामी वर्ष के दौरान सदस्यों के लेखों में जमा किया जाता है। एक वर्ष में अर्जित व्याज को हमेशा ब्याज उचंत लेखे में रखा जाता है। 2,33,218 लाख बकाया ब्याज की राशि है जिसको उन सदस्यों के लेखों में जमा किया जाता है जिनका 2002-03 तक समेकन नहीं किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि 8408.88 करोड़ रुपए में से 2332.18 करोड़ रुपए 2002-03 तक अर्जित ब्याज तथा 6076.70 करोड़ रु. 2003-2004 के दौरान अर्जित ब्याज से सम्बंधित है जिसको आगामी वर्ष के दौरान सदस्यों के लेखों में जमा किया जाता है । उत्तर तर्कसंगत नहीं है । चूँिक समान विसंगति को पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी बताया गया था तथापि पिछले वर्ष के अन्तरोष की राशि 8313.12 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वर्ष में अन्तरोष बढ़कर 8408.88 करोड़ रुपए हो गया है ।

#### 2.1.5

वर्ष 2003-04 के लिए 942.45 करोड़ रुपए के अदावी जमा पर 9.5 प्रतिशत की दर से देय ब्याज के रूप में 89.58 करोड़ रुपए को तुलनपत्र के देयता पक्ष में अदायी जमा लेखा शीर्षक के अन्तर्गत अलग से नहीं दर्शाया गया है ।

क.भ.नि.संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि लेखों के अनुमोदित फोरमेंट के अनुसार अदावी जमा लेखापर देय ब्याज को अलग से दर्शाने का कोई प्रावधान नहीं है । वी.पी.आर. के अन्तर्गत बनाई गई नई लेखा प्रक्रिया में इस कमी की ओर ध्यान दिया गया । उत्तर तर्कसंगत नहीं है । चूँकि अदावी जमा पर देय ब्याज को तुलनपत्र के देयता पक्ष पर अदावी जमा शीर्षक के अन्तर्गत अवश्य अलग से दर्शाना चाहिए ताकि लेखों की सही तस्वीर दर्शायी जा सके ।

लेखों के अनुमोदित फोरमेंट के अनुमार अदाबों जमा लेखों पर देय ब्याज को अलग से दर्शाने का कोई प्रावधान नहीं है । बीपीआर के अन्तर्गत बनाई गई लेखा प्रक्रिया में इस कमी की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

#### 2.1.6 विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) में ऋणात्मक शेष

विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) र्राजस्टर के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल तथा गुजरात द्वारा विशेष आरक्षित निधि में क्रमशः 5.04 करोड़ रुपए तथा 1.98 लाख रुपए ऋणात्मक शेष के रूप में दर्शाये गये हैं। ऋणात्मक शेष के कारण लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया । इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विशेष आरक्षित निधि रिजस्टर में दिये गये आँकड़े तथा मुख्यालय से संबंधित आँकड़ों में विसंगति है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि इन इकाइयों में निधि के प्राधिकरण को रिकार्ड न करने तथा रिजस्टर में अवसूली योग्य अदायगियों जैसे मनीआर्डर कमीशन, मृत्युराहत निधि इत्यादि को गलत दर्शाने के कारण ऋणात्मक शेष था।

विशेष आरक्षित निधि रंजिस्टर मंजूरों के बिरूद एक यूनिट द्वारा निधि के प्रयोग को दिखाता है। यह किसी प्रकार के कैश फ्लो प्रबन्धन को नहीं दर्शाता है। क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगाल तथा गुजरात से संबंधित क्रमशः 503.25 लाख रुपए तथा 1.98 लाख रुपए का ऋणात्मक शेष इन इकाईयों में निधि के प्राधिकरण के रिकार्ड न करने के कारण तथा र्राजस्टर में अवसूली योग्य अदायगियों जैसे मनीआईर, कमीशन, मृत्यु राहत निधि इत्यदि को गलत दर्शाने के कारण था। इस वर्णित विसंगति का विशेष आरक्षित निधि के कार्य पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां	
2.1.7 विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) रजिस्टर तथा वार्षिक लेखे आंकड़ों में अन्तर विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान 0.23 करोड़ रुपए अदा किया हुआ दर्शाया गया है जबिक समेकित तुलनपत्र में यह 3.79 करोड़ रुपए दर्शाया गया । 3.56 करोड़ रुपए के अंतर के समाधान की आवश्यकता है । इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तुलनपत्र में दर्शाया गया विशेष आरक्षित निधि का शेष सही तस्कीर को नहीं दर्शाता है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर , 2004) कि रजिस्टर में दर्शाये गये आंकड़े तथा वास्तविक आंकड़ों का समाधान करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।	पर विशेष आरक्षित निधि (एस.आर.एफ.) रिजस्टर बनाया जाता है जो कि कभी-कभी अद्यतन नहीं होता है जबकि तुलनपत्र वास्तविक उपयोग के आधार पर समैकित	
2.2.1 परिसम्पतियाँ 2.2.1 परिसम्पतियाँ को कम बताना कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तुलनपत्र में परिसम्पत्ति पक्ष को और "कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखे से देय राशि" शीर्ष के अन्तर्गत 5.25 करोड़ रुपए ऋणात्मक शेष दर्शाया गया है । इस ऋणात्मक शेष को देयताओं पक्ष को ओर दर्शाया जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरूप 5.25 करोड़ रुपए की परिसम्पतियाँ कम दर्शायी गई । "कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखे से देय राशि" शीर्ष के अन्तर्गत 5.25 करोड़ रुपए का ऋणात्मक शेष परिसम्पतियाँ पक्ष की ओर दर्शाने के परिणामस्वरूप परिसम्पतियों तथा देयताओं दोनों पक्षों को कम दर्शाया गया है।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा (दिसम्बर, 2004) कि लेखों के अनुमोदित फोरमेंट के अनुसार - इस लेखे को परिसम्पति पक्ष को ओर दर्शाया जाना था तथा टिप्पणियों की स्वीकृति में भारत सरकार तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का पूर्व अनुमोदन अयेक्षित होगा । उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि प्रविष्टि लेखों के फोरमेंट से सम्बंधित नहीं है। बल्कि लेखों के मूल सिद्धान्त पर है जिसके अनुसार परिसम्पतियों के अन्तर्गत सभी ऋणात्मक बकाया को केवल देयता पक्ष की ओर दिखाया जाना चाहिए ।	(क) लेखों के अनुमोदित फोरमेंट के अनुसार इस लेखे को कंवल परिसम्पतियाँ पक्ष की ओर दर्शाया जाता है । लेखा परीक्षा की टिप्पणियों की स्वीकृति पर केन्द्रीय सरकार तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा चूंकि इसके परिणामस्वरूप अन्तिम लेखों के वर्तमान फोरमेंट में मूलभूत परिवर्तन करने होंगे । (ख) लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा से अनुरोध किया गया कि सही दर्शाने के लिये निदेश दिये जाये परन्तु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।	
2.2.2 परिसन्पतियों को अधिक दर्शाना वर्ष 2002-03 के दौरान अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये पेशगी के रूप में एन.बी.सी.सी. लि. को 63.36 लाख रुपए को अदायगी की गई, परन्तु इस राशि को मुख्यालय के तुर्लनपत्र में स्टाफ क्वार्टरों के लिये भूमि तथा भवन निर्माण (पेशगी) के बजाय भूमि तथा भवन निर्माण (ऑजत परिसम्पति) शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया । इसके परिणामस्वरूप मुख्यालय के तुलनपत्र में 63.36 लाख रुपए भूमि तथा भवन निर्माण में अधिक दर्शाये गये तथा भूमि तथा भवन निर्माण (पेशगी) में कम दर्शाये गये । कमंचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि वर्ष 2004-05 के लिये इकाई के तुलनपत्र में अवंक्षित सुधार किया जायेगा ।	वर्ष 2004-05 के लिये इकाई के तुलनपत्र में अपेक्षित सुधार किया जायेगा ।	



किया जाता है।

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
2.2.3  असत्यापित परिसम्पतियाँ  i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तुलनपत्र में "भूमि तथा भवन" शीर्षक के अन्तर्गत 204.85 करोड़ रुपए ऑजत सम्पित तथा 112.26 करोड़ रुपए ऐशगी की अदायगी के रूप में दशाये गये । वर्ष के दौरान ऑजत सम्पित को परिसम्पितयों के रिजस्टर में रिकार्ड नहीं किया गया । अतः तुलनपत्र में दशाये गये आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया जा सका ।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि वर्ष के दौरान वृद्धि को दर्शाने वाली विवरणी सम्बंधित क्षेत्रों द्वारा भी भेजी गई जो कि लेखा परीक्षा पूरी होने तक सभी क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुई थी । 6 क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिसम्पतियाँ रिजस्टर का समाधान किया जा चूका था । उत्तर तर्कसंगत नहीं है । चूंकि तुलनपत्र में दर्शायी गई परिसम्पतियों का परिसम्पित रिजस्टर में दर्शाये गये मूल्य से मिलान होना चाहिये ।	अर्जित अचल (फिक्स) सम्मितयों तथा अव की गई पेशियां के लिये रिकाडों का रख रखाव करने से सम्बंधित प्रक्रिया क विकेन्द्रीयकरण कर दिया गया है तथ सम्बंधित क्षेत्र ही सभी दस्तावेजों तथ रिजस्टरों का रख रखाव करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बन्ध में अर्जित परिसम्मितियों तथा अदा की गर् पेशिगियों के सम्बन्ध में आंकड़े उनवे तुलनपत्र में दर्शाये गये हैं तथा उनके राज्यों वे महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गर है। इसके बाद हो, इनको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समेकित तुलनपत्र में समेक- हेतु मुख्यालय में भेजा जाता है। फिर भी इन आंकड़ों के साथ सम्बंधित क्षेत्रों द्वारा वर्ष वे दौरान वृद्धि के ब्यौरे को दर्शाने वार्ल विवरणी भेजी जाती है जो कि लेखा परीक्ष पूरी होने तक सभी क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुख थी। 6 क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिसम्पितयों वे रिजस्टर का अब तक समाधान किया ज
ii) सम्बंधित तुलनपत्रों में परिसम्पतियाँ पक्ष की ओर "सार्वजिक लेखे में जमा" शीर्ष के अन्तर्गत कर्मचारी पेशन योजना, 1995 में 233333.07 करोड़ रुपए तथा कर्मचारी निक्षेप सहयद्ध बीमा योजना, 1976 में 3061.87 करोड़ रुपए का निवेश दशांया गया है जिसका मिलान मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय, श्रम मंत्रालय के साथ किया जाना था । मिलान न होने के कारण इन परिसम्पतियों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया जा सकता।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर, 2004) कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने तुलनपत्र में दर्शाय गये शेष पर भारत सरकार प्रत्येक वर्ष सार्वजिनक लेखे में ब्याज जमा करता है तथा फिर पूर्व लेखा परीक्षक कार्यालय (पी.ए.ओ.) द्वारा आगे समाधान करना अपेक्षित नहीं था । उत्तर तर्कसंगत नहीं है ।	कमंचारी भविष्य निधि संगठन द्वार अपने तुलनपत्र में दर्शाये गये शेष पर भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष लोक लेखे में ब्यान्न जमा किया जाता है । इस प्रकार सार्वजनिव लेखे में दर्शाये गये शेय की प्रविष्टि भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा आगे समाधा- की कोई आवश्यकता नहीं है । इस तथ्य के जाँच इस बात से की जा सकती है वि कमंचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पर संख्या बजट 7(2)/96/पी.एस./ 1336 दिनांक 26 सितम्बर, 2003 के द्वार 1.4.2003 को संगठन के तुलनपत्र में दर्शार गये सार्वजनिक लेखे में आदि शेष के आधा पर वर्ष 2003-04 के सार्वजनिक लेखे प रखे गये पेंशन निधि पर 1815.43 करो। रुपए का ब्याज के रूप में दावा किया जिसक श्रम मंत्रालय ने मंजूर कर लिया तथा विधिय पत्रों के द्वारा सूचना दी ।
2.2.4 मार्गस्थ प्रेषण वित्तीय वर्ष के अंत में एक लेखे से दूसरे लेखे में अंतरित राशि अथवा बैंक द्वारा विभिन्न खातों में गलती से जमा की गई राशि को अगले यित्तीय वर्ष में संबंधित खाते में जमा किया जाता है। जब तक कि इसे संबंधित खाते में अंतरित / जमा नहीं किया जाता इसे "मार्गस्य प्रेषण" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा इसके अंतर्गत रिक तीनों योजनाओं के प्रावधानों को 106 फील कार्यालयों अर्थात क्षेत्रीय कार्यालयें

तीनों योजनाओं के प्रावधानों को 106 फील्ड कार्यालयों अर्थात क्षेत्रीय कार्यालयों,



#### लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां

तुलन-पत्र में मार्गस्य प्रेषण में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के क्रमशः 57.96 करोड़ रु, 23.19 करोड़ रुपए तथा 11.75 करोड़ रुपए दशाए गए हैं जिनका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

#### (क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना

(रुपए लाखाँ में)

वर्ष	लेखा संख्या .4	लेखा संख्या 5	लेखा संख्या 8	लेखा संख्या 4 ए	क.भ.नि. निवेश स्राता	कुल
ï	2	3	4	5	6	7
1999- 2:000 तकः	536.22	1,997.08	112.75	-	448.28	3,094.33
2000-01	392.21	5.00	30.49			427.70
2001-02	104.03		0.06			104.09
2002-03	75.16		11.82	-	-	86.98
2:003-04	313.25	1,685.00	84.80	0.20	•	2,083.25
कुल	1,420.87	3,687.08	239.92	0.20	448.28	5,796.35

#### (ख) कर्मचारी पॅशन योजना

(रुपए लाखों में)

वर्ष	मार्गस्य-प्रेषण
1999-00 तक	1,804.46
2000-01	0.00
2001-02	0.00
2002-03	0.00
2003-04	515.00
कुल	2,319.46

#### (ग) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

(रुपए लाखों में)

वर्ष	लेखा संख्या 24	लेखा संख्या 25	भारतीय रिजर्य बैंक	कुल
1999-00 तक	176.86	791.89	5.32	974.07
2000-01	5.12	42.39		47.51
2001-02	4.13	21.00		25.13
2002-03	-0.08	12.00	E. J. C	11.92
2003-04	5.34	111.43		116.77
कत	191.37	978.71	5.32	1,175.40

उपयुंक्त मार्गस्य शीर्ष का समाशोधन न होने के कारण उपरोक्त खातों में वास्तविक शेष का पता नहीं लग सका।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) वर्ष के अंत में मार्गस्य प्रेषण अपिरहार्य था तथा इस राशि को निरंतर मॉर्नोटर किया गया है। यह जवाब तकसंगत नहीं है क्योंकि "मार्गस्य प्रेषण" शीर्ष के अंतर्गत राशि में वर्ष 1999-2002 से पहले के पुराने प्रेषण भी शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप रोकड़ एवं बैंक शेष का गलत चित्रण होता है।

#### संगठन की टिप्पणियां

उपक्षेत्रीय कार्यालयों एवं उपलेखा कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जाता है। संगठन की कार्यपद्धति की प्रकृति में बड़ी मात्रा में वित्तीय लेन-देन की आवश्यकता होती है। ऐसे परिदश्य में वर्ष के अंत में मार्गस्थ -प्रेषण अपरिहार्य है। प्रणाली में मार्गस्थ राशि स्वाभाविक है, क्योंकि मार्च के अंतिम सप्ताह में अंतरित की गई राशि को अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित खाते में जमा किया जाता है। अतः खाते में शेष 'शून्य' नहीं हो सकता। कई बार राशि को गलत खाते में जमा कर दिया जाता है तथा उस राशि को भी मार्गस्थ-राशि के रूप में दशांया जाता है। मागंस्य राशि को निरंतर मानीटर किया जाता है तथा क्षेत्र को इस बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वह राशि जमा करने के संबंध में बैंक से बातचीत कर सके। निरंतर मानीटरिंग के परिणामस्वरूप कर्षचारी पविषय निधि, कर्मचारी पेंशन योजना एवं कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के संबंध में मार्गस्य राशि में 2003-04 से पूर्वगामी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 26.03, 44.40 एवं 29.78 % की कमी आई है। (वर्ष 2003-04 से संबंधित राशि का समाधान वर्तमान वर्ष के दौरान होगा । तथापि, अब तक कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना से संबंधित क्रमशः 1745.92 लाख रूपये, 515.00 लाख रूपये तथा 127.60 लाख रूपये की राशि का समाधान किया जा चुका है।)



#### लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां

#### संगठन की टिप्पणियां

#### 2.2.5 त्रुटिपूर्ण नामे/जमा

एक खाते से संबंधित राशि गलती से बैंक द्वारा दूसरे खाते में जमा / नामे की जा सकती है। निम्नलिखित खातों के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में गलत नामे / अधिक जमा / लापता जमा दर्शाया गया। (रुपयों लाखों में)

खाता संख्या	बँक द्वारा गलती से किया गया जमा	<b>बँक द्वा</b> रा गलती से किया गया नामे
5	2488.90	543.06
8	264.54	198.61
9	10.03	-
11	2090.62	1566.60
24	665.56	278.36
25	860.70	265.95
10	2598.01	10655.59
21	307.87	331.81
22	139.56	99.08
कुल	9425.79	13939.06

त्रुटिपूर्ण नामे / जमा / लापता जमा के वर्षवार ब्यौरे के अभाव में तथा समायोजन न होने के कारण उपर्युक्त खातों के वास्तविक शेष का पता नहीं लगाया जा सकता ।

इसे पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था किन्तु ब्रुटिपूर्ण जमा/नामे के समाधान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए वार्षिक खातों में दर्शाये गये बैंक के शेष की प्रमाणिकता का, समय बाधित चैकों के समाधान/नॉन एकाउंटिंग जिन्हें खातों में रह नहीं किया गया तथा विचार नहीं किया गया था, के कारण सत्यापन नहीं किया जा सका ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) इन आंकड़ों का समायोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। उसने यह भी कहा कि अब तक त्रुटिपूर्ण नामे में 1.72 करोड़ रूपये तथा त्रुटिपूर्ण जमा में 5.53 करोड़ रूपये की कमी आई है। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभिन्न खातों में अब भी समायोजित की जाने वाली एक बड़ी राशि की तुलना में समाधान बहुत ही कम है।

#### 2.2.6 परिसम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

जी.एफ.आर. 1961 के नियम 116 (1) के अनुसार वर्ष में एक बार परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना चाहिये परन्तु वर्ष 2003-2004 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया । अतः तुलनपत्र में दर्शायी गयी परिसम्पत्तियों के मूल्य की लेखा परीक्षा में जांच नहीं की जा सकी ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर 2004) की परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य प्रगति पर है ।

#### 2.2.7 अधिक अदायगी/अनियमित अदायगी

#### (क) अधिक अदायगियाँ

कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को की गयी अधिक अदायगियों को क्षेत्रों के तुलन पत्र में इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है । पिछले पांच वर्षों में सभी क्षेत्रों के वार्षिक आंकड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समेकित तुलन पत्र में निम्निलिखित रूप से दर्शाये गये हैं ।

				(रूपय लाखा म
वर्ष	आदि शेष	<u>जोड़ें</u> - अदा की गयी राशि	<u>घटार्ये</u> - वसूल की गयी राशि	अंतःशेष
1999-2000	14.38	5.11	2.70	16.79
2000-2001	16.79	10.20	7.07	19.92
2001-2002	19.92	35.16	19.83	36.05
2002-2003	36.05	15.99	6.95	45.09
2003-2004	45.09	21.23	9.31	57.01

पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था किन्तु अधिक अदा की गयी राशि की वसली के लिए कर्मचारी भविष्य निश्चि संगठन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया । अधिक अदायगियों

इन आंकड़ों का समाधान एक निरंतर प्रक्रिया है तथा तद्नुसार बैंक के साथ आंकड़ों का मिलान करने के प्रयास किये जा रहे हैं । परिणामस्वरूप मुख्यालय द्वारा रखे गये खातों से संबंधित त्रृटिपूर्ण नामे 28.23% जबिक त्रुटिपूर्ण जमा 7.97% घट गया । शेष खातों का रखरखाव क्षेत्रीय कार्यात्तय द्वारा किया जाता है तथा इन खातों में त्रटिपूर्ण नामे/जमा का मदवार ब्यौरा संगठन के ही फील्ड कार्यालयों द्वारा रखा जाता है । उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इनका निपटान करने के लिए निदेश दिये गये हैं। इस संबंध में हो रही प्रगति की मुख्यालय द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है । (तथापि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार त्रटिपूर्ण नामे में अब तक 171.91 लाख रूपये तथा त्रृटिपूर्ण जमा में 552.79 लाख रूपये की कमी आई है।)

कुछ क्षेत्रों की परिसम्पत्तियां का प्रत्यक्ष सत्यापन 31.3.2004 तक पूरा नहीं किया जा सका तथा यह कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2003-04 के दौरान 21.23 लाख रूपये की राशि की अधिक अदायगी की गयी जबिक इसी अवधि के दौरान 9.31 लाख रूपये की बसूली की गयी । फील्ड इकाइयों में अधिक/अनियमित अदायगियों का पता लगाने की एक आंतरिक प्रक्रिया है । इसका पता लगाने के बाद संबंधित इकाई द्वारा उत्तरदायों कर्मचारियों के विरूद अनुपातिक दण्डात्मक कार्रवाई करके नुकसान को पूरा किया जाता है। इन अदायगियों का उचित लेखा जोखा रखा जाता है तथा अधिक अदायगी रगिस्टर

संगठन की टिप्पणियां

और अधिक अदायगी समिति के द्वारा इसे मॉनीटर किया जाता है । इस शीर्ष के

अंतर्गत अधिकतर राशि 1999-2000 से

पूर्व अवधि की है । क्षेत्रीय कार्यालयों ने

इस राशि की वसूली हेतू संगठन के

कर्मचारियों तथा इन अदायगियों में शामिल

दीवानी/अपराधिक मुकदमा दायर किया है । संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित

व्यक्तियों

रूप से जांच/मागले चल रहे हैं।

#### लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां

को "परिसंपत्तियों" के रूप में दर्शाना अनियमित था । इसे आय एवं व्यय लेखे में उपयुक्त रूप से दर्शाना चाहिए था । तलनपत्र में दर्शायी गयी सभी अधिक अदायिंगयां परी तरह बसलनीय नहीं हैं। अत: इन अदायगियों को परिसंपत्तियां नहीं माना जा सकता । इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए परिसंपत्तियों का अधिक दर्शाना तथा आय/व्यय को कम दर्शाया गया जिसे टीक से नहीं बताया जा सकता ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (जुलाई 2004) क्षेत्रों को वसुली प्रक्रिया में तेजी लाने के निदेश दिये गये हैं । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आगे कहा कि (दिसम्बर 2004) 2003-04 के दौरान 21.23 लाख रूपये की अधिक अदा की गयी राशि में से 9.31 लाख रूपये वसल कर लिये गये ।

#### ख. अनियमित अदायगियाँ

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कपटपूर्ण अदा की गयी राशि को क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलनपत्र में इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है । पिछले वर्ष में सभी क्षेत्रों के वार्षिक आंकड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समेकित तलनपत्र में निम्नितिखित रूप में दर्शाये गये हैं।

সর্ঘ	आदि शेष	जोड़ें - अदा की गयी राशि	घटार्वे - बसूल की गयी राशि	(रूपय लाखाः अंतःशेष
1999-2000	72.16			72.16
2000-2001	72.16	3.81	-	75.97
2001-2002	75.97	-		75.97
2002-2003	75.97	0.21	- 1	76.18
2003-2004	76.18	195,58	0.21	271.55

वर्ष के दौरान कपटपूर्ण/अनियमित अदायगी की बहुत बड़ी राशि (1.96 करोड़ रूपये) थी जिसकी पूर्ण रूप से जांच करने तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता है । अनियमित अदायगी को परिसंपत्ति के रूप में दर्शाना अनियमित था । इसे आय एवं व्यय लेखे में उपयक्त रूप से दर्शाया जाना चाहिये । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की गयी सभी अनियमित अदायगियां वसूलनीय नहीं हैं । अतः इन अदायगियों को परिसंपत्ति नहीं माना जा सकता । इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए वसूल न किये जा सकने वाली अनियमित अदायगियों की सीमा तक परिसंपत्तियों का अधिक तथा व्यय का कम दर्शाना सामने आया है, जिसका ठीक ढंग से निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

इसे पिछले वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी दर्शाया गया या किन्तु राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) क्षेत्रीय कार्यालयों ने इन अदायिंगयों की बसली में शामिल संगठन के कर्मचारियों तथा कुछ बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ दीवानी मुकदमें/आपराधिक मुकदमें दायर किये हैं 1

#### विभिन्न नामे/जमा 2.2.8

प्रत्येक योजना से संबंधित तृलनपत्र में निप्नितिखित स्थिति पाई गयी :-

योजना	विभिन्न जमा	विभिन्न नामे
क.भ.नि.योजना,1952	13577.39	9068.44
क.पे.योजना, 1995	4688.64	12222.19
क.नि.स.बी.योजना,1976	1987.14	975.20
कुल	20253.17	22265.83

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न जमा/नामें का वर्षवार ब्यौरा लेखा परोक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया है इसके कारण विभिन्न जमा/नामें का सही होने का सत्यापन नहीं किया गया ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) उचंत लेखों के अंतर्गत वर्षवार/मदवार ब्यौरा क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय/उपलेखा कार्यालयों के पास उपलब्ध हैं तथा क्षेत्रीय आयुक्तों की आवधिक समीक्षा बैठकों में मुख्यालय द्वारा प्रगति का मॉनीटर किया गया ।

चंकि इन उचंत लेखों के अंतर्गत वर्षवार/मदवार ब्यौरा क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय / उपलेखा कार्यालयों के पास उपलब्ध है अतः उनको इन्हें निपटाने का निदेश दिया गया है । क्षेत्रीय आयुक्तों की आवधिक समीक्षा बेठकों में मुख्यालय द्वारा प्रगति को

मानीटर किया जा रहा है।



लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
2.2.9 तुलनपत्र की पाद टिप्पणी में देयराशि को न दर्शाना	
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के तुलनपत्र की पाद-टिप्पणी में निम्निलिखित राशि को नहीं दर्शाया गया है :- (रूपये करोड़ों में) क.पे.यो. 1995 31.3.2004 को क.पे.यो. अंशदान 71.96 रूपये पर देय शास्तिक नुकसानी	अपेक्षित सूचना पाद-टिप्पणी में नहीं दर्शायी गयी चूंकि ये मद अंतिम लेखों के अनुमोदित फार्मेट के भाग नहीं हैं।
क.नि.स.बीमा योजना क.नि.स.बीमा अंशदान पर देय शास्तिक नुकसानी, 9.07 रूपये प्रशासनिक प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार	
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (दिसम्बर 2004) ने बताया कि अपेक्षित सूचना पाद टिप्पणी में नहीं दी गयी है क्योंकि ये भद अंतिम लेखों के अनुमोदित प्रारूप के अंश नहीं थे । उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वित्तीय स्थिति की सड़ी एवं उचित तथ्यों को उजागर करने वाली टिप्पणी अपेक्षित है ।	
2.2.10 ऋणात्मक नकद तथा बैंक शेष अनुस्तुयो-XXI के अनुसार 181.38 करोड़ रूपये की ऋणात्मक राशि दर्शायी गई है जोिक कर्मचारी भिवध्य निधि संगठन द्वारा जारी किये गये चैक थे लेिकन दिनांक 31.3.2004 तक अंशदाताओं द्वारा उक्त चैकों को भुनाया नहीं गया । बताया गया कि जारी किये गये चैकों / धारकों को भुनातान की गयी राशि को ब्याज प्राप्ति हेतु अल्पावधि जमा योजनाओं में निवेश किया गया । अपनाई जा रही पद्धित तथा लेखा व्यवहार व्यवस्थित नहीं है ।	(क) यह टिप्पणी क.भ.नि. सं. को भेजी गई ड्राफ्ट लेखा रिपोट में शामिल नहीं थी। (ख) यह 181.38 करोड़ रुपए की ऋणात्मक राशि वास्तव में क.भ.नि.सं. की रोकड़ बही में दर्शाया जा रहा शेष है। यह शेष मूलत:, ऐसे चैक जो जारी किए जा चूके हैं किन्तु 31 मार्च 2004 तक बैंक से नहीं भुनाये गये हैं, को दर्शाता है। वास्तव में यह ऋणात्मक शेष निधि के सर्वोत्तम उपयोग / बेहतर रोकड़ प्रबन्धन को दर्शाता है क्योंकि इसमें संगठन चैक जारी करने तथा उसके बैंक से भुनने के बीच की अवधि में इस राशि को निवेशित कर ब्याज आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, सदस्यों को चैक जारी करते समय भविष्य में जमा होने वाले अंशदान तथा मुख्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अवग्यकता होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अवग्यकता होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर क्षेत्रीय कार्यालय होत उत्तरित की जाने वाली राशि का भी ध्यान रखा जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जारी किए गए चैकों का बैंक से भुगतान हो सके एवं साथ ही अतिरिक्त उपलब्ध निधि का समय से निवेश करके आतिरिक्त ब्याज अजित किया जा सके।
3. आय और व्यय लेखा 3.1 व्यय 3.1.1 कमंचारी भविष्य निधि संगठन के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के अवसर पर वर्ष 2003-04 के दौरान कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप स्वर्ण सिक्के बांटे गये । जिस पर 9.78 करोड़ रूपये व्यय किया गया जिसे गलती से "कर्मचारियों को प्रोत्साहन" की जगह "प्रचार" शीर्ष के अंतर्गत कापीरेट मुख्यालय के आय-व्यय खाते में दर्ज किया गया ।	संगठन के व्यथ से संबंधित मानक लेखा शीर्षों में "कर्मचारियों को प्रोत्साहन" नामक कोई मानक लेखा शीर्ष नहीं है तथा इस प्रकार । की गतिविधियों को पारम्परिक रूप से



को प्रोत्साहन" नामक प्र से कर्मचारी भविष्य में है क्योंकि कर्मचारियो प्यूटरों का "वार्षिक रख गखे हैं । शेष 78.69 ल मंचारी भविष्य निधि सं । जारी है ।	कोई मानक लेखा शोध निधि संगठन के "प्रचार को भुगतान किये गये रखाव" शीर्ष के अंतर्ग हैं जबकि सूचना सेवा ह नाख रूपये का समाधान	दिसम्बर 2004) संगठन व नहीं था तथा इस प्रकार व नहीं था तथा इस प्रकार व नहीं था तथा इस प्रकार व जोत्साहन को "प्रचार" ख त कार्पोरेट मुख्यालय के अप्रमाग के रिकार्ड के अनुस् किये जाने की आवश्यक को ने बताया कि शीषों के और च्यय खातों में, खात आवयकता है:-	की गतिविधियों ह केया गया था । उस् तो का नहीं माना प आय और व्यय खान तार मात्र 1.75 ला ता है । गलत वर्गीकरण व (रूपये लाखों भ अंतर	को शीर्ष के अंतरंत कवर किया गया है।  तर जा  80.44 लाख रूपये में हाईवेयर को खरीद आदि भी सम्मिलत है। इसमें सिर्फ वार्षिक रखरखाव को शामिल नहीं किया गया है। शीर्षों के गलत वर्गीकरण की सुधार प्रक्रिया जारी है।  ता सार्राशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों हारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रवन्थ हटा
प से कर्मचारी भविष्य में है क्योंकि कर्मचारियों प्यूटरों का "वार्षिक रख गख रूपये दश्रीये गये हैं गये हैं । शेष 78.69 ह मेचारी भविष्य निधि सं । जारी है । निलिखित क्षेत्रीय कायां अंतरित राशि में अंतर ध	निधि संगठन के "प्रचार को भुगतान किये गये गरखाव" शीर्ष के अंतर्ग हैं जबकि सूचना सेवा अ गख रूपये का समाधान गंग्डन (दिसम्बर 2004 लयों से संबंधित आय या, जिसके समाधान की	त कार्पोरेट मुख्यालय के उपापा के रिकार्ड के अनुस् किये जाने की आवश्यक के जीर व्यय खातों में, खात आवयकता है:-	केया गया था । उत्त तो का नहीं माना व आय और व्यय खा तर मात्र 1.75 ला ता है । गलत वर्गीकरण व (रूपये लाखों भ	तों 80.44 लाख रूपये में हाईवेयर की खरीद आदि भी सम्मिलत है। इसमें सिर्फ वार्षिक रखरखाव को शामिल नहीं किया गया है। शीषों के गलत वर्गीकरण की सुधार प्रक्रिया जारी है।  ता सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यांलयों हारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रवन्ध हटा
में है क्योंकि कर्मचारियों प्यूटरों का ''वार्षिक रख गख रूपये दशाये गये हैं गये हैं । शेष 78.69 ल मेचारी भविष्य निधि सं गजारी है । निलिखित क्षेत्रीय कायां अंतरित राशि में अंतर ध	ं को भुगतान किये गये  गरखाव" शीर्ष के अंतर्ग हैं जबकि सूचना सेवा ग्र नाख रूपये का समाधान  गटन (दिसम्बर 2004  लयों से संबंधित आय या, जिसके समाधान की	प्रोत्साहन को "प्रचार" ख त कार्पोरेट मुख्यालय के उ प्रभाग के रिकार्ड के अनुस त किये जाने की आवश्यक ) ने बताया कि शीषों के और च्यय खातों में, खात ो आवयकता है :-	तो का नहीं माना व आय और व्यय खा तर मात्र 1.75 ला ता है । गलत बर्गीकरण व ता संख्या 4 से खा (रूपये लाखों र	तों 80.44 लाख रूपये में हाईवेयर की खरीद आदि भी सम्मिलित है। इसमें सिर्फ वार्षिक रखरखाव को शामिल नहीं किया गया है। शीषों के गलत वर्गीकरण की सुधार प्रक्रिया जारी है।  ता सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यांत्यों हारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
प्यूटरों का ''वार्षिक रख गखे रूपये दशीये गये हैं गये हैं । शेष 78.69 ल मंचारी भविष्य निधि सं 1 जारी है । निलिखित क्षेत्रीय कायां अंतरित राशि में अंतर ध	प्रखाव" शीर्ष के अंतर्ग हैं जबकि सूचना सेवा प्र शख रूपये का समाधान गटन (दिसम्बर 2004 लयों से संबंधित आय या, जिसके समाधान की प्रकालय द्वारा खाल सं0 4 से अंतरित राशि	त कार्पोरेट मुख्यालय के उ प्रभाग के रिकार्ड के अनुस् किये जाने की आवश्यक है) ने बताया कि शीषों के और च्यय खातों में, खात जावयकता है:-	आय और व्यय खार रार मात्र 1.75 ला ता है । गलत वर्गीकरण व ता संख्या 4 सं खा (रूपये लाखों र	तों 80.44 लाख रूपये में हाईवेयर की खरीद आदि भी सम्मिलित है। इसमें सिर्फ वार्षिक रखरखाव को शामिल नहीं किया गया है। शीषों के गलत वर्गीकरण की सुधार प्रक्रिया जारी है।  ता सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों डारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग डारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रवन्ध हटा
गखं रूपये दशीये गये हैं । शेष 78.69 स मंचारी भविष्य निधि स 1 जारी हैं । निर्निखित क्षेत्रीय कायां अंतरित राश्चिम में अंतर ध	हैं जबकि सूचना सेवा उ नाख रूपये का समाधान गंग्डन (दिसम्बर 2004 लयों से संबंधित आय या, जिसके समाधान की पुष्यालय द्वारा खाना सं0 4 से मंतरित राशि	प्रभाग के रिकार्ड के अनुस् किये जाने की आवश्यक ) ने बताया कि शीर्षों के और व्यय खातों में, खात वे आवयकता है:- खाल सं0 2 में क्षेत्रीय कार्यांक्स द्वार रहांची जयी राशि	तार मात्र 1.75 ला ता है । गलत वर्गीकरण व ता संख्या 4 से खा (रूपये लाखों भ	ख आदि भी सम्मिलित है । इसमें सिर्फ वार्षिक रखरखाव को शामिल नहीं किया गया है । शीचों के गलत वर्गीकरण की सुधार प्रक्रिया जारी है।  सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों हारा रखरखाव किया जाता है । समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं । तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रवन्ध हटा
गखं रूपये दशीये गये हैं । शेष 78.69 स मंचारी भविष्य निधि स 1 जारी हैं । निर्तिखित क्षेत्रीय कायां अंतरित राश्चिम में अंतर ध	हैं जबकि सूचना सेवा उ नाख रूपये का समाधान गंग्डन (दिसम्बर 2004 लयों से संबंधित आय या, जिसके समाधान की पुष्यालय द्वारा खाना सं0 4 से मंतरित राशि	प्रभाग के रिकार्ड के अनुस् किये जाने की आवश्यक ) ने बताया कि शीर्षों के और व्यय खातों में, खात वे आवयकता है:- खाल सं0 2 में क्षेत्रीय कार्यांक्स द्वार रहांची जयी राशि	तार मात्र 1.75 ला ता है । गलत वर्गीकरण व ता संख्या 4 से खा (रूपये लाखों भ	ख आदि भी सम्मिलित है । इसमें सिर्फ वार्षिक रखरखाव को शामिल नहीं किया गया है ) शीचों के गलत वर्गीकरण की सुधार प्रक्रिया जारी है।  सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों हारा रखरखाव किया जाता है । समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं । तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रवन्थ हटा
गखं रूपये दशीये गये हैं । शेष 78.69 स मंचारी भविष्य निधि स 1 जारी हैं । निर्तिखित क्षेत्रीय कायां अंतरित राश्चिम में अंतर ध	हैं जबकि सूचना सेवा उ नाख रूपये का समाधान गंग्डन (दिसम्बर 2004 लयों से संबंधित आय या, जिसके समाधान की पुष्यालय द्वारा खाना सं0 4 से मंतरित राशि	प्रभाग के रिकार्ड के अनुस् किये जाने की आवश्यक ) ने बताया कि शीर्षों के और व्यय खातों में, खात वे आवयकता है:- खाल सं0 2 में क्षेत्रीय कार्यांक्स द्वार रहांची जयी राशि	तार मात्र 1.75 ला ता है । गलत वर्गीकरण व ता संख्या 4 से खा (रूपये लाखों भ	ख आदि भी सम्मिलित है । इसमें सिर्फ वार्षिक रखरखाव को शामिल नहीं किया गया है । शीचों के गलत वर्गीकरण की सुधार प्रक्रिया जारी है।  सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों हारा रखरखाव किया जाता है । समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं । तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
गये हैं । शेष 78.69 ह मंचारी भविष्य निधि सं ा जारी है । निलिखित क्षेत्रीय कायां अंतरित राशि में अंतर ध	ताख रूपये का समाधान गटन (दिसम्बर 2004 लयों से संबंधित आय या, जिसके समाधान की पुष्यालय द्वारा खाता सं0 4 से अंतरित राशि	किये जाने की आवश्यक ) ने बताया कि शीषों के और व्यय खातों में, खात ो आवयकता है :- खाक सं0 2 में क्षेत्रीय कार्यक्ता इस्स दश्मीय गयी सारीस	गलत वर्गीकरण व गलत वर्गीकरण व ग संख्या 4 से खा (रूपये लाखों र	रखरखाव को शामिल नहीं किया गया है। शीषों के गलत वर्गीकरण की सुधार प्रक्रिया जारी है।  सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग द्वारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
र्मचारी भविष्य निधि सं 1 जारी है । निलिखित क्षेत्रीय कायां अंतरित राशि में अंतर ध	गठन (दिसम्बर 2004 लयों से संबंधित आय या, जिसके समाधान की पुष्यालय द्वारा खाला सं0 4 से अंतरित राशि	) ने बताया कि शीषों के और च्यय खातों में, खात ो आवयकता है :- खाक सं0 2 में क्षेत्रीय कार्यास्त्य द्वारा दर्शायी गयी राशि	गलत वर्गीकरण व ता संख्या 4 संखा (रूपये लाखों १	शीषों के गलत वर्गीकरण की सुधार प्रक्रिया जारी है।  ता सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग द्वारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
ा जारी है । नितिखित क्षेत्रीय कार्या अंतरित राशि में अंतर ध	लयों से संबंधित आय या, जिसके समाधान की मुख्यलय द्वारा खाला सं0 4 से अंतरित राशि	और च्यय खातों में, खात ो आवयकता है :- खाल सं0 2 में क्षेत्रीय कार्बास्त्य द्वारा दर्शायी गयी राशि	ा संख्या 4 सं खाः (रूपये लाखों १	ता सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों हारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
ा जारी है । नितिखित क्षेत्रीय कार्या अंतरित राशि में अंतर ध	लयों से संबंधित आय या, जिसके समाधान की मुख्यलय द्वारा खाला सं0 4 से अंतरित राशि	और च्यय खातों में, खात ो आवयकता है :- खाल सं0 2 में क्षेत्रीय कार्बास्त्य द्वारा दर्शायी गयी राशि	ा संख्या 4 सं खाः (रूपये लाखों १	ता सारांशतः यह अंतर खाता सं. 2 में मार्गस्य राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यांत्वयों हारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाइंग्रों के तुलनपत्रीं का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
निलिखित क्षेत्रीय कायां अंतरित राशि में अंतर ध ते. क्षेत्रकानाम	या, जिसके समाधान की मुख्यालय द्वारा खाला सं0 4 से अंतरित रासा	आवयकता है :- खाल सं0 2 में क्षेत्रीय कार्यास्य द्वारा दशीयी गयी राशि	(रूपये लाखों १	राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों इारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाय गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग झारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
अंतरित राशि में अंतर ध ते. क्षेत्र का नाम	या, जिसके समाधान की मुख्यालय द्वारा खाला सं0 4 से अंतरित रासा	आवयकता है :- खाल सं0 2 में क्षेत्रीय कार्यास्य द्वारा दशीयी गयी राशि	(रूपये लाखों १	राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों हारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाइंग्रों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
अंतरित राशि में अंतर ध ते. क्षेत्र का नाम	या, जिसके समाधान की मुख्यालय द्वारा खाला सं0 4 से अंतरित रासा	आवयकता है :- खाल सं0 2 में क्षेत्रीय कार्यास्य द्वारा दशीयी गयी राशि	(रूपये लाखों १	राशि को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों हारा रखरखाव किया जाता है। समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रवन्ध हटा
है. क्षेत्र का नाम	मुख्यालय द्वारा खाता सं0 4 से अंतरित राशि	खाला सं0 2 में क्षेत्रीय कार्योक्स्य द्वारा दर्शायी गयी सारि।	अंतर	कार्यालयों हारा रखरखाव किया जाता है । समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं । तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रवन्थ हटा
	सं0 4 से अंतरित राशि	कार्यालय द्वारा दर्शायी गयी राशि	अंतर	में) समेकन के समय इन इकाईयों के तुलनपत्रों का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग द्वारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
	सं0 4 से अंतरित राशि	कार्यालय द्वारा दर्शायी गयी राशि	अंतर	का समायोजन करते समय उनके वर्गीकरण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए ये अंतरण संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं। तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग द्वारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
	सं0 4 से अंतरित राशि	कार्यालय द्वारा दर्शायी गयी राशि		संगठन के आय-व्यय लेखा में दर्शाये गए हैं तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग हार प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हट
<u> यामानग</u>	राशि	रारि।	21.20	तदनुसार मुख्यालय के बैंकिंग अनुभाग द्वारा प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
TO DO TO THE PARTY OF THE PARTY			23.20	प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हटा
क्रमानग	4422 10	4442.20	23.20	प्रशासित खाता संख्या 4 से इनका प्रबन्ध हट
<b>व्यालगान्तरा</b>	4422 10	4442 20		
- Jeaning	TT22.10	4443.39	-21.29	दिया गया है तथापि उक्त चित्रण बी.पी.आह.
झारखण्ड	6.00	0.00	5.99	के अतर्गत लेखा प्रक्रिया को पुनर्नियोजित कर
	260.00	226.54	34.36	उसमें परिवर्तन के लिए प्रस्तावित है।
महाराष्ट्र	260.90	220.54	34.30	
. मध्य प्रदेश	270.34	230.04	40.30	
. पंजाब .	164.04	140.60	23.44	
	2/9.90	275.25	71.64	9
तामलनाडू	208.89	275.25		
. उत्तर प्रदेश	954.50		33.19	Section of the Sectio
. उत्तरांचल	17.48	11.49	5.99	
कुल	6382.25	6248.62	133.62	water the state of
	2004			
ाश का इागत करता ह	इ, जिसका क्षत्राय काय	ालया द्वारा रखरखाव कि	म जाता ह तथा उ	
ा.आर. क अंतगत लख	। प्राक्रया का पुनानयाव	नत कर उसम पारवतन क	ालए प्रस्तक्षवत ह	
प्राप्ति और भुगतान ल	रेखा है है है है है		BOL BASIN	
प्राप्ति		NEEDWAY.		
प्राप्ति और भुगतान स	बाते में लेनदेन को नह	ीं दर्शाना	THE WAY	
कर्पनामे अन्या जिल	र संगठन ने साहित के क	य में निज्ञितियंग्न गणि ह	हो पादित और भगन	तान (क) (i) यह टिप्पणी क.भ.नि. सं. को भेज
			a will out Ju	गई डाफ्ट लेखा रिपॉट में शामिल नहीं थी
	मध्य प्रदेश पंजाब तिमलनाडू उत्तर प्रदेश उत्तरांचल कुल पंचारी भविष्य निधि सं शि को इंगित करता है आर. के अंतर्गत लेख प्राप्ति और भुगतान ह	मध्य प्रदेश 270.34  पंजाब 164.04  तिमलनाडू 268.89  उत्तर प्रदेश 954.50  उत्तर प्रदेश 954.50  उत्तर प्रदेश 954.50  उत्तर प्रदेश 954.50  विश्वारी भविष्य निधि संगठन (दिसम्बर 2004 रिश को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय काय तथार के अंतर्गत लेखा प्रक्रिया को पुनर्नियोगि प्राप्ति और भुगतान लेखा प्राप्ति प्राप्ति और भुगतान खाते में लेनदेन को नह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्राप्ति के स	मध्य प्रदेश 270.34 230.04 पंजाब 164.04 140.60 तिमलनाडू 268.89 275.25 उत्तर प्रदेश 954.50 921.31 उत्तरांचल 17.48 11.49 कुल 6382.25 6248.62 मंधारी भविष्य निधि संगठन (दिसम्बर 2004) ने बताया कि सारांशतः शिंग को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों हास स्वराख्य किर्णाः अंतर्गत लेखा प्रक्रिया को पुनर्नियोंजित कर उसमें परिवर्तन के प्राप्ति और भुगतान लेखा	मध्य प्रदेश 270.34 230.04 40.30 पंजाब 164.04 140.60 23.44 तिमलनाडू 268.89 275.25 11.64 उत्तर प्रदेश 954.50 921.31 33.19 उत्तरं प्रदेश 954.50 921.31 33.19 उत्तरंचल 17.48 11.49 5.99 कुल 6382.25 6248.62 133.62 पंचारी भविष्य निधि संगठन (दिसम्बर 2004) ने बताया कि सार्राशतः यहः अंतर खाता संशिर को इंगित करता है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालयों हास रखरखाब किया जाता है तथा उर्जे आर. के अंतर्गत लेखा प्रक्रिया को पुनर्नियोजित कर उसमें परिवर्तन के लिए प्रस्तर्शवित है प्राप्ति और भुगतान लेखा प्राप्ति और भुगतान खाते में लेनदेन फो नहीं दर्शाना



लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां			
		(रूपये करोड़ में)	
1.	वर्ष 2002-03 तक सरकार के अंशदान का बकाया	228.04	
2.	सरकार का अंशदान 2003-04	221.95	
3.	सार्वजनिक लेखा में शेष पर ब्याज	1815.43	

भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त राशि सार्वजनिक लेखा में जमा कर दी गयी है तथा प्राप्ति और भुगतान खाते में इसे प्राप्ति के रूप में लिया गया है। उपर्युक्त सीधे अंशदान से किये गये भुगतान, जो निवेश के रूप में है, को प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दर्शाया गया है। प्राप्ति और भुगतान खाते में शेष आंकड़ों को अंतःशेष के रूप में लिया गया है। इसलिए तुलनपत्र में दर्शाये गये आंकड़े प्राप्ति और भुगतान खाते में इंगित लेनदेन से संबंधित नहीं हो पाए।

(ख) इसी प्रकार, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के सार्वजनिक लेखा में निवेश पर सरकार से 239.87 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई जिसे प्राप्ति और भुगतान खाते में "प्राप्ति" के रूप में दर्शाया गया है । भारत सरकार के द्वारा इस राशि को सीधे सार्वजनिक लेखा में जमा कर दिया गया तथा प्राप्ति और भुगतान खाते में इसे प्राप्ति के रूप में लिया गया है । उपर्युक्त सीधे अंशदान से किये गये भुगतान, जो निवेश के रूप में है, को प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दर्शाया गया है । प्राप्ति और भुगतान खाते में शेष आंकड़ों को अंतःशेष के रूप में लिया गया है । इसलिए तुलनपत्र में दर्शाये गये आंकड़े प्राप्ति और भुगतान खाते में शेष आंकड़ों को लेत-देन से संबंधित नहीं हो पाए हैं ।

#### 5. सामान्य

#### 5.1 लेखों के फामेंट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखों का रखरखाब दिनांक 21.12.1992 के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित लेखा फामेंट में किया जाता है । वर्ष 1995 में कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के स्थान पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 लागू की गयी तथा इसके लेखों का रखरखाव कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के लिए निर्धारित फामेंट में किया जा रहा है । केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित फामेंट में व्यवस्थित ढंग से लेखों के रखरखाव के संबंध में सी ए जो से परामशं की आवश्यकता को भी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 के अधिनियम 19) धारा 5-ए केन्द्रीय बोर्ड (5), 1988 के अधिनियम 33 के द्वारा जोड़ा गया । नए फामेंट के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति प्राप्त करना अभी शेष है । इसे पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था लेकिन इस दिशा में कर्मचारी भविष्य निर्धि संगठन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि (दिसम्बर 2004) लेखा के फामेंट के अनुमोदन से संबंधित मामला सीधे श्रम मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बीध चल रहा है तथा सी.ए.जी. द्वारा अनुमोदित लेखा फामेंट को फ्रांग्न करने हेतु कार्रवाई की गयी है ।

(ii) कर्मचारी पेंशन योजना में प्राप्ति और भूगतान खाता (अंशदान खाता) भूलतः विभिन्न प्रकार के पेंशन अंशदान से संबंधित प्राप्तियों एवं भूगतान को दर्शाता है जिनके परिणामस्वरुप पेंशन निधि में वृद्धि / कमी होती है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पेंशन अंशदान को इस खाते में प्राप्ति में दिखाया जाता है क्योंकि इससे पेंशन निधि में वृद्धि होती है किन्तु इस अंशदान के लोक लेखा में निवेश से पेंशन निधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः प्राप्ति एवं भुगतान खाता (अंशदान खाता) में इसे भूगतान की तरह

संगठन की टिप्पणियां

इस खाते में दशाया जा रहा अंतः शंघ 31 मार्च 2004 को कुल पेंशन निधि को दर्शाता है जो विधिन्न प्रकार के निवेशों में (प्रतिभृतियां एवं लोक लेखा) में निवेशित है। नियोक्ताओं से प्राप्त नगद अंशदान के निवेश संबंधित प्रक्रिया में भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रावधान है।

नहीं दिखाया जा सकता।

(ख) जो तकं/स्पष्टीकरण कर्मचारी पेंशन योजना से संबंधित उपरोक्त टिप्पणी पर दिया गया है, वही तर्क/स्पष्टीकरण कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के संबंध में भी लाग है।

कोई टिप्पणी नहीं सिवाय इसके कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या जी-20017/3/97-एस.एस.-।। दियांक 21.8.1997 के अनुसार परिवार पेंशन योजना, 1971 के लिए निधारित लेखा फार्मेट में कुछ बदलाव कियं गये तथा संशोधित फार्मेंट को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए, जिसमें चालू वर्ष का लेखा तैयार किया गया है, अनुमोदन हेत् इस कार्यात्मय के पत्र संख्या बीएससी-6(5)/97/1359 दिनांक 1.10.1997 के द्वारा मंत्रालय को भेजा गया ताकि मंत्रात्त्र उक्त फार्मेट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुमोदन हेत् अग्रेषित कर सके । इसके पश्चात् इस संबंध में श्रम मंत्रालय को अनुवर्ती कार्रवाई रेत् कई अनुस्मारक भेजे गर्व ।

#### लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां

#### संगठन की टिप्पणियां

## 5.2 उपचय (एक्रूअल) आधार पर लेखों के संशोधित प्रोफॉर्मा में वार्षिक लेखे तैयार न

संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर सिमित की सिफारिशों पर आधारित लेखों में समद्शिता तथा पारदिशिता लाने हेतु भारत सरकार ने केन्द्रीय स्वायत निकायों के लिए लेखों का एक समान प्रारूप लागू किया है । लेखाकरण की संभूति पद्धति पर आधारित लेखों के इस प्रारूप को लेखा वर्ष 2001-02 से सभी केन्द्रीय स्वायत निकायों द्वारा कार्यान्वित करना अपेक्षित था । तथापि यह पाया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2003-04 के लिए अपने वार्षिक लेखे संभूति (एकरूअल) आधार पर लेखों के नए प्रारूप में तैयार नहीं किये हैं । अतः आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनपत्र कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वित्तीय स्थिति के यथार्थ व स्पष्ट दृष्टिकोण का भी अर्थपूर्ण चित्रण नहीं करता । अतः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेखों का समान प्रारूप लागू करने तथा अपने खाते संभूति आधार पर संशोधित प्रारूप में संकलित करने की सलाह दी जाती है ।

(क) यह टिप्पणी क.भ.नि. सं. को भेजी गई डाफ्ट लेखा रिपोट में शामिल नहीं थी ।

क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसचित प्रोफॉर्मा, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से अनुमादित है, में ही बनाए जाते हैं। इनमें किसी भी परिवर्तन के लिए भारत सरकार और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पूर्व अनुमति अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्वायत्त निकार्यो के लिये लाग प्रारुप मुख्यतः ऐसे संगठनों के लिए है जो वाणिज्य संबंधी गतिविधियों में संलिप्त हैं तथा क.भ.नि.सं. को मूल गतिविधि (सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना) को देखते हुए यह प्रोफॉर्मा किसी भी प्रकार से उपयोगी एंव अपनाने योग्य नहीं है। तथापि बी.पी.आर. के पश्चात् क.भ.नि.सं. की लेखांकन पद्धति में नकदी आधार से उपचय (एक्रुअल) आधार का मूलभूत परिवर्तन होना है ।

#### 5.3 बैंक समाचान

मुख्यालय की समेकित समाधान विवरणियों को संबीक्षा पर निम्नलिखित कमियां पाई गुर्वी: -

(क) बैंक ने 3.40 लाख रूपये की राशि को गलत नामे किया है । सितम्बर, 1993 से संबंधित राशियों की संबोधा व सत्यापन अभी तक नहीं किया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (दिसम्बर,2004) कि बैंक द्वारा गलत नामे किये गये 3.40 लाख रूपये में से 2,871/- रूपये का समाधान कर लिया गया है तथा शेष राशि के समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) 1993-94 से 2002-03 की अवधि से संबंधित बैंक द्वारा गलत जमा की गयी 103.56 लाख रूपये की राशि का अभी तक समायोजन नहीं किया गया है ।

कर्मचारी भविष्य निष्धि संगठन का कहना है कि (दिसम्बर 2004) बैंक द्वारा गलत जमा की गयी 1.04 करोड़ रूपये की राशि में से 17.18 लाख रूपये का समाधान कर लिया गया है तथा शेष राशि के समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

#### 5.4 निवेश संबंधी रिकार्ड प्रस्तुत न करना

रिकार्ड की संबोक्षा पर पता चला कि कर्मचारी पविषय निधि संगठन ने निम्नलिखित राशि का निवेश किया है:-

		(कराक रूपय न)
(क)	कर्मचारी भविष्य निधि	71712.00
(国)	स्टाफ भविष्य निधि	260.17
(η)	पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि	314.45
(ঘ)	प्रशासन निधि	1562.21
(多)	प्रतिभृतियों में निवेश	29408.59
(च)।	लोक लेखे में जमा	23333.07
(छ)	प्रतिमृतियों में निवेश	842.35
(ज)	लोक लेखे में जमा	3061.87
	कुल	130494.71

- (क) बैंक द्वारा गलत नामे किये गये 3.40 लाख रूपये में से 2871/- रूपये का समाधान कर लिया गया है तथा शेष राशि के समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
- (ख) बैंक द्वारा गलत जमा की गयी 103.56 लाख की राशि में से 17.18 लाख रूपये का समाधान कर लिया गया है तथा शेष राशि के समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
- (क) यह टिप्पणी क.भ.नि. सं. को भेजी गई डाफ्ट लेखा रिपोट में शामिल नहीं थी।
- (ख) लेखा परीक्षा दल ने मीमो न. 1 व 5 दिनांक 8-7-2004 के द्वारा निवेश संबंधी दस्ताबेजों (सभी खातों से संबंधित निवेश रिजस्टर, वही खाते एवं ब्रॉड शीट) की मौंग की, जोकि यू.ओ. जोट न. निवेश-1/1(15)/लेखा परीक्षा जवाब दिनांक 15-7-2000 के द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.ति. के कुल निवेशों को सिब्द करने/मृत्यापित कराने के लिए दस्तावेजी



लेखा-परीक्षा रिपोर्ट- टिप्पणियां	संगठन की टिप्पणियां
चूंकि संगठन द्वारा निवेश से संबंधित पत्राचार की फाइलें तथा अन्य रिकार्ड ऑडिट को सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये अत: ऑडिट में उपयुंक्त निवेशों की परिशुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका ।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया (जुलाई 2004) कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. की विभिन्न प्रकार से निवेशित राशि के व्यावसायिक प्रबंधन हेतु भारतीय स्टेट बैंक के दैनिक निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तथा खरीद संबंधी रिकार्ड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जाते हैं ।  संगठन के लिए निवेशों की गणना बिक्री / खरीद के प्रत्यक्ष मृत्य पर की जाती है न कि उनके वास्तविक मृत्य पर । लेखों में इस संबंध में कुछ नहीं दर्शाया गया है ।	साक्ष्य के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिभूति सेवा शाखा द्वारा जारी निवेश जमा पूंजी प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा दल को दें दिया गया था।
6. तुलनपत्र तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे पर ऑडिट की टिप्पणियों का प्रभाव पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गयी टिप्पणियों का प्रभाव यह है कि 31.3.2004 को परिसंपत्तियाँ 4.62 करोड़ रूपये कम दर्शायी गयी, दायित्व 2468.19 करोड़ रूपये कम दर्शायी गयी जाय एवं व्यय दोनों 3.29 करोड़ रूपये कम दर्शाये गये ।	संबंधित अनुच्छेदों के समक्ष यथोचित टिप्पणियां पहले ही दो गयी हैं।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 01.04.2005 ह₀ /-महा-निदेशक, लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व



#### लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने कमंचारी भविष्य निधि संगठन के 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे तथा आय एवं व्यय लेखे व 31 मार्च, 2004 के तुलनपत्र की जांच कर ली है। मैंने वे सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो अपेक्षित थे तथा संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गयी अभियुक्तियों के अधीन, जिसमें मुख्यतः निम्निलिखित मुख्य लेखा-परीक्षा आपित्तियां शामिल हैं, जो अधिकांशतः पिछले कई वर्षों से निरंतर चली आ रही हैं:-

- तुलनपत्र में दायित्व पक्ष में 1.01 करोड़ रूपये "सामृहिक बीमा योजना (पुरानी)" शीर्षक के अंतर्गत दशांचे गये हैं, जबिक यह योजना समाप्त हो चुकी है तथा राशि का स्टाफ के पात्र सदस्यों को पहले ही भुगतान किया जा चुका है ।(अनुच्छेद 2.1.3);
- व्याज उंचत खाते में 8408.88 करोड़ रूपये का जमा शेष, जो अंशदाताओं के खातों में जमा /नामे किया जाना है, में 2002-03 तक 2332.18 करोड़ रूपये शामिल हैं, जिसका समाशोधन किया जाना शेष है । (अनुच्छेद 2.1.4);
- अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर के निर्माण हेतु वर्ष 2002-03 के दौरान एन.बी.सी.सी. लिपिटेड को भुगतान किये गये 63.36 लाख रूपये की अग्रिम राशि "भूमि तथा भवन निर्माण हेतु अग्रिम" शीर्षक के स्थान पर "भूमि तथा भवन निर्माण" शीर्षक के अंतर्गत बुक की गवी थी । (अनुच्छेद 2.2.2);
- परिसंपात रिजस्टर में अधिग्रहित परिसंपातयों का रिकार्ड न होने के कारण "अधिग्रहित परिसंपत्तियां" तथा
  "भुगतान किये गये अग्रिमों" की राशि की परिशुद्धता का सत्थापन नहीं किया जा सका । (अनुच्छेद
  2.2.3(i));
- तुलनपत्र में दर्शायी गयी राशि तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय, श्रम मंत्रालय द्वारा वुक की गयी राशि का समाधान न होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि योजना तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत निवेश राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका । (अनुच्छेद 2.2.3(ii));
- वित्त वर्ष के अंत पर अंतरण में प्रेषित राशि का आगामी वित्त वर्ष में समायोजन किया जाता है तथािं।
   1997-98 से पूर्व की अविध के 92.90 करोड़ रूपये इस शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न खातों में शेष है।
   (अनुच्छेद 2.2.4);
- वर्षवार विवरण उपलब्ध न होने के कारण 94.26 करोड़ रूपये की राशि के त्रुटिपूर्ण नामे तथा 139.39 करोड़ रूपये की राशि के त्रुटिपूर्ण जमा होने के कारण थे लेखा परीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका । (अनुच्छेद 2.2.5);
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में स्टाफ को प्रोत्साहन रूप में स्वर्ण-सिक्की के वितरण पर व्यय किये गये 9.78 करोड़ रूपये कापीरेट मुख्यालय से "प्रचार" शौर्षक के अंतर्गत आय एवं व्यय खाते में गलत बक्त किये गये थे । (अनुच्छेद 3.1.1);
- लेखा परीक्षा को संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं अगये जाने के कारण 130494.71 करोड़ रूपये की निवेश राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका । (अनुच्छेद 5.4);

में प्रमाणित करता हूं कि इस श्रंखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मेरी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिये गये स्पष्टीकरण तथा संगठन की बहियों में दर्शाये गये उल्लेखों के अनुसार ये लेखे तथा तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गये हैं तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकलाणें का सही एवं स्पष्ट रूप दर्शाते हैं।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 01.04.2005 हः /-महानिदेशक, लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व